सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

04 अप्रील, 2016

षोडश विधान सभा — सोमवार, तिथि 04,अप्रील,2016 ई0

द्वितीय सत्र — 15 चैत्र, 1938 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 9.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार के छात्र जो बाहर पढ़ रहे हैं, आये दिन उनकी पिटाई की जाती है । महोदय, अभी घटना का समाचार मणिपुर का आया है, जहां एन0आई0टी0 के छात्रों....

अध्यक्ष : समय पर उठाइयेगा ।

श्री प्रेम कुमार : मैं सरकार से सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार उसको संज्ञान में ले और मणिपुर में जो छात्रों की पिटाई हुई है, उसको सरकार देखवा ले और कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, समय पर इस बात को उठाइयेगा ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : अभी तो अलग से व्यवस्था विशेष विमर्श का है ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, 1 तारीख को हमने बहुत ही संवेदनशील विषय को आपकी अनुमति से रखा था कि एक नौजवान जिसकी शादी होने वाली थी..

अध्यक्ष : ठीक है, वह तो आप बोल चुके थे ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : वह प्रोसीडिंग में नहीं आया ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के अंतर्गत श्री विनोद प्रसाद यादव, स0वि0स0, श्री श्याम रजक, स0वि0स0 एवं अन्य सदस्यों से सामान्य लोकहित के विषय पर निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुआ है -

> ''यह सभा केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में केन्द्रांश की कमी एवं राज्यांश में बढ़ोत्तरी किये जाने के कारण राज्य में उत्पन्न स्थिति पर विमर्श करे ।"

इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए कुल दो घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न

प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल	-	40 मिनट
जनता दल (यूनाईटेड)	-	35 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	26 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	13 मिनट
सी0पी0आई(एम0एल0)	-	01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	01 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-	01 मिनट
निर्दलीय	-	02 मिनट
	कुल	120 मिनट

माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में केन्द्रांश की कमी एवं राज्यांश में बढ़ोत्तरी किये जाने के कारण राज्य में उत्पन्न स्थिति पर विमर्श करे" ।

अध्यक्ष महोदय, 2015 के पहले केन्द्रांश और राज्यांश का जो पैटर्न था, उसको वर्त्तमान सरकार ने बदल दिया है और पैटर्न बदलने से बिहार जैसे पिछड़े राज्य को काफी नुकसान हो रहा है । हमारी जो योजनायें थी, जो समय पर पूरी होनी चाहिए थी, वह योजनायें जहां-की-तहां रूकी हुई है, जिससे बिहार जैसे पिछड़े राज्य को जो हम राष्ट्रीय औसत पर पहुंचाना चाहते थे, उसमें काफी कठिनाई हो रही है । अभी जो वर्त्तमान व्यवस्था है, जो 2015 के पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सौ प्रतिशत् मिलता था, घटकर 60-40 हो गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 100 प्रतिशत् मिलता था, 60-40 हो गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 100 प्रतिशत् मिलता था, अब घटकर 60-40 हो गया है, शिक्षक प्रशिक्षण एव वयस्क शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु सहायता 75-25 मिलता था, घटकर 60-40 हो गया है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में 75-25 से घटकर 60-40 हो गया है, सर्व शिक्षा अभियान में 65-35 से घटकर 60-40 हो गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 75-25 से घटकर 60-40 हो गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 75-25 से घटकर 60-40 हो गया है, निर्मल भारत अभियान में 75-25 से घटकर

60-40 हो गया है, इंदिरा आवास योजना में 75-25 से घटकर 60-40 हो गया है, मनरेगा में 90-10 से घटकर 75-25 हो गया है, सामग्री मद में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन में 75-25 से घटकर 60-40 हो गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 100 प्रतिशत् से घटकर 60-40 हो गया है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में 100 प्रतिशत से घटकर 60-40 हो गया है, समेकित बाल सुरक्षा योजना में 75-25 से घटकर 60-40 हो गया है, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन में 75-25 से घटकर 60-40 हो गया है, ऐसे करीब उनहत्तर योजनायें हैं। महोदय, समय की कमी है, समय की कमी के कारण जो बाकी योजनायें हैं, उसको मैं पटल पर दे देता हूँ, इसका भी उल्लेख मेरे वक्तव्य में कर दिया जायेगा ।

महोदय, जिन योजनाओं के बारे में मैंने अभी बताया कि जिन योजनाओं में जो राशि घटायी गयी है, वह सीधे बिहार की गरीब जनता को प्रभावित कर रही है और जो भी बिहार में योजनायें चल रही थी, उन योजनाओं पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ा है। मनरेगा योजना जो चल रही थी, उससे गांव के गरीबों को रोजगार मिलता था । जो बेरोजगार लोग थे, राज्य के बाहर जो काम करने जाते थे, उनको काफी राहत मिली थी और आज जब राशि में कटौती हो गयी है तो रोजगार के अवसर कम हो गये हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनायें वगैरह जो भी योजनायें हैं, उन योजनाओं में किसानों को जो सहयोग मिलता था, वह भी सहयोग घट गया है । महोदय, वर्ष 2014 की बातें याद आती हैं, जब इसी समय देश में चुनाव का दौर शुरू हुआ था और देश के प्रधानमंत्री देश भर में खास करके बिहार के लोगों को सुनहरे सपने दिखला रहे थे और वे कह रहे थे कि हम यदि सत्ता में आये तो देश के गरीबों का कल्याण करेंगे । देश से गरीबी, बेरोजगारी समाप्त करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे लेकिन जैसे ही सत्ता में आये, वे सब गरीबों की बातों को भूल गये, वे जाकर सीधे-सीधे कॉरपोरेट जगत के लोगों के हाथों में बैठ गये और जो गरीबों की सरकार होती, वह सूट-बूट की सरकार बनकर रह गयी । महोदय, हमें उनके वक्तव्य से ....

श्री तार किशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : मैं समझता हूँ कि इन्हें गरीबों से कोई लेना-देना नहीं है, गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं रह गया है, गरीब बेचारा फटेहाल है । मैं समझ रहा हूँ, मैं इन्हीं की बातों को कह रहा हूँ, दृष्टिांतों के माध्यम से बतलाना चाह रहा हूँ कि कैसे देश की सरकार ने गरीबों के साथ मजाक किया है, गरीबों पर से विश्वास उठा है । जब प्रधानमंत्री जी देश में घूम रहे थे तो लोगों ने उन्हें प्रचारित किया कि यह गरीब का बेटा है, गरीब के हित में काम करेंगे, गरीबों को आगे बढ़ाने में काम

करेंगे लेकिन जैसे ही सरकार में आये तो गरीबों के सारी बात को भूल गये और सीधे-सीधे पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने में लग गये महोदय ।

...क्रमशः....

टर्न-2/शंभु/04.04.16

श्री विनोद प्रसाद यादव : क्रमशः........जैसे दृष्टांत याद आता है बाबा भारती और खड्ग सिंह का- जब खड्ग सिंह ने बाबा भारती को छल से घोड़ा मांग लिया था बीमारी की अवस्था दिखाकर और जब घोड़े पर सवार होकर के बेतहाशा भागने लगा तो बाबा भारती ने इशारा किया था कि रूक जाओ- तुमने जिस तरह से मेरा घोड़ा छीना है इससे जो संदेश जायेगा समाज में उससे गरीबों पर विश्वास आनेवाले दिनों में उठ जायेगा। उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब का नाटक करके, चाय बेचनेवाले के बेटा का नाटक करके देश का सत्ता हासिल किया। गरीब के बच्चे, गरीब लोग सोच रहे थे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आनेवाले दिनों में गरीबों की समस्या को हल करेंगे, गरीबों को आगे बढ़ायेंगे, आज उनका सपना चकनाचूर हुआ है और आनेवाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस कार्य से गरीबों की विश्वासनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं समझता हूँ कि केन्द्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, भारत सरकार बिहार के साथ जो अनदेखी कर रही है, उसको पुनः पुरानी व्यवस्था में लाने और मैं समझता हूँ कि उससे राज्य का भला होगा और राज्य के गरीब उन्हें अगर पुरानी व्यवस्था में आती है तो उन्हें धन्यवाद देंगे। मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। इन्होंने इंदिरा आवास योजना के गरीबों को, बेसहारों को जो 6 लाख 5 हजार हमको 2015 से पहले आवंटन मिलता था उसको घटाकर के 2 लाख 43 हजार कर दिया जिससे गरीब बेसहारा लोगों को काफी दिक्कत हुई है। महोदय, उन्होंने जो अपनी पीड़ा बयान किया है उससे मैं समझता हूँ कि इनको काफी तकलीफ आनेवाली है। महोदय, मैं तो यहीं कहूंगा कि आज के दिनों में जितना भी जल्दी हो सके गरीबों की योजनाएं........

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री विनोद प्रसाद यादव : एक मिनट, इन्होंने जो इंदिरा आवास का सपना दिखाया था उसपर कहना चाहता हूँ कि-

दिखाया था सुनहरे सपने अच्छे दिन का,
चूर हो गया सपना देशभर के दीन-हीन का,
सताना अच्छा नहीं होता दीन-हीन का,
छीन लिया गरीब बेसहारों का घर,
सपना दिखाकर अच्छे दिन का ।

महोदय, हमलोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छे दिन दिखलाये थे हमारे पुराने वापस कर दें तो अच्छा होगा। जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय हिन्द।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आज केन्द्रांश में कमी एवं राज्यांश में बढ़ोत्तरी पर राज्य में उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए आपने स्पेशल डिबेट कराया है। बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमवली के नियम-85 में जिन विषयों पर राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच विवाद हो रहा हो उनके बारे में तथ्य विषयों के सिवा यह तो बहस का मुद्दा ही यहां नहीं था क्योंकि यह पूरे देश के पिछड़े राज्यों के लिए हुआ था। लेकिन जब आपने बहस की अनुमति दे दी है तो निश्चित रूप से आज राज्य सरकार को केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए और आभार प्रकट भी करना चाहिए कि इतनी बड़ी राशि बिहार के गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के विकास के लिए नरेन्द्र मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन...........

अध्यक्ष : माननीय सदस्य संजय जी, यह विषय नियम-43 के तहत विशेष विमर्श के लिए निश्चित हुआ है कार्य मंत्रणा समिति में, जिसमें सभी दलों के विधायक दल के नेता उपस्थित थे और रहते हैं । आप जारी रखें ।

श्री संजय सरावगी : जी ठीक है । अध्यक्ष महोदय, विनोद जी बोल रहे थे हम उनके लिए दो तीन लाइन रखना चाहते हैं -

माना सच बोलने में दम लगता है
मगर झूठ बोलने से तो कम लगता है,
सच है कारगर कड़वी दवाई और
झूठ नकली मरहम लगता है,
ये सच ही है जो कभी झुकता नहीं और
झूठ सच मानिए टिकता नहीं ।

जो आप बोल रहे हैं विनोद जी। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, बिहार को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, हमलोग को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन........

श्री सदानन्द सिंह : मैं नियमापत्ति पर हूँ । झूठ शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।

श्री संजय सरावगी : यह तो शेर था अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : ठीक है।

श्री संजय सरावगी : हमलोगों को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो राजनीति राज्य सरकार कर रही है, इसपर राजनीति नहीं होनी चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में नहीं हैं। हमलोग मुख्यमंत्री का भाषण सुनते आये हैं इस सदन में मुख्यमंत्री हर विषय पर बोलते थे कि केन्द्रांश में राज्य का अनुपात बढ़ना चाहिए, केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कम होनी चाहिए और राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए राशि के मामले में और आज मुख्यमंत्री जी अपना विषय भूल गये। आज जब 32 परसेंट से 42 प्रतिशत 14वें वित्त आयोग में कर दिया गया, केन्द्र सरकार की योजनाओं को कम करके ज्यादा से ज्यादा अधिकार राज्य सरकार को दिया जा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को क्या आपत्ति हो रही है ? अध्यक्ष महोदय, केवल 2 लाख 40 हजार रूपया 14वें वित्त आयोग में ज्यादा राशि राज्य सरकार को मिलनेवाली है और कहां से कहां 5 साल में 2 लाख 40 हजार, पहले 13वें वित्त आयोग में 1 लाख 95 हजार करोड़ मिलता था और आज 14वें वित्त आयेाग में 4 लाख 9 हजार करोड़ रूपया मिलेगा, यह तो अनटाइड फंड है। जहां चाहिए और जिस योजना में चाहिए उस योजना में आप खर्च कर दीजिए, लेकिन आज पता नहीं क्यों चित भी मेरा, पट भी मेरा और सिक्का मेरे फादर का- आज भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा राशि दे रही है। आज भारत सरकार इतनी सारी राशि दे रही है और तब कह रहे हैं कि राज्य में जो स्थिति- आज राज्य में इतनी सारी राशि केन्द्र सरकार दे रही है कि राज्य खर्च नहीं कर पा रहा है। सी0ए0जी0 के रिपोर्ट में 2014-15 की जिसमें 35 परसेंट राशि, माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो बताना चाहिए कि 2014-15 की राशि में 30 प्रतिशत राशि राज्य क्यों नहीं खर्च कर पायी ? यह माननीय मंत्री जी को जरूर अपने जवाब में बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में बिहार को 36 हजार 963 करोड़ रूपया मिला और उसकी तुलना में 2015-16 में 48 हजार 922 करोड़ रूपया राज्य सरकार को मिला है और यह भी अनटाइड फंड है। 12 हजार करोड़ रूपया अधिक मिला है 2015-16 में, आज राज्य सरकार को नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। ऐसा कोई वित्तीय वर्ष नहीं है जिसमें 12 हजार करोड़ रूपया भारत सरकार ने ज्यादा दिया हो । 2012-13 में बिहार को मिला 31 हजार 200 करोड़ रूपया, 2013-14 में 34 हजार 899 करोड़ रूपया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1392 करोड़ रूपया की राशि ज्यादा है और मात्र 3 हजार करोड़ की राशि ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, यह पहला साल है नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक वित्तीय वर्ष में 12 हजार करोड़ की राशि राज्य सरकार को मिली है और राज्य सरकार खर्च

नहीं कर पा रही है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात आज पूरे बिहार में चर्चा हो रही है, बिजली अगर गांव गांव, घर घर में पहुंच रही है तो यह भारत सरकार की देन है, यह नरेन्द्र मोदी जी की देन है। आज घर घर में पहुंच रही है बिजली। महोदय, केवल दीन दयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना के तहत 5827 करोड़ रूपया (व्यवधान)

मेरा समय जोड़ दीजिएगा महोदय ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में नेता विपक्ष बैठे हैं, नरेन्द्र मोदी जी का अभी दो साल भी पूरा नहीं हुआ है और ये राजीव गांधी विद्युतीकरण जो हुआ है और कब गांव में पहुंचा है संजय जी आपको मालूम है और इंदिरा आवास में जो बिहार के साथ सौतेलापन हुआ है उसपर जरूर बोलें।

अध्यक्ष : अवधेश बाबू, यह सब बात सरकार अपने जवाब में देगी न! आप जारी रखिये।

श्री संजय सरावगी : महोदय, 5827 करोड़ रूपया आज दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में केवल राज्य सरकार को दिया गया, कभी कोई इतिहास नहीं था और सरकार कहती है कि 25 प्रतिशत राज्य सरकार को देना पड़ेगा । अगर आप सही से शब्द लिखा हुआ है अचीवमेंट ऑफ प्रेसक्राइब्ड माइलस्टोन- अगर भारत सरकार के हिसाब से आप अचीव करते हैं तो मात्र 25 प्रतिशत राज्य सरकार का लगेगा और उसमें भी 30 प्रतिशत भारत सरकार ने लोन वगैरह की व्यवस्था कर दी और जो एजेंसी हैं............क्रमशः!

टर्न-3/अशोक/04..04.2016

श्री संजय सरावगी : उनको मात्र 10 प्रतिशत जो है लगाना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय मात्र 10 प्रतिशत कम्पनियों को लगाना है और 75 प्रतिशत अगर आप सही रहते हैं तो 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देने वाली है । अध्यक्ष महोदय, और बाकी का जो राज्यांश है वह भी लोन की व्यवस्था भी सरकार ने कर दी । और महोदय यह तो नीति आयोग का मामला था, यह जो रेशियो बढ़ा, घटा क्या हुआ ? भारत सरकार ने यह तय नहीं किया महोदय, और यह जो तय हुआ महोदय, जो मुख्यमंत्रियों की उप-समितियां थी, मुख्यमंत्रियों की उप-समितियों ने यह तय की, और महोदय उप-समिति में, जो चुनाव के पहले, महागठबन्धन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह जी, उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी भी उस कमिटी में थे, उन्होंने लिखा है, बोल्डली सपोर्टेड, ठीक उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को, प्रोसिडिंग्स में लिखा हुआ है "बोल्डली सपोर्टेड बाई अखिलेश यादव, यू.पी. सी.एम" महोदय, कांग्रेस के लोग बहुत बोल रहे हैं, उस समय अरूणाचल प्रदेश के

तत्कालीन सी.एम. भी उस रिपोर्ट को बनाने वाले में थे । और अभी-अभी नया-नया गठबन्धन हुआ है कॉंग्रेस और कम्यूनिस्ट का महोदय, तो केरला के मुख्यमंत्री, कम्यूनिस्ट के महोदय, उस मुख्यमंत्रियों के उप-समिति ने सारा समाजवादी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी- सब लोगों ने मिलकर तय किया और केवल धीरे से नहीं किया महोदय, तीन जगह अलग से क्षेत्रीय बैठक हुई, उसमें बिहार को भी 12 मई को कलकत्ता में बुलाया गया महोदय, 12 मई, 2015 को बैठक हुई महोदय, ये लोग तो भारत सरकार और मोदी जी को कोसने में लगे हुये थे, उस 12 मई की बैठक में महोदय, बिहार सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं हुआ और आज बोल रहे हैं केन्द्र का राज्यांश घट गया, राज्य का राज्यांश घट गया, और महोदय भारत सरकार ने मौका दिया कि राज्य आकर अपना विषय रखे तो 12 मई को कलकत्ता में बैठक हुई और बिहार सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उस बैठक में नहीं था । उसके बाद भी या तो नीति आयोग का जो मामला था महोदय, नीति आयोग ने उस मुख्यमंत्रियों की कमिटी की बैठक में यह तय हुआ महोदय और निश्चित रूप से आज बिहार को इतना सारा पैसा दिया जा रहा है महोदय और कहते हैं सात निश्चय, सात निश्चय में गली-गली बना देंगे, नाली-नाली बना देंगे, गांव एवं शहरों में महोदय, गली-गली और नाली-नाली बनायेंगे महोदय, तो पैसा तो भारत सरकार दे रही है, आप खर्च कर दीजियेगा भारत सरकार का पैसा तो निश्चित रूप से गली-गली बन जायेगा, अगर खर्च नहीं करियेगा महोदय, केवल ग्रामीण एवं शहरी निकायों में पांच गुणा पैसा बढ़ गया, चार गुणा पैसा बढ़ गया । 13 वें वित्त आयोग ने 5682 करोड़ रूपया ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में उपबन्ध किया था और 14 वें वित्त आयोग में 23,694 करोड़ रूपया अर्थात चार गुणा पैसा महोदय भारत सरकार ने उपबन्ध किया है और केवल एक "उदय योजना" भारत सरकार ने लॉंच किया और बिहार सरकार ने उस उदय योजना में पार्टिसिपेट कर लिया- केवल एक उदय योजना से महोदय, 9 हजार करोड रूपया लगभग बिहार सरकार को लाभ होने वाला है । अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है प्रोसिडिंग्स में "An overall net benefit of approximately Rs.9000 Cr. would accrue to the State by opting to participate in UDAY, by way of savings in interest cost, reduction in AT&C and transmission losses " एक उदय योजना ने महोदय, राज्यों के निगमों को मजबूत करने के लिए उदय योजना चलाई महोदय बिजली के क्षेत्र में 9000 करोड़ रूपया केवल उदय योजना से राज्य को लाभ होने वाला है अध्यक्ष महोदय । और अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष अब आप एक-दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा 15 मिनट समय है और मंत्री जी ने भी टोक दिया। और महोदय एक लाख 65 हजार का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, महोदय, सरकार ने लाखों रूपया विज्ञापन पर खर्च किया, यह झांसा है, झांसा है और अभी महोदय, जो 1780 करोड़ रू0 बैकवर्ड रिजन फंड का मोदी जी और भारत सरकार ने दिया तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को विज्ञापन निकाल कर धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए । महोदय, कॉंग्रेस की सरकार थी, इनको बताना चाहिए, दस साल कॉंग्रेस की सरकार थी इन्होंने कितना राष्ट्रीय उच्च पथ बिहार में बनाया ? और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ बनाने का काम किया अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, यह कॉंग्रेस की सरकार गरीबों के पेट पर लात मारती है महोदय, 10 प्रतिशत, बी.पी.एल. में मात्र 10 प्रतिशत बिजली कनेक्शन हम देंगे और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 100 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार को बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की महोदय । लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बी.पी.एल. परिवार को कनेक्शन नहीं लगा पा रहे हैं, अभी तक मात्र 20 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया अध्यक्ष महोदय।

और अध्यक्ष महोदय, रेलवे के क्षेत्र में मैं बतलाना चाहता हूँ, रेलवे के क्षेत्र में महोदय, तीन साल में 3778 करोड़ रूपया जो है बिहार के लिए टोटल आऊट ले किया गया, 2013-14, 2012-13 और 2011-12 में 3778 करोड़ रूपया । और हमारे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा 2015-16, 2016-17 में 66 सौ 60 करोड़ रूपया केवल बिहार के लिए आऊट ले किया गया और अध्यक्ष महोदय, बोलते हैं कि राज्य की परिस्थिति पर विचार होना चाहिए, राज्य की परिस्थित पर विचार नहीं होना चाहिए नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देने हेतु, इस सदन से प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि नरेन्द्र मोदी जी गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए अध्यक्ष महोदय, इतना जो ये काम कर रहे हैं.....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इतनी सारी राशि और बिहार सरकार आज खर्च नहीं कर पा रही है, पहली बार 2015-16 में 31 मार्च को 100 का 100 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने राज्यांश बिहार को पेमेंट कर दिया, बिहार को तय कर दिया ।....

अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए ।

श्री संजय सरावगी : हम भारत सरकार को, नरेंन्द्र मोदी जी के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केन्दीय सरकार जो इतना सारा धन दे रहा है, जरूरी है कि राज्य सरकार इसे खर्च करे । आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद । जय बिहार ।

श्री ललित कुमार याादव : अध्यक्ष महोदय, आज आपने राज्य हित के अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन के माध्यम से विशेष वाद-विवाद रखा है, महोदय, आपने चर्चा रखा, हम इसके लिए सदन के प्रति आभारी हैं, सदन ने इस बिहार की जनता के हित में हमारे जो केन्द्र के केन्द्रांश, जो हमारा हक है, महोदय हमारा जो हक है अधिकार है, उसमें कटौती हो रही है । बिहार भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है । महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का वित्तीय प्रबन्धन, इतना मजबूत है, इतना सुदृढ़ है कि बिहार के विकास की ऊंचाई दिन प्रति दिन आगे बढ़ती जा रही है, महोदय नीतीश जी के कुशल नेतृत्व में बिहार का हम विकास कर रहे हैं, हमको और विकास की जरूरत है महोदय । हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जो बिहार में विकास की, हम केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में लगातार कटौती के बाद भी बिहार का जो विकास हो रहा है महोदय वह काबिले तारीफ है और मुख्यमंत्री का वित्तीय प्रबन्धन का एक मजबूत उदाहरण है, जिसकी देश और दुनिया में चर्चा हो रही है । महेदय हमारे बिहार को ऐतिहासिक, भौतिक, सांस्कृतिक का विशेष विचारधारा भी हमारे बिहार को प्राप्त है महोदय । महोदय, विशेष विचाराधारा जो हमारे राज्य को प्राप्त है, हम आजादी के लड़ाई में, आजादी के लड़ाई में हम अग्रणी रौल किये थे, हम समाजवादी आंदोलन में भी आगे रहे थे और हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी आगे रहे हैं, महोदय जो विशेष विचारधारा है, विशेष विचाराधारा को लेकर के हमारे मुखिया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी ने जो संकल्प किया है कि हम अपने बिहार के संसाधन के बल पर बिहार का विकास करेंगे और हम लगातार विकास करते रहेंगे ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति डा0 अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया)

हम रूकने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे जो केन्द्रीय हिस्सा हैं, उसमें हमारी हकमारी हो रही है, हम कोई केन्द्र सरकार से भीख नहीं मांगते है महोदय । सभापति जी, यह हमारा हक है, यह हमारा अधिकार है । हम भौगोलिक दृष्टिकोण से, हमारे बगल में सट हुये नेपाल देश है, हम कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से,

अजीब विडम्बना है हमारे साथ महोदय, हम बिहार में कभी सुखाड़ से तो कभी बाढ़ का मार झेलते रहे हैं । क्रमशः

टर्न-4-4-04-2016:ज्योति

क्रमशः

श्री ललित कुमार यादव : हमारे यहाँ वर्षा नहीं होने के बाद भी जो नेपाल के पड़ोशी देश हैं वहाँ से पानी का तूफान रुपी, अकाल रुपी, नदियों के तूफान कैसे हमारे बिहार की सारी फसलों को, सारी सम्पदा को नष्ट कर रहे हैं । हमारे यहाँ सूखाड़ भी बिहार के विकास में गतिरोधक है । हम कृषि पर आधारित हैं । हम कृषि पर आधारित राज्य हैं और हमारे राज्य का जो बंटवारा पहले भी हुआ वह दुःखद रहा । माईन्स और मिनरल्स जो हमारी खनिज सम्पदा थी, वह झारखण्ड में चली गयी और बिहार में बालू और पानी के अलावा कुछ बचा नहीं । आज अपने संसाधन से, अपने बूते से आर्थिक, मजबूत प्रबंधन के बल पर बिहार का विकास हुआ है लेकिन केन्द्र की जो केन्द्रीय योजनाएं लगातार चल रही है - केन्द्रीय योजना में जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है, जो हमारे बिहार के गरीब-गुरबा आम-आवाम के लिए, कल्याणकारी योजना है, उसमें भारी कटौती की जा रही है । हम महोदय, आपका सदन का, ध्यान अतीत में ले जाना चाहेंगे । जो हमारे, इसी विधान सभा से, हम लोग इसी सदन से, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले । हमलोगों ने मांग की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले लेकिन महोदय, उस समय हमारे भा0ज0पा0 के साथी भी सरकार के साथ थे, तब तो बड़ा ये लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए बड़ा पुरजोर हाँ हाँ मिला रहे थे और ये लोग कहते थकते नहीं थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले । आज महोदय, क्या हो गया इनको , भा0ज0पा0 के लोगों को ? बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की जब हमलोग मांग करते हैं तो इनलोगों को नागवार लगता है । माननीय सदस्य, आपको स्मरण होगा कि यू0पी0ए0 की सरकार थी तो आप लोग यह कहते थकते नहीं थे कि केन्द्र सरकार हमारी हकमारी कर रही है । बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है । लेकिन आज आप उसके विपरीत, आपको अच्छा नहीं लगता है जो बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग होती है । आपकी केन्द्र प्रायोजित 69 योजनायें चल रही हैं , आप केन्द्र में आज बैठे हुए हैं, आपकी सरकार है । आपको कहना चाहिए । आपको जाकर मिलना चाहिए कि इसी सदन से हमलोग एकजुट होकर आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर क्या आवश्यकता

थी, क्या जरुरत थी कि केन्द्रांश में ये जो भारी कटौती हो रही है, आपने आसन से नियम-43 के अंतर्गत इसको स्वीकृति दी है । क्या जरुरत थी इसके बहस की और क्या जरुरत थी दो घंटे के बहस की ? आज ये केन्द्र जो भा0ज0पा0 का है । महोदय, इनलोगों को बिहार का विकास अच्छा नहीं लग रहा है । आज ये जान रहे हैं केन्द्र सरकार के लोग कि यदि बिहार का विकास जिस सामाजिक न्याय की गति से चल रही है जो सामाजिक न्याय के साथ बिहार का विकास हो रहा है, कहीं हम केन्द्र से इसपर लगाम नहीं लगायेंगे , विकास के गति को हम रोकेंगें नहीं, हम केन्द्रांश में कटौती नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बिहार की तरह सामाजिक न्याय का परचम दूसरे राज्य में भी लहरे । महोदय, बिहार के बाहर जो हम विकास करना चाहते हैं देश और दुनिया में जो हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी ने एक मैसेज दिया है वह काबिले तारीफ है । सभापति महोदय, लालू जी, नीतीश जी और सोनिया जी के महा गठबंधन के बाद जो यह महा बहुमत मिला है, इससे वे घबराहट में है । ये प्रकरण बिहार से बाहर भी जाने वाला है । आप इससे डर रहे हैं कि बिहार के बाहर कहीं भा0ज0पा0 का नामोनिशान नहीं मिटा दे । ये बिहार की हवा जो चली है बिहार से जो आंधी चली है, कहीं इनका नामोनिशान कहीं देश से न मिट जाय । अभी बहुत राज्य में चुनाव हो रहा है इनको चिन्ता इस बात से है कि हम किस तरह से बिहार के विकास के रथ को रोंके । बिहार के विकास के रथ को रोकने की इनकी घोर साजिश है । ये साजिश आपकी सफल नहीं होगी । मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की, वित्तीय प्रबंधन इतनी मजबूत है कि आपके सहयोग के बिना भी, केन्द्र मुझे कोई भीख नहीं दे रहा है । ये हमारा हक है । जो राजस्व-कर का संग्रह होता है । महोदय, इण्डिया इज यूनियन औफ स्टेट । ये साझा प्रोग्राम है महोदय, जो हमारे कर की वसूली होती है वह दो प्रकार से एक तो हमारे बिहार के सरकार के द्वारा कर की वसूली होती है, चाहे विभिन्न विभागों द्वारा , दूसरा जो हमारी गरीब जनता से कर की कटौती होती है, उसको केन्द्र सरकार, हमको दूसरे रुप मे, फिर विकास के रुप में हमको वह राशि लौटाती है । यह कोई भीख नहीं है । यह मेरा हक है । यह मेरा अधिकार है । यह बिहार की जनता का आम अवाम का आह्वान है । आज बिहार में 69 केन्द्र प्रायोजित महत्वपूर्ण योजना चल रही है । हम यहाँ खेती पर निर्भर है । कृषि पर बिहार के लोग मुख्य रुप से निर्भर हैं । आपने कृषि में क्या कटौती की है । आपने जहाँ हमको राष्ट्रीय कृषि मीशन योजना में 100 परसेंट मिल रहा था वहाँ आप 40 परसेंट कर दिए हैं । हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपने क्या हाल किया है ? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बिहार में जो सड़कें बन गयीं इनके सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, बनते ही

वह एक तरफ से बनी और दूसरी तरफ से टूट गयी । जो अधूरी सड़क है वह पॉंच साल से अधूरी है वह क्यों अधूरी है ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि आप समय पर नहीं दे पा रहे हैं । आज महोदय, गरीब लोग इन्दिरा आवास के लिए चिन्तित है, वंचित हैं, कह रहे हैं कि हमारे इन्दिरा आवास का क्या हुआ ? आप इन्दिरा आवास की राशि में कटौती कर रहे हैं । आप कहॉ कटौती कर रहे हैं । गांव और ग्रामीण और जो बिहार है और बिहार का विकास किए बिना आप देश का विकास कर सकते हैं क्या ? आप सपना में भी, नहीं सोच सकते हैं कि जबतक बिहार का विकास नहीं होगा तबतक देश का विकास हो ही नहीं सकता है इसलिए बिहार की हकमारी करना आप बंद करिये, कटौती करना बंद करिये । आप बिहार का उचित हक दीजिये, जो हमारा केन्द्रांश हैं उसे आपको वापस करना होगा । महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी, जब बिहार में लोक सभा चुनाव हो रहा था , क्या क्या वादा किए । आज गरीब बेरोजगार नौजवान पूछ रहा है कि काला धन जो विदेश से लायेंगे उसका क्या हुआ ? 15 से 20 लाख रुपया हमको मिलना था उसका क्या हुआ ? सभापति जी, आज गांव और गरीब लोग चिन्तित हैं और इन्होंने जो झूठे वादा करके जो गांव और गरीब को ठगने का काम किए, आने वाले समय में आपको पता चलेगा , आपकी चिन्ता इसलिए भी है कि केन्द्रांश मेरी कटौती आप कर रहे हैं । बिहार के विकास की तरक्की के पहिए को आप रोकना चाहते हैं । विकास रुपी सवारी रथ को आप रोकना चाहते हैं । लेकिन महोदय, 15-20 लाख रुपया बेराजगार नौजवान खोज रहा है कि मेरे एकाउंट में कहॉ है ? किन्हीं के एकाउंट में एक पैसा नही गया । आज जो बेरोजगार नवयुवक था, उनको कहे थे कि रोजगार देंगे। क्या हुआ महोदय ? किसी नोजवान बेरोजगार नवयुवक को क्या आपने रोजगार दिया ? आपने कहा था कि महंगाई पर हम काबू पाायेंगे, हम महंगाई को रोकेंगे, आपने क्या किया ? महंगाई को रोकने का आप क्या सार्थक पहल किए ? आपका वादा था यह हम नहीं बोल रहे हैं , आपके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब लोक सभा और विधान सभा के चुनाव में क्या क्या वादा किए थे ? आप कह रहे थे प्रधानमंत्री जी विधान सभा चुनाव में जो बिजली आई- छोड़ दीजिये अभी यह विषय नहीं है । आप कहे थे कि सवा लाख करोड़ का हम पैकेज देंगे आप कैसा कैसा वादा किए थे। आप क्या कह रहे थे । आप बिहार के लोगों की बोली लगा रहे थे ।

क्रमशः

टर्न-5/विजय/04.04.16

श्री ललित कुमार यादवः क्रमशः...... 80 हजार करोड़, 90 हजार करोड़ करें, 125 लाख करोड़ करें । आप क्या क्या वादा किये थे । क्या क्या वादा कर रहे थे और एक वादा पर आप पूरा नहीं हैं । आप इस देश को दिशा से भटका रहें थे। विकास के रास्ते से जो आप वादा किये थे, एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं कर रहे हैं, सारे वादे पर विफल हैं । सभापति महोदय, क्या बिहार की जनता का यही गुनाह है कि इनको लोक सभा के चुनाव में इन झूठे वादे पर भारी वोट देकर इनको एक रिकार्ड लोक सभा में सीट इनको बिहार से देने का काम किया । क्या इसका नतीजा यही है ? जितना आप वादा किये एक भी वादा पर आप कायम नहीं हैं । महोदय, विशेष राज्य का दर्जा तो दूर विशेष पैकेज का जो प्रधानमंत्री जी कह कर गए वह भी नहीं मिल रहा है। महोदय इनका ये झूठा वादा इनको इतना महंगा पड़ेगा कि आज बिहार से एक मेसेज जाएगा जितने जगह आज चुनाव हो रहा है जिस जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है आप विकास के काम को रोकने का जो काम कर रहे हैं और बिहार के लोग पूरे देश में आपको जिस तरह से विधान सभा में लालू जी, नीतीश जी और सोनिया जी का महागठबंधन हुआ जो बिहार में दो तिहाई बहुमत से ज्यादा मिला है आपका इस तरह हाल हो गया कि आप 52 से 53 पर सिमट गए । आपका यही हाल पूरे देश में अभी चाहे असम हो या बंगाल हो जहां भी चुनाव हो आपका यही हाल होने वाला है । आपका इससे बेहतर हाल होने वाला नहीं है । महोदय, इन्होंने जे0एन0यू0 युनिवर्सिटी में जिस तरह से बिहार के कन्हैया को देशद्रोह के मामले में फंसाया महोदय यह सभी जानते हैं ।इनका देश की जनता को विकास से मतलब नहीं है अपने वादे से भटकाने का है महोदय । महोदय, कालाधन तो नहीं आया लेकिन विजय मोदी, अरूण मोदी जैसे लोगों को विदेश भेजकर ये काला धन को जरूर विदेश भेजे । विदेश से इन्होंने काला धन नहीं लाया लेकिन देश का कालाधन ये विदेश जरूर भेजे हैं महोदय । हर मामले पर, हर मामले पर केन्द्र सरकार विफल है । हमारा केन्द्रांश रोककर महोदय हमारा वित्तीय प्रबंधन मुख्यमंत्री जी का जो है ये बिहार की जो विकास रथ है उसको ये रोक नहीं सकते हैं कि केन्द्र सरकार केन्द्रांश में कटौती कर दे । यह हमारा हक है इसी सदन से सर्वसम्मत से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग हुई थी हम पुनः इस सदन से इस पूरे बिहारवासियां की ओर से मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसी सदन से स्वीकृत हो और सारे पार्टी से उपर उठकर सारे साथी जो हम विधायक हैं

एकजुट होकर क्योंकि बिहार सबका है चाहे किसी पार्टी के लोग हों बिहार का विकास करना हम जनप्रतिनिधि का दायित्व है महोदय । हम सारे पार्टी से उपर उठकर बिहार के विकास के लिए एकजुट हों ताकि इस बिहार जैसे प्रदेश को देश के अन्य राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से भी उपर ले जाने का जो हम सपना देखे हैं उसको हम पूरा करें । इसी बात के साथ सभापित जी, आपने जो समय दिया है इसके प्रति हम कृतज्ञ हैं, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार): मा0 सदस्य, श्री सदानंद सिंह ।

श्री संजय सरावगी: सभपति महोदय, मेरा व्यवस्था है । नरेन्द्र मोदी पर लोग बोले जा रहे हैं अल्पसंख्यक घर की महिलाएं भारत माता की जय का नारा लगा रही है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): यह कोई व्यवस्था नहीं है । बैठिये ।

माननीय सदस्य, सदानंद सिंह ।

श्री सदानंद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री विनोद प्रसाद यादव जी द्वारा कार्य संचालन नियमावली 43 के अंतर्गत जो विषय लाया गया है उसके समर्थन में खड़ा हूं ।

सभापति महोदय, निश्चित तौर पर पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी । 2000 नवंबर में जब बिहार का विभाजन हुआ उसके बाद बिहार की स्थिति जो आर्थिक स्थिति थी वह चरमरा गई । स्वभाविक तौर पर खनिज संपदा हमारी चली गई, वन संपदा चली गयी, कल कारखाने चले गए और बिहार को बाढ़ एवं कृषि के लिए भूमि रह गई और इस विपरीत परिस्थिति में इस राज्य को आगे ले चलने की चुनौती निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है । इसमें दो राय नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी मेहनत करके लगन के साथ इस राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और आज विकास दर जिस उंचाई के साथ आगे बढ़ रहा है निश्चित तौर पर यह सराहनीय है । लेकिन यह ठीक कहा माननीय सदस्यों ने विनोद जी ने और जो 69 विभिन्न योजनाओं की सूची दी थी, जो विधान सभा कार्यालय को सुपुर्द की गई इन 69 योजनाओं के अंदर जो 2015-16 के पूर्व जो केन्द्रांश मिलते थे उसमें बहुत कटौती हुई । काफी पूर्व के सदस्यों ने इसकी जानकारी दी । आप खुद जान रहे हैं कि जहां 60 और 40 का प्रतिशत होता था वहां आज केन्द्र 25 और 75 कर रही है । 40 और 60 कर रही है । और इस तरह से पिछली सरकार में जो केन्द्रांश मिलता था उसमें काफी कटौती हुई । और इस कटौती के कारण बिहार की आर्थिक स्थिति प्रगति का जो रफ्तार था उस रफ्तार में कमी आयी है । बहुत बातें हुई, यह ठीक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक सभा चुनाव के पूर्व बहुत सारी बातें की थी और विधान सभा चुनाव के पूर्व भी बहुत बातें उनके द्वारा

कही गयी । सवा लाख करोड़ की पैकेज की भी बात आयी । 18 अगस्त,2015 को आरा की सभा में उन्होंने जिस तरह घोषणा की उस घोषणा के बाद लगता था सचमुच में बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है लेकिन एक लाख पच्चीस हजार करोड़ की बात जब की गयी और उसी के कुछ ही दिनों बाद जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने भाषणों से और अपनी जानकारी के आधार पर पैकेज जुमला और बजट में प्रावधान नहीं, ये बातें जो 18.08.2015 के जागरण में निकला था 19.08.15 के जागरण में तो निश्चित तौर पर यह बात स्पष्ट हो गयी कि पैकेज के नाम पर उन्ही सारी पुरानी योजनाओं का, काफी योजनाएं जो कांग्रेस के कार्यकाल में यू0पी0ए0-1 और यू0पी0ए0-2 में दी गयी थी उसी राशि की पुनरावृत्ति की गई थी । और इस तरह से जो पैकेज की बात थी उसमें साफ कहा था नीतीश बाबू ने कि 87 फीसदी पुरानी योजनाएं इसमें हैं और इससे जो घाटा हुआ था उसके संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी थी और उस आधार पर जो बताया गया था कि लगभग 51 हजार करोड़ राशि की कटौती की गई थी । यह 2.02.2015 के समाचार पत्रों में है कि- केन्द्र की बाजीगिरी बिहार के 51 हजार करोड़ की हक मारी । तो 51 हजार करोड़ की कम राशि ली गयी और बात कही गयी सवा लाख करोड़ की ।

क्रमशः ....

टर्न-06/राजेश/04.04.2016

श्री सदानन्द सिंह, क्रमशः- हम इस संदर्भ में बहुत कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन एक बात जरुर कहना चाहते हैं कि जिसतरह से इंदिरा आवास में राशि काटी गयी, मनरेगा में राशि काटी गयी, अब हम बात करते हैं एन0एच0 की, एन0एच0 में एक हजार करोड़ की राशि अब भी बिहार सरकार की बाकी है और इसके चलते एन0एच0 की सड़कों की दुर्दशा से आप अवगत है और पूरा राज्य अवगत है, भागलपुर और मिर्जा चौकी की सड़क इतनी बद से बदत्तर स्थिति में है, इसका कारण क्या है ? इसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्र एन0एच0 की राशि बिहार सरकार को रिलिज नहीं कर रही है, आपको पता होगा सभापति महोदय कि इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, इनकी लोक-सभा की सीट चली गयी भागलपुर से और दो विधाान-सभा की भी सीट चली गयी, सिर्फ इसलिए कि हम विपक्ष में कुछ बात कहें, यह बात कहने से नहीं होगा, कहना तो यह होगा कि इतनी राशि जब हमारी

कम हो गयी है और केन्द्रांश कम है, बिहार की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में कम है और इस विपरीत स्थिति से उबरने के लिए क्या हमलोगों का दायित्व नहीं बनता है, क्या सभी दल के लोगों का यह दायित्व नहीं बनता है कि हम दलीय भावनाओं से उपर उठ करके बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल करें। बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित करने के लिए हमलोगों ने एक पहल की थी और सभी दल के लोग केन्द्र के पास गये थे, भाजपा के लोग भी थे, हम भी थे, आप भी थे, क्या यह हम नहीं कर सकते हैं कि केन्द्रांश की जो राशि काटी जा रही है बिहार की, तो हमलोगों का एक प्रतिनिधिमंडल केन्द्र में प्रधानमंत्री जी से जा करके आग्रह नहीं कर सकते हैं ? यह राज्य के लिए आवश्यक है सभापति महोदय, इसलिए मैं कह रहा था कि सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं होनी चाहिए, इसपर बात होनी चाहिए केन्द्र सरकार से, यदि आर्थिक स्थिति बिहार का मजबूत होता है, केन्द्रांश की राशि अधिक आती है और विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो निश्चित तौर पर यह राज्य आगे बढ़ेगा और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमलोगों को, सबों को, इसके लिए पहल करनी चाहिए, इसमें सरावगी जी को भी करनी चाहिए, हमारे विपक्ष के नेता को भी करनी चाहिए, हम सब मिल करके वहॉ चले और उनसे आग्रह करें और हम माननीय अध्यक्ष जी से और बिहार सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसतरह का प्रस्ताव आप रखें और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल केन्द्र सरकार के पास जाय और बिहार की हकमारी के संदर्भ में हमलोग केन्द्र से आग्रह करें और फिर बिहार की प्रगति और तेजी से हो, द्रूत गति से हो, इसमें हमलोग सहयोग करेंगे। मैं बहुत दूसरे ढंग की बात नहीं करना चाहता सभापति महोदय, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूॅ कि बातें बहुत कहने की नहीं है, जो 69 योजनाएॅ हैं, उसमें कटौती के कारण आज बिहार में विपरीत स्थिति पैदा हुई है, उस स्थिति से निबटने के लिए यहॉ से एक प्रतिनिधिमंडल बिहार से सभी दलों का भेजा जाय और हमलोग केन्द्र सरकार से यह आग्रह करें कि आप हमारी इस कटौती को बंद करें और बिहार को विशेष पैकेज देने की कृपा करें। धन्यवाद ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार):- माननीय सदस्य श्री श्याम रजक ।

श्री श्याम रजक:- सम्मानित सभापति महोदय, आज का विषय केन्द्र के अंश और बिहार के अंश के सवाल पर विमर्श जो आपने रखा है, हम इसके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं और मैं कहना चाहता हूॅ कि इस विषय को पक्ष और विपक्ष का विषय न मान करके बिहार की प्रगति और बिहार के विकास की देखे, तो निश्चित रुप से यह हम सब के लिए दर्द और हम सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होगा, यह बिहार की 11 करोड़ जनता के लिए विकास से जुड़ा

हुआ सवाल है, यह कोई प्रधानमंत्री की आलोचना और किसी की समालोचना की बात नहीं है, सवाल है कि बिहार के साथ जो लगातार उपेक्षा और अपमानित करने का काम किया गया है, उसपर हम बिहारी जो अपने को गौरवान्वित कहते हैं, हम बिहारी को इस सवाल पर क्यों नहीं एक जुट हो करके, अपने हक-हकूब के लिए लड़ना चाहिए। जहॉ तक देश का सवाल है, बिहार बराबर अग्रणी और बिहार बराबर हक के लिए आगे लड़ता रहा है, चाहे देश की जो भी लड़ाई रही है लेकिन आज बिहार की आर्थिक प्रगति का सवाल है और इस सवाल पर अगर हम विपक्ष और पक्ष की बात करें, यहॉ बैठे हमारे सामने विपक्ष के साथी, वे भी बिहारी हैं और अगर हम इसको ये लें कि हम सिर्फ केन्द्र सरकार और उनके जो मुखिया है, उनकी आलोचना के लिए कर रहे हैं और इसे व्यक्तिगत रुप से लें, तो इससे कोई समाधान नहीं होगा, समाधान तब होगा, इस समाधान के पहले हमको इस बिमारी को ढूढ़ना होगा कि क्या है बिमारी और बिमारी यह है सभापति महोदय कि 14वीं वित्त आयोग की जो अनुशंसाऍ हैं, उसी समय से यह समस्या उठी है, 14वीं वित्त आयोग ने जहॉ 11वीं वित्त आयोग के द्वारा जहॉ 11.59 प्रतिशत लिया गया और 14वीं पंचवर्षीय योजना में सिर्फ बिहार को 9.66 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, यह अपने आप में इतना बड़ा गैप है और यह अपने आप में दिखलाता है कि बिहार को किसतरह से उपेक्षा करने का काम किया गया है। ठीक ही बताया गया हमारे पूर्व वक्ता ने, कि जिसतरह से पूरे देश के पैमाने पर टैक्स संग्रह होता है, उसको आबादी के अनुसार उसका हक होता है और आबादी के अनुसार उसका विकास होता है। सभापति महोदय, 2000 में जब बिहार का बॅटवारा हुआ था, बॅटवारा के बाद हमारे यहॉ हरियाली खत्म हो गया, हमारे यहॉ जो जंगल होना चाहिए था, वह कम हो गये, इसमें राशि की व्यवस्था करनी थी, इस तरफ भी अनदेखा करने का काम किया गया, हमारे साथ अनदेखा करने का काम किया गया, हमारे यहॉ से इन्डस्ट्रीज चली गयी, हमारा खनिज संपदा चला गया और उसके बाद भी 14वीं वित्त आयोग में अनुशंसा कम होता है और जब यह कम होता है, तो कई योजनाओं में जैसा कि हमारे माननीय पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 69 योजनाओं में कटौती करने का काम किया गया, तो इससे कैसे होगा बिहार का विकास, तब तो देश के प्रधानमंत्री आलोचना लेने का काम नहीं करेंगे, हम बिहारी बड़ी ही स्वाभिमानी है, बिहार भूखे रह सकता है लेकिन स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता है, हम सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते हैं लेकिन जिसतरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी आये थे 18 तारीख को आरा में और उन्होंने क्या बात कहने का काम किया था, उन्होंने बिहार की बोली लगाने का काम किया

था, जिसतरह से अरब में मजदूरों की बोली लगायी जाती है, उसीतरह से बिहार के लोगों की बोली लगाने का काम किये थे, तो क्या इससे हमारा स्वाभिमान नहीं उठेगा, क्या हम अपने स्वाभिमान को बेच दिये, क्या हमको नहीं उठना था, हमको इसका विरोध नहीं करना था लेकिन यह अलग बात है सभापति महोदय, और इसतरह से लैंड लॉर्ड के द्वारा किसी समस्या को अनदेखी करने का काम किया गया। सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि 2014-15 में केन्द्रीय योजनाओं की बजट में 5.75 लाख करोड़ की थी, वही 15-16 में यह घट करके 4.65 लाख करोड़ रुपया हो गयी, और ये कहते है कि हमने बढ़ाने का काम किया, 32 से 42 किया लेकिन योजनाओं की जो राशि होती है, उस राशि में तो कटौती करने का काम किया, हम राशि की बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं कि हमने इतना परसेंटेज कर दिया, ये कह रहे हैं कि नीति आयोग बना, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री और केरल के मुख्यमंत्री, हम उन सवालों को नहीं कहना चाहते लेकिन बिहार के साथ तो अनदेखा किया गया, बिहार के साथ तो धोखा किया गया, बिहार के हक की हकमारी करने का काम किया गया, जो बिहार देश की प्रगति में सबसे अग्रणी रहा, उस बिहार के हक और हकूक को छीनने का काम किया गया और आप उदाहरण दे रहे हैं, इस सवाल पर हमलोगों को उद्वेलित होना चाहिए कि नहीं। सभापति महोदय, भारत सरकार का जो व्यय बजट है, एक्सपेंडिचर बजट है, उसमें 2015-16 मे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को चार श्रेणी में बॉटा गया है। श्रेणी-1 के अन्तर्गत योजनाओं को शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार देगी, श्रेणी-2 में आने वाली योजनाओं के विरुद्व परिवर्तित पैटर्न पर केन्द्र द्वारा राज्य को राशि प्रावधान कराने का था और श्रेणी-3 और 4 में जहॉ योजनाओं को बंद करने का काम किया गया लेकिन जो पुरानी योजनाएॅ थीं, उसको चालू करने के लिए बकाये राशि को देना था लेकिन वह राशि भी नहीं दिया गया और न ही वह राशि देने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई ही की गयी ।

क्रमशः

टर्नः 07/कृष्ण/04.04.2016

श्री श्याम रजक : (क्रमशः) : हमारे पुलिस का आधुनिकीकरण ए0सी0ए0 और एल0डब्ल्यू0ई0 इत्यादि योजनायें इस श्रेणी में आते हैं । जो पुरानी योजनायें थी, उन्हें बंद करने का काम किया गया । कैसे काम होगा ? सभापति महोदय, यह बात हमलोगों को, सभी लोगों को यहां जो हमारे 243 सदस्य हैं और विधान परिषद् में जो सदस्य हैं, सभी

लोगों को इस सवाल पर चिन्तित ही नहीं होना चाहिए बल्कि मन में गुस्सा भी होना चाहिए । जब तक एक-एक बिहारी के मन में गुस्सा नहीं होगा और जबतक हम बोल नहीं पायेंगे कि किन लोगों के कारण बिहार का अनदेखा किया जा रहा है तब तक हम बिहार को आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकते हैं । सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई पत्र लिखे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । कृषि के क्षेत्र में सभापति महोदय, ये कहते हैं कि पिछड़ों का राज्य है । इस देश का प्रधान मंत्री अन्यथा नहीं लेंगे, चाय बेचनेवाला है । हमें खुशी है कि एक गरीब का बेटा इस देश का प्रधान मंत्री है । लेकिन सिर्फ देश का प्रधान मंत्री बन जाय और देश के जो गरीब हैं, चाय बेचनेवाले है, अति पिछड़े लोग हैं उनकी अगर विकास की राशि रोक देने का काम करेंगे तो यह अपने आप में बड़ा ही दुभाग्यपूर्ण बात है ।

(व्यवधान)

मैं उदाहरण दे रहा हूं । मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं हैं । मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

कला,संस्कृति एवं युवा विभाग में 6 योजनायें अत्यंत पिछड़ा घुमंतु आदिवासियों के लिये थी । इनकी राशि को बंद कर दिया गया । घुमंतु लोगों का क्या दोष है । अत्यंत पिछड़े लोगों का क्या दोष है ? महोदय, बिहार सरकार को 101.09 करोड की अतिरिक्त राशि वहन करना पड़ रहा है । देश का प्रधान मंत्री घुमंतु आदिवासियों की योजनाओं के लिये राशि बंद कर दें, अत्यंत पिछड़ी जातियों की योजनाओं के लिये राशि बंद कर दे । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश की कला ही आदमी को जीवंत रखती है । जबतक कला और संस्कृति का उदय नहीं होगा, वह देश कभी जीवित नहीं हो सकता है और घुमंतु के लिए राशि रोक देने का काम किया गया । दूसरा, कृषि के क्षेत्र में कहा गया है कि यह देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में जहां हमारा 100 प्रतिशत मिलता था, वहां आपने 60-40 कर दिया और 60-40 करके 322.06 करोड़ का अतिरिक्त वहन राज्य सरकार को करना पड़ रहा है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं चुनौती देता हूं ।

सभापति (श्री अशोक कुमार) : मा0सदस्य, संजय सरावगी जी, आप माननीय सदस्य को अपनी बात समाप्त करने दीजिये । बीच में टोका-टोकी अच्छी बात नहीं है ।

श्री श्याम रजक : सभापति महादेय, जबतक गरीबों के लिये शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, शिक्षा की आप बात कर रहे हैं । आप बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं । यह राज्य तो शिक्षा का केन्द्र रहा है और आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी योजनाओं की कटौती कर दी । आपने 60-40 कर दिया, जिससे 1260 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय बिहार सरकार को उठाना पड़ रहा है। मिड-डे मिल और सर्व शिक्षा योजना में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण 571करोड़ और 609 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ रहा है । तो बच्चे का क्या दोष है ? सभापति महोदय, गरीब का बच्चा स्कूल में जाता, जो मध्याह्न भोजन करके अध्ययन करने का काम करता है, जिसके पीछे उद्देश्य था कि चरवाहा का बेटा, गरीब धोबी का बेटा, गरीब का बेटा, चाय बेचनेवाले का बेटा, पान बेचनेवाले का बेटा जिसके पास शिक्षा के लिये पैसा नहीं है, जिसके पास खाने के लिये पैसा नहीं है, उसका बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो उस बच्चे को कम से कम भोजन मिलता है तो उसके भोजन में भी आपने कटौती कर दिया और आप अतिपिछड़ों की बात करते हैं। गरीबों की बात करते हैं। आप अगरबत्तीवाद के रूप में सिर्फ अम्बेदकर के तस्वीर को अगरबत्ती दिखलाने का काम करते हैं लेकिन उसके विचारों का गरीबों का,अति पिछडों का, पीड़ितों की योजनाओं की राशि की कटौती करके उन गरीबों को फिर से सेवक के रूप में उनको दर-दर भटकने के लिये मजबूर करने का काम किया ।

महोदय, स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं । चार योजनायें हैं । नेशनल हेल्थ मिशन में केन्द्रांश में 395 करोड़ का अतिरिक्त भार राज्य को उठाना पड रहा है और आश्चर्यजनक बात यह है कि असंगठित मजदूरों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जहां 100 प्रतिशत था, वहां 60-40 करने का काम किया गया । समझने का काम कीजिये कि कस तरह हमारे साथ अन्याय करने का काम किया गया है । सभापति महोदय, 165 करोड़ का अतिरिक्त भार केन्द्र सरकार द्वारा देने का काम किया गया है और ये कह रहे थे कि नल के द्वारा पानी केन्द्र सरकार की योजना है । महोदय, मुख्यमंत्री जी दृढ़संकल्पित हैं, वे गरीबों की बात करते हैं और जहां तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की बात है, 60-40 कर देने से 66.80 करोड़ का अतिरिक्त भार ग्रामीण पेयजल योजना के तहत राज्य सरकार को पड़ रहा है । सभापति महोदय, इन्दिरा आवास के बारे में हमारे साथियों ने कहा हम उसको छूना नहीं चाहते हैं । लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के मामले में 2012-13 और 2014-15 में एक किलोमीटर सड़क भी नहीं दिया गया । सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं । वे जानते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की कितनी बुरी स्थिति है । हम बेचैन है । हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि केन्द्र सरकार ने एक

रूपया भी देने का काम नहीं किया । 2015-16 में भी देने का काम नहीं किया और जिस तरह से पूर्व की स्वीकृत योजनाओं में भी 60-40 करने का का किया महोदय, कैसे विकास होगा ? क्या यह पैसा हमारा नहीं है ? क्या इस पैसे से सिर्फ देश के प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा करने का काम करेंगे ? क्या हमारे गरीब के टैक्स के पैसे पर विदेशों में भ्रमण करने का काम करेंगे ? क्या इस पैसे से प्रधान मंत्री की सुरक्षा में खर्च होने काम होगा ? जबतक गरीबों की सुरक्षा नहीं होगी । हम भारत के सैनिक हैं । हम सैनिक हैं । सैनिक दो तरह के होते हैं । एक सैनिक जो देश की सुरक्षा करता है और दूसरा सैनिक है जो देश के लोगों की सुरक्षा करता है । अगर वे सफाई का काम नहीं करेंगे, जो देश के लोगों की सेना है, आप उसकी राशि की कटौती करेंगे ? कल होकर अगर देश के जो दूसरे सैनिक हैं, जो अपना काम करना बंद कर दें, सफाई का काम करना बंद कर दें तो हैजा हो जायेगा, कई तरह की बीमारियां हो जायेगी, उनके लिये कोई चिन्ता नहीं है । उनके लिये कोई योजना नहीं है । उनकी योजनाओं में आप कटौती करने का काम कर रहे हैं । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहने का काम किया थाा । हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बोली लगा करके हमलोगों को अपमानित करने का काम किया गया, 1 लाख 25 हजार करोड़ के बारे में, हम उसपर नहीं जाना चाहते हैं । हम तो मार खाते रहे हैं, हम तो 5 हजार वर्षों से मार खाते रहे हैं । हम फिर मार खा जायेंगे । बोली लगाने पर हम अपमानित हो जाते है। लेकिन हम कहना चाहते है कि जब 1 लाख 25 हजार करोड़ और केन्द्रीय योजनाओं को केन्द्रीय एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है तो हम सभापति महोदय, हम कहना चाहेंगे कि सरकार इस बारे में निर्णय ले कि उस पैसे की मोनिटरिंग बिहार विधाान सभा की एक कमिटी बनाकर के करायी जाय ताकि वे योयनायें कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, राशि आयी कि नहीं आयी है या सिर्फ कहने का काम किया गया या विक्रमादित्य की कहानी की तरह कि पूरी कहानी खत्म और फिर वह लाश गायब हो गया । उस तरह से नहीं हो बल्कि उसकी मोनिटरिंग होना चाहिए । हम यह कहना चाहते हैं । सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं ।

सभापति श्री अशोक कुमार : माननीय सदस्य श्यामजी । एक मिनट ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी ने बात कही है घुमंतु जाति के बारे में । महोदय, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी ने घुमंतु जाति के लिये आयोग का गठन किया है ताकि पूरे देश में उसका विकास हो ।

श्री श्याम रजक : सभापति महोदय, आयोग का गठन कर दिया और राशि दिया ही नहीं । सिर्फ चेहरा बड़ा सुन्दर,सुन्दर । महोदय, मैं अपना उदाहरण देता हूं । जिस तरह से

देश की फिल्मी दुनियां के लोग हैं, जिस तरह से मेक-अप करके वे चलचित्र पर दिखाई देते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं । लेकिन जब उनके घरों में जाकर देखें तो उसके चेहरे को देख करके घृणा हो जायेगी । उसी तरह से ये घुमंतु जाति के लिये चेहरा चमका रहे हैं । लेकिन सच्चाई है कि जब उसके लिये योजना ही नहीं दे सकेंगे, उसको राशि ही नहीं देंगे तो यह योजना क्या होगा? क्या सिर्फ कहने के लिये सिर्फ बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं । हम यह कहना चाहते हैं कि 2015-16 में केन्द्र की सरकार द्वारा 4508 करोड़ रूपया और 2016-17 में 5000 करोड़ की जो राशि की घटोत्तरी हुई है, इसके लिए हम केन्द्र सरकार पर दोषारोपण करने का काम करेंगे ।

(क्रमश :)

टर्न-8/सत्येन्द्र/04-4-16

श्री श्याम रजक(क्रमशः): एक बात और कहकर हम अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। अभी बड़ी चर्चा हो रही है कि बी0आर0जी0एफ0 में हम 1767 करोड़ रू0 दे दिये। बड़ी बड़ी बात हो रही जैसे लग रहा है बिहार भिखारी है। अरे,बिहार भिखारी नहीं है, बिहार के हक को आपने रखकर के और उस पर ऐश और मस्ती करने का काम कर रहे हैं । हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का 8275 करोड़ रू0 बी0आर0जी0एफ0 का बकाया है और आपने सिर्फ 25 प्रतिशत दिया है, 1767 करोड़ रू0 बाकी पैसा कौन देगा? बाकी पैसा से क्या आप विदेश भ्रमण करेंगे? अपना सूटबूट सिलवायेंगे या अपनी सुरक्षा में खर्च करने का काम करेंगे या उससे आप पूरा बडा़ बड़ा विज्ञापन निकालकर के अपने चेहरे को चमकाने का काम करेंगे? इसलिए हम कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि एक कमिटी बनायी जाय और हम चाहेंगे कि वह समिति बने और दिल्ली जाय और दिल्ली जाकर के हम सबको न भाजपा,न जद(यू),न कांग्रेस बल्कि हम सब बिहारी हैं, बिहारियों की टोली जाय और अपने हक को लेने का काम करें, मोनेटरिंग करने का काम करे। अगर इस तरह का काम केन्द्र करता है तो हमें केन्द्र सरकार के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाना चाहिए और निन्दा प्रस्ताव लाकर अपने हक के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय बिहार।

श्री मिथिलेश तिवारी: माननीय सभापति महोदय,नियम 43 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव जी के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके विपक्ष में खड़ा हूँ। माननीय सभापति महोदय,जब विनोद जी बोल रहे थे तो विनोद जी ने

अपने भाषण में कहा कि बार-बार कहा गया कि अच्छे दिन आयेंगे, अच्छे दिन आयेंगे लेकिन अच्छे दिन नहीं आयें। लेकिन मैं विनोद जी को कहना चाहूंगा अगर अच्छे दिन नहीं आते तो लालू जी को नीतीश जी नहीं भातें और अच्छे दिन आये इसीलिए लालू जी और नीतीश जी दोनों एक साथ आये और आपलोग सत्ता पक्ष में बैठकर आनंद ले रहे हैं। यह अच्छे दिन का ही परिणाम है। महोदय,मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और महोदय अभी मैं अपने चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके लिए मैं दो तीन बातों का जिक्र जरूर करूंगा। जितने भी हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने ये चर्चा नहीं कि जब यू0पी0ए0 की सरकार थी देश में तो यू0पी0ए0 की सरकार ने बिहार को कितने पैसे दिये और एन0डी0ए0 की जब से सरकार आयी है उसने कितने पैसे दिये। दोनों का एक तरह से इनको बताना चाहिए था कि यू0पी0ए0 की सरकार ने बिहार को क्या दिया और एन0डी0ए0 की सरकार ने बिहार को क्या दिया लेकिन इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब माननीय सदस्य श्याम रजक जी बोल रहे थे तो श्याम रजक जी को ये भी बताना चाहिए था

(व्यवधान)

सभापति महोदय,मेरा समय वर्बाद हो रहा है।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय,ये जो आज एक साथ बैठे हैं जद (यू), राजद और कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन में तो इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि इसके पहले हम कहां थे, इसके पहले हम किस रौल में थे। महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में रही और आज आपलोग एक साथ गलबहियां बनाकर सदन में बैठे हैं, कभी इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। विशेष राज्य की चर्चा जब होती है सदन में तो ये भूल जाते हैं कि जिस कांग्रेस के साथ आप बैठे हैं उसी कांग्रेस ने आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और उसके साथ बैठकर के आप यहां बैठकर सुशासन की बात करते हैं। सभापति महोदय,मैं कहना चाहूंगा जिस लोक सभा चुनाव की चर्चा होती है और लोक सभा के बाद विधान-सभा चुनाव की चर्चा होती है तो ये बात भूल जाते हैं कि जब लोक सभा का चुनाव आया था जब हमलोग लोकसभा का चुनाव नरेन्द्र मोदी के नारों के साथ हर हर मोदी घर घर मोदी के साथ देश में बिहार में घुमते थे तो उस समय जद (यू0)और राजद के लोग आमने सामने खड़े थे और उस समय सिनेमा का गाना गुनगुनाते थे-मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू सपेरा और जब नरेन्द्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ देश में आये तो उसके बाद डर हो गया कि पता नहीं अब क्या होगा तो विधान-सभा चुनाव आया और साथ हो गये और साथ होने के बाद ही विधान-सभा चुनाव में इनका गाना

बदल गया और कहने लगे 100 साल पहले हमसे तुमको प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये राजनीति बिहार में हुई महोदय,और महोदय माननीय सदस्य श्याम रजक जी बोल रहे थे तो माननीय सदस्य श्याम रजक जी को बतलाना चाहिए था कि जिस विधान-सभा क्षेत्र से जीतकर के वे आये हैं और वहां आजादी के बाद पहली बार वहां कोई एम्स बना तो वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन था। यह एन0डी0एन0 सरकार की देन थी कि आज फुलवारीशरीफ में एम्स बनकर तैयार हुआ, जहां ईलाज चल रहा है महोदय। महोदय,आज माननीय सदस्य ललित यादव जी बोल रहे थे कहते थे कि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है और जब हमलोग विधान-सभा के बाहर चर्चा करते हैं तो ललित जी कहते कि दरभंगा से पटना आने में तो सड़क इतनी अच्छी है कि गाड़ी में बैठते हैं तो नींद आ जाता है और वह सड़क किसका बनाया हुआ है महोदय? वह सड़क अटल बिहार वाजपेयी जी के और नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बनाया है, वह कोई यू0पी0ए0 सरकार ने नहीं बनाया है। महोदय,बात हो रही है 14वीं वित्त आयोग की बात लेकिन मैं 11वीं वित्त आयोग में जो केन्द्रीय करों की हिस्सा था 28.5 प्रतिशत था, 12वें वित्त आयोग में 30.5 प्रतिशत था, 13 वें वित्त आयोग में 32 प्रतिशत था लेकिन 14वां वित्त आयोग माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सरकार के कारण यह 42 फीसदी हो गया और उसका पूरा फायदा बिहार को मिलने वाला है, बिहार के गरीबों को मिलने वाला है। यह भी उनको कहना चाहिए। महोदय,2012-13 में केन्द्र प्रायोजित योजना में जो केन्द्र की राशि थी वह 5243.18 करोड़ थी, 2013-14 में ये घटकर 4649. 11 करोड़ हो गया उस समय तो यू0पी0ए0 की सरकार थी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और जब हमलोग सत्ता में आये महोदय तो वह 7115.43 करोड़ हो गया इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है महोदय। महोदय,13 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के मद में भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त अनुदान राशि यह बहुत चौंकाने वाला तथ्य है महोदय,2012-13 में एक रू0 नहीं मिला, 2012-13 में किसकी सरकार देश में थी वही कांग्रेस पार्टी की सरकार जिनके साथ आप बैठे हुए हैं ओर एक रू0 भी नहीं दिया, उसकी चर्चा इस सदन में नहीं हो रही है। महोदय, यह कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आपके द्वारा जारी किया गया आपका रेकर्ड बतलाता है, उसकी भी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए। महोदय,2012-13 में जब 0 रू0 मिला, 2013-14 में 79.18 करोड़ हुआ और वही महोदय,2014-15 में जब हमलोग आये 30.27 करोड़ रू0 हो गया लेकिन इसकी कोई चर्चा इस सदन में नहीं हो रही है। महोदय,मैं कहना चाहता हूँ बात हो रही है बिजली की, बिजली मंत्री जी का बयान विधान-सभा में आया था, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था बिजली

की बात हो रही है और मैं कोई बहुत विभाग नहीं लूंगा चूंकि मेरे पास 11 मिनट का ही टाईम है इसलिए महोदय बिहार में कुल 3006 अविद्युतीकृत गांव थे इसके पहले तो इनलोगों की सरकार थी कांग्रेस की सरकार बिहार में बहुत दिनों तक रही है, बहुत बड़ी बड़ी वायदे करने वाली सरकार रही तो क्यों 3006 अविद्युतीकृत गांव थे उन गांव में अगर बिजली पहुंचाये जाने का संकल्प किसी ने लिया तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लिया और 2016 तक इन सभी गांव में विद्युतीकरण का कार्य तय है जिसको दिसम्बर 2016 तक पूरा करना हैं महोदय, नई योजना आयी 294 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण, 1392 कृषि फीडरों का निर्माण और 70651 नये विद्युत वितरण उपकेनद्र का निर्माण महोदय और इसमें योजना की राशि है वो 5827.23 करोड़ रू0 की है महोदय और इसकी चर्चा कोई माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा हो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। महोदय दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की मैं चर्चा कर रहा हूॅ। महोदय बात हो रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चर्चा हो रही है, 2015-16 में 2 लाख 78 हजार 99.24 लाख रू0 का जो केन्द्रांश था वह 2016-17 में 300 लाख इसको बढ़ाकर के भारत सरकार ने किया है महोदय उसकी भी चर्चा होनी चाहिए महोदय। महोदय,आर्थिक पैकेज पर बड़ा सवाल उठाया जाता है कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी आये और बोली लगाकर चले गये और माननीय सदस्य श्याम रजक जी कह रहे थे जब इनकी बात आती है तो इनको सत्ता पक्ष और विपक्ष सब एक नजर आने लगता है (क्रमशः)

टर्न-9/मधुप/04.4.2016

..क्रमशः..

श्री मिथिलेश तिवारी : जब हमलोग कोई विषय उठाते हैं बिहार के गरीबों के लिए तो उस समय सबलोग पार्टी-पार्टी में बॅट जाते हैं । इसी सदन में 01 तारीख को पानी पर चर्चा हो रही थी । पानी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर पूरे बिहार में हाहाकार है, उस दिन किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि पानी के सवाल पर पूरे सदन को एक प्रस्ताव लेना चाहिये कि जबतक घर-घर नल का पानी नहीं जाता है, तबतक चापाकल योजना चालू रहना चाहिये । लेकिन चूंकि भाजपा का प्रस्ताव है, भाजपा गरीबों को पानी पिलाना चाहती है, भाजपा स्वच्छ जल देना चाहती है तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा । लेकिन महोदय, जब इनकी बात आती है तो बड़े-बड़े वादे होते हैं, बड़ी-बड़ी बात होती है कि हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिये।

ये एक तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं होनी चाहिये, दूसरी तरफ कहते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आये थे तो बिहार के लोगों से उन्होंने पूछा था कि बताओ, बिहार के विकास के लिए कितना पैसा देना चाहिये और बिहार के लागों से राय-शुमारी कर रहे थे तो इनलोगों को लगता है कि बिहार का दाम लगा रहे थे । आपका उल्टा सोच है, इसका क्या उपाय है ! प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों से पूछकर आर्थिक पैकेज 1,65,660 करोड़ रूपया दिया । वह पैसा आपको मिल रहा है, वह पैसा आगे भी मिलेगा, उसकी चर्चा आप मत करिये ।

महोदय, बिहार में जो पूर्व में हुआ है उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ । लेकिन राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय का केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन हुआ, भागलपुर के नजदीक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात हुई, पटना में हवाई अड्डा का निर्माण - जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब से लेकर आज तक पटना में एक ऐसा हवाई अड्डा बनाने की योजना केन्द्र सरकार की थी लेकिन राज्य सरकार उसपर कुंडली मारकर बैठी है, जमीन नहीं दे रही है, पटना के बाहर एक उन्नत किस्म का हवाई अड्डा बनाना था, भारत सरकार पैसा लेकर बैठी है लेकिन राज्य सरकार उसके लिए जमीन नहीं दे रही है । इसकी चर्चा नहीं हो रही है ।

महोदय, आज भी बिहार में जितनी बिजली की आवश्यकता है, उसमें अधिकांश बिजली केन्द्र सरकार देती है । राज्य सरकार को यह भी कहना चाहिये कि 4000 पावर का बॉंका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट अगर किसी ने दिया तो आजादी के बाद नरेन्द्र मोदी ने बिहार में दिया । इसकी भी चर्चा होनी चाहिये । महोदय, बात इस सदन में गरीबों की होती है तो लोग भूल जाते हैं कि आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने जन-धन योजना चालू की और प्रधानमंत्री ने इतना इस विषय पर विचार कर निर्णय किया कि जो गरीब हैं, माथे पर टोकड़ी और कंधे पर कुदाल लेकर, सरकार के माध्यम से मनरेगा का मजदूरी करता है, उसका भी बैंक एकाउंट खुलना चाहिये, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जन-धन योजना लागू किया । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू हुई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू हुई, अटल पेंशन योजना लागू हुई, सुकन्या समृद्धि योजना लागू हुई, मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से आज गरीबों को लोन मिल रहा है । सबसे बड़ी योजना बी0पी0एल0 कार्डधारियों को मुफ्त में गैस देने की योजना, मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की योजना, बिहार के करोड़ो बी0पी0एल0 कार्डधारियों को जो गैस का सिलेन्डर मिलेगा, यह फायदा हुआ।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, मुफ्त में गैस देने की योजना नहीं है, कनेक्शन देने की योजना है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, दो मिनट । बात इंदिरा आवास की होती है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार यह तो बताये कि 12.87 लाख इंदिरा आवास का बैकलॉग आज भी बिहार में क्यों है ? यह सरकार बताये कि विभिन्न जिलों के बैंकों में 1696 करोड़ रूपया आज भी क्यों जमा है ? यह भी सरकार को बताना चाहिये। माननीय श्याम रजक जी ने कहा, बड़ी चिन्ता ये करते रहते हैं एस0सी0/एस0टी0 की, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं और माननीय श्याम रजक जी को भी कहना चाहिये, बिहार में 5 डिसमल जमीन देने की योजना थी सरकार की, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को आपने दिया ? एस0सी0/एस0टी0 को आपने ठगने का काम किया । यह हम कहना चाहते हैं ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : एक मिनट में खतम कर रहा हूँ । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, बात मिड-डे-मील की हो रही थी, आप ही के शासन में, आप ही के नीतीश कुमार जी के सुशासन में मशरख की घटना आप भूल गये ? आप ही के सुशासन में मिड-डे-मील में छिपकली खिलाने का काम आप करते हैं ! आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं । उसकी भी चर्चा होनी चाहिये ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : धन्यवाद । अब आप समाप्त करिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, अपनी बात खतम करते हुये एक बात कहूँगा, बिहार सरकार के लिए कहूँगा - ''इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां कैसे लुटा,
तू इधर-उधर की बात न कर, यह बता कि कारवॉं कैसे लुटा,
मुझे राहगीरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है ।''

यह मैं पूछना चाहता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव जी के द्वारा सदन में जो प्रस्ताव लाया गया है केन्द्रांश और राज्यांश के विषय में, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, अति महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है ।

(व्यवधान)

हमारी बात सुनिये । महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी के साथियों से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ आपके नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी समूचे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं । प्रधानमंत्री जी से आज पूरे देश को उम्मीद है, प्रधानमंत्री जी से हमारी आशा है, हमारा हक है, हमारा हिस्सा है और जब हम अपने हक-हिस्से की बात करते हैं, भाजपा के भाइयों, आपको क्यों खटकने लगता है ? मैं आपसे पूछना

चाहता हूं कि यदि आज बिहार पीछे है, बिहार आगे बढ़ेगा तो इसमें आपका क्या नुकसान हो जायेगा ? ये हल्ला करने लगते हैं, सदन में अव्यवस्था फैला रहे हैं ताकि इतने महत्वपूर्ण विषय पर, इतने गम्भीर विषय पर ठीक से चर्चा नहीं हो ।

(व्यवधान)

आप सुनिये तो ! सारे दल के लोगों को समय आवंटित है । आप बोले हैं, हमलोग इत्मीनान होकर सुने हैं, जब इधर के लोग बोलने लगते हैं तो खटकने क्यों लगता है ! आपको भी समय है, बोलियेगा तारकिशोर बाबू ।

इन्होंने कहा कि सड़क हम बनाये हैं, हमारे एक साथी बोल रहे थे । सड़की बनी तो आपकी बनी । महोदय, दरभंगा से जयनगर एन0एच0-105 है, जो एन0एच0 की सड़क है, उस सड़क पर इतना-इतना गड्ढा है । उस सड़क को देखने के लिए आपकी आँखें कहाँ गई हैं ? एन0एच0-104 है, जो चम्पारण से लेकर नरहिया तक जोड़ने का काम करती है, यदि कोई आदमी जाय, कोई कहे कि यह सड़क एन0एच0 है तो किसी को भी हँसी आ सकती है, कोई भी मजाक उड़ा सकता है । एन0एच0-80 की भी यही दशा है । सड़क अच्छी कहीं बन गई जो नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी, तो उसमें कहते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्व के श्री वाजपेयी जी को कि उन्होंने अच्छी सड़क बनाई । जब सड़क खराब है तो उसकी जिम्मेवारी आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं ? यह देश आप सबका और हम सबका है । जो प्रधानमंत्री हैं, उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी, हल्ला करने से आप बरी नहीं हो सकते हैं, उसकी भी जिम्मेवारी लेनी होगी । आज यदि बिहार का यह हाल है तो प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी, भाजपा के साथियों को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी, आपको जिम्मेवारी लेनी होगी ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हम धन्यवाद देते हैं वाजपेयी जी को, बहुत सुन्दर कार्यक्रम चलाये थे । कार्यक्रम चलाये थे तो 100 में 100 था, आज आप 60 कर दिये हैं । आप 60 किये हैं, यह बात सुनने के लिए आप तैयार क्यों नहीं हैं ? बिहार के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कटौती हुआ है ।

...क्रमशः...

टर्न-10/आजाद/04.04.2016

.... क्रमशः ......

श्री सीताराम यादव : महोदय, आज आप जाकर देखेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना डेढ़-डेढ़ साल से, तीन-तीन साल से बन्द पड़ा हुआ है । हमारे इलाके में बासोपट्टी से दोहरी मैनापुर तक सड़क बन रही थी, वह आज दो साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है ।

बासोपट्टी से कऊआहा से बैरा की सड़क बन रही थी, आज वह सड़क योजना बन्द है।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, मनमोहन चौक से पतौना की सड़क आज यह भी योजना बन्द है, उसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी को लेना होगा, भाजपा में बैठे हुए भाई हैं, वे हल्ला कर रहे हैं, उनको भी इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी । आज कोई यह नहीं कह सकता है कि बिहार के सीमित संसाधन से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्वकाल में, हमारे वित्त मंत्री श्री सिद्दिकी साहेब के मंत्रित्व काल में जो सीमित संसाधन में बिहार के विकास का जो शुरूआत हुआ है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है । ये नीति आयोग की बात कर रहे थे, नीति आयोग के सदस्य ने तो यह भी कहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार काबिल हैं, वहां बिहार में विकास हुआ है । इसको आप बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं ? आप कहते हैं कि नीति आयोग ने बिहार का पैसा काटा है । नीति आयोग पैसा काटा, नीति आयोग तो आपका है, यह प्रधानमंत्री का है । मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को वही नीति आयोग के लोग बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं कि ये काबिल मुख्यमंत्री हैं तो इस चीज को आप बोलने के लिए तैयार नहीं हैं । उस चीज को आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । महोदय, बिहार गरीब राज्य है, कभी आपके नेतृत्व में बिहार को स्पेशल कैटेगरीज स्टेट देने की मांग की थी, बिहार को विशेष पैकेज देने का मांग किया था, आज उस चीज पर पलट क्यों गये, उस प्वायंट से आप अलग क्यों हट रहे हैं ?

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए सीताराम यादव जी ।

श्री सीताराम यादव : जी, एक मिनट में महोदय । आज सभा यहां से प्रस्ताव ले सर्वसम्मति से कि बिहार को स्पेशल कैटेगरीज स्टेट बनाया जाय, बिहार के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाय । बिहार में हमारा जो कृषि है, वह आज पीछे जा रहा है। बिहार में किसानों को डिजल अनुदान इतना बढ़िया चीज मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम हुआ है । आप कहते हैं कि नहीं बंटा है, हम कहेंगे कि बंटा, यदि कमी है तो भारत के प्रधानमंत्री हो आप, पूरा कर दीजिए, तब यहां से आपको बोलने का मुँह रहेगा । बिहार की नहीं, हिन्दुस्तान के तख्तोताज पर बैठे हैं और बिहार को पिछड़ा बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान है । बिहार को पीछे धकेलने में आपका योगदान है । अगर आप बिहार के बेटा हैं तो बिहार के लिए बात करिए, बिहार के हक-हकूक के लिए बात करिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बात करिए । यही होगा कि घोड़ा वही मर जाय जो सभा में नहीं चाल

दिखावे, अब बेटा वही मर जाय जो कुल में दाग लगावे । बिहार का बेटा हो, बिहार का सपूत हो........

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा ही गंभीर विषय पर विशेष बहस चल रही है लेकिन इस बहस को देखने और सुनने से मुझे नहीं लगता है कि हमारी मंशा सही है, हम सच में बिहार के विकास के प्रति चिन्तित हैं । बिहार के गरीबों का विकास चाहते हैं, ऐसा नहीं लगता है महोदय ? मैं कहना चाहता हूँ, याद करेंगे सभी माननीय सदस्य कि जब 2000 में बिहार-झारखंड अलग हो रहा था, हमारी पार्टी ने स्पष्ट तौर से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए । हमने यहां से लेकर के दिल्ली तक जाकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी गुहार लगायी थी, चूँकि बिहार के बंटवारा के बाद बिहार में कुछ नहीं रह गया था, उस समय सुनवाई नहीं हो सकी थी लेकिन आज मैं फिर जोर देकर कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ और बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीबों के विकास के लिए विशेष दर्जा चाहिए, इसके लिए हम सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए । चूँकि हम सारे लोगों को यहां पर बिहार की जनता ने वोट देकर भेजी है, उम्मीद लेकर भेजी है कि आप जायेंगे सदन में, बिहार की विकास की बात करेंगे, बिहार के गरीबों की बात करेंगे, बिहार के किसानों की बात करेंगे या कि आप यहां आकर अन्ताक्षरी खेलेंगे । इसलिए हम सदन के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यह अन्ताक्षरी खेलने का जगह नहीं है ।

महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सिवान जिलान्तर्गत आन्दर प्रखंड के पाताल गांव में आज चार रोज पहले आग लगने की घटना घटी है, 35 भर जाति के लोग हैं, वे जल गये हैं, पूरा उनका घर जलकर राख हो गया है । अंचलाधिकारी वहां जाता है और कहता है कि यदि आपलोगों के पास जमीन होती तो हम इंदिरा आवास देते । आज वे लोग पॉलिथीन तानकर और खुले मैदान में रह रहे हैं । आज जहां हमारे बिहार में यह हालात है, यह हालात है कि आज हम बिहार में गरीबों को बी0पी0एल0 सूची तय नहीं कर सके हैं, जिसके कारण ......

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए सत्यदेव जी ।

श्री सत्यदेव राम : आज गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, आज इंदिरा आवास में जो कटौती हुई है, जिसके चलते आज बड़े पैमाने पर गरीब-गुरबे लोग खुले आसमान पर सोने के लिए मजबूर हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सत्यदेव राम : एक मिनट महोदय, माननीय सदस्य श्री मिथिलेश जी बोल रहे थे, कह रहे थे कि अच्छे दिन आया नहीं है तो लालू और नीतीश एक कैसे हुए हैं ? शायद उनको समाज के बारे में और नीति के बारे में जानकारी नहीं है । क्योंकि जब गांव के सामने कोई भीषण संकट आती है, तभी पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज बिहार में यही हालत है । माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश के लोगों को , पूरी दुनिया के लोगों को एक होना चाहिए, जब यह संकट आया है तो पूरी दुनिया को यह आह्वान किया है और देश में भी यह संकट आया है तो सारे लोगों को एक होकर के भाजपा के खिलाफ लड़ना है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललन पासवान । आप शीघ्र समाप्त करियेगा, समय सीमा आपको मालूम है ।

श्री ललन पासवान : सर, अभी तो हम शुरू भी नहीं किये हैं,बड़ा गंभीर मामले पर बोलना है...

अध्यक्ष : मामला गंभीर है लेकिन समय की कमी है ।

श्री ललन पासवान : सर, एक मिनट जरा बढ़ा दीजिए । अध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्थितियों में भारत के जनतंत्र में अभी हम इस जगह खड़े हैं, 11.5 करोड़ जनता हम सभी लोगों को, सारे लोगों को यहां जीताकर भेजा है । बिहार में पदोन्नति में अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण समाप्त हो गया । छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी,

(व्यवधान)

मैं बता रहा हूँ, उसी विषय पर आ रहा हूँ और बताता हूँ ।

अध्यक्ष : ललन जी, आप उधर क्यों घूम जाते हैं, आप आसन की तरफ देख करके एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिए । फिर आप उधर ही देख रहे हैं ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दरअसल......

अध्यक्ष : आप इधर देख करके बोलिए न, हम आपको देख रहे हैं और आप उधर देख रहे हैं।

श्री ललन पासवान : उधर नहीं देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय । न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, पता नहीं क्या हो चला है, छात्रवृत्ति भी आता है दिल्ली से और बिहार से, दोनों मिलाकर मिलता है, उसी पर बोलते हैं । हम रहेंगे ही नहीं तो भारत सरकार हो या बिहार सरकार । अभी तो हमारी गर्दन पूरी तरह काटने के लिए न्यायापालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों मिलकर तैयार है । हाईकोर्ट ने यहां फैसला किया है, उसके खिलाफ बिहार सरकार गई दिल्ली में .....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, एक लाईन पढ़ लेने दीजिए । सुन लीजिए, हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर तथा एटर्नी जेनरल के परामर्श के बावजूद सरकार प्रोन्नति में आरक्षण देना चाहती है तो सामान्य वर्गो की तरह एस0सी0, एस0टी0 कर्मियों को भी पूर्व की भांति इस शर्त्त के साथ परिणामी वरियता की प्रोन्नति दी जाय, जो उच्चतम न्यायालय के फलस्वरूप से प्रभावित होता है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमारी एक बात सुन लीजिए । हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार के रिजर्वेशन एक्ट में 1951 की धारा 4 के उपधारा (2) में अंकित है कि जितना आरक्षण नियुक्ति में मिलेगा, उतना ही प्रोन्नति में मिलेगा, फिर भी बिहार सरकार या जो भी हो, बिहार सरकार पदोन्नति में आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती है, जबकि मध्यप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में , माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 95 में भी यह बात उठा थी............

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

टर्न-11/अंजनी/दि0 04.04.16

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो राज्य के हित का विषय है, उसपर आज दो घंटे की चर्चा हुई और लगभग 9 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे । हम आशा करते थे कि जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उसके सदस्य भी चर्चा में जब भाग लेते तो प्रदेश के हित को ध्यान में रखते, राज्य के हित को ध्यान में रखते, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया । खैर, यह उनकी सोच है । लेकिन हम सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं, श्री संजय सरावगी जी ने कुछ कहा है तो मैं उनको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष का जो प्लान आउट-ले है उसका खर्चा है 94.3 परसेंट, आप अपनी जानकारी को करेक्ट कर लीजिए और जो अगले साल का प्लान आउट-ले है, वह 71,501 करोड़ रूपये का है, तो यह इस राज्य की और राज्य की सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है, इसको समझ लीजिए । लेकिन खैर महोदय, केन्द्र की सरकार जो नीतियां बनाती हैं और जो केन्द्र नीति बनाती है, उस नीति में प्रदेश के हितों को ख्याल में रखकर बनाया जाना चाहिए । गैर बराबरी और जो पिछड़ेपन

का आधार है, उस आधार को कितना कम किया जा सके, इसको ध्यान में रखकर नीति बनायी जानी चाहिए । बिहार में तो दस साल से नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने पिछले दस सालों में जो शासन किया है बिहार में और उन्होंने इसी सिद्धांत को लेकर बिहार में काम किया कि जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, उनको जबतक आप उपर नहीं उठायेंगे, तबतक प्रदेश का भला नहीं हो सकता है और गैर-बराबरी नहीं मिट सकता है । नीतीश कुमार जी ने इसी सिद्धांत को रखकर काम किया है । जो दलित हैं, जो महादलित है, पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो समाज के निचले पायदान पर खड़े थे, अंतिम सीढ़ी पर खड़े थे, उनको उपर उठाने का उन्होंने काम किया और यही कारण है कि आज पूरे देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में नीतीश मॉडल की चर्चा होती है । यह काम है उनका । केन्द्र सरकार ने भी जब नीति बनायी तो उस नीति को बनाने के समय जो पिछड़े प्रदेश हैं, जो गरीब प्रदेश हैं, उन प्रदेशों को .....व्यवधान... आपकी समझ के बाहर का चीज है डॉ0 सुनील कुमार जी, वह आपसे उपर की चीज है, इसलिए छोड़ दीजिए । वह आपसे उपर की चीज है । आप उसको समझ भी नहीं पाइयेगा लेकिन जो सवाल हुआ है, जो केन्द्र की नीति बनती है, उस नीति में जो राज्य का पिछड़ापन है, जो राज्य की गरीबी है, जो विकासशील प्रदेश हैं, उनको ध्यान में रखकर नीति बनायी जानी चाहिए । अगर उनको ध्यान में रखकर नीति बनायी जाती तभी यह देश तरक्की करेगा । आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं, लोक सभा चुनाव से लेकर कह रहे हैं और आज भी लगातार कर रहे हैं कि हम इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं । विकसित राष्ट्र कैसे आप बनाइयेगा ? अगर पिछड़े राज्य पिछड़े रह जायेंगे, जो गरीब राज्य हैं, वह गरीब राज्य रह जायेंगे तो आपका राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है । आपका राष्ट्र विकसित तभी होगा जब बिहार, उड़ीसा ऐसे जो पिछड़े राज्य हैं, वह राज्य विकसित होंगे, तभी होगा । आप महाराष्ट्र को, गुजरात को जो फायदा दे रहे हैं, इससे राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है । उससे चन्द मुठ्ठी भर लोग विकसित हो सकते हैं और वही काम आप कर रहे हैं, इसलिए आपकी जो नीति है, वह नीति गलत है । अध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने जो नीति बनायी, उसके दो महत्वपूर्ण फैसले हुए । उस फैसले से बिहार जैसे पिछड़े राज्य को पीछे धकेलने का प्रयास किया गया । पहला फैसला हुआ कि जो केन्द्र प्रायोजित योजनायें हैं, उनके केन्द्रांश और राज्यांश में भारी कटौती की गयी, उससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा और दूसरा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को लागू करने में जो पिछड़े राज्य हैं,

जो गरीब राज्य हैं, जो विकासशील राज्य हैं, उन राज्यों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया, इससे बिहार जैसे प्रदेश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, माननीय मंत्री गलत बोल रहे हैं, माननीय मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं, केन्द्रीय करों में भारत सरकार ने 32 के बजाय 42 परसेंट करने का काम किया है । आपको हम सिखायेंगे, आप जैसे लोगों को हम पढ़ायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : आपको छपास की बीमारी लग गयी है......

श्री प्रेम कुमार : आप प्रेम कुमार को पढ़ाइयेगा ? पिछले वर्ष की तुलना में 12 हजार करोड़ राशि अधिक मिलनेवाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने....

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, जब बजट लोक सभा में पेश हुआ, वर्ष 2015-16 का जब बजट पेश हुआ तो सरकार ने चार श्रेणी रखी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए, चार जो श्रेणी रखे, महोदय, इनको कोई मतलब नहीं हैं...

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।)

अध्यक्ष महोदय, 2015-16 का जब बजट केन्द्र सरकार ने पेश किया लोक सभा में तो उसको उन्होंने चार श्रेणी में घोषित किया । पहला श्रेणी उन्होंने कहा कि जो 100 परसेंट केन्द्रांश सरकार देगी, 2015-16 के पहले भी 21 योजनायें ऐसी थी, जिसमें सौ प्रतिशत केन्द्रांश होता है और दूसरा पैटर्न उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने जो घोषणा किया, द्वितीय श्रेणी में लाया तो कहा कि हम पैटर्न बदलेंगे इसके केन्द्रांश और राज्यांश का और तीसरा और चौथा जो पैटर्न में उन्होंने कहा कि हम तीसरे, चौथे में कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को बंद करेंगे लेकिन अक्टूबर और नवम्बर में जाते-जाते उस बजट के विपरीत वित्त मंत्रालय ने परिपत्र जारी किया और वित्त मंत्रालय ने जो परिपत्र जारी किया, उसमें 100 प्रतिशत् वाली केन्द्रांश वाली जो योजनायें थीं, उसको भी उसी श्रेणी में ला दिया और केन्द्राश और राज्यांश का जो प्रतिशत् था, उसमें घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी की गयी । ऐसी 66 योजनायें हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, बाकी मैं आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रख दूंगा, जिसमें इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, कृषि से संबंधात कई योजनायें हैं बिजली से संबंधित कई योजनायें हैं तो ऐसी कई योजनायें हैं, जिनके केन्द्रांश में घटोत्तरी की गयी और राज्यांश में बढ़ोत्तरी की गयी। मैं आपकी अनुमति से उस पूरी सूची को सदन की मेज पर रख दूंगा और कुछ योजनायें हैं जिसमें उन्होंने 50 और 50 का शेयर बांट दिया । अब इसका प्रभाव पड़ा राज्य पर । 2015-16 में जो राज्य का बजट था केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के

लिए 20,102.59 करोड़ के विरूद्ध जो हमारा राज्यांश होता पुराने पैटर्न के आधार पर, वह होता 6,306.59 करोड़ लेकिन जो संशोधित पैटर्न केन्द्र सरकार ने बनाया उससे जो राज्यांश की बढ़ोत्तरी हुई, उससे हुआ 10,815.22 करोड़ अर्थात् राज्य पर 4,508.63 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वृद्धि भार पड़ा केन्द्र सरकार के इस निर्णय से।

क्रमश.....

टर्न-12/शंभु/04.04.16

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : क्रमश:.. उसी तरह से 2016-17 में अभी जो योजनाएं 2016-17 की प्रारंभ हुई है उन योजनाओं में हमारी जो केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसके लिए 22 हजार 467.36 करोड़ का बजट है । उसमें पुराने पैटर्न पर 7 हजार 5.7 करोड़ राज्यांश होता, लेकिन संशोधित पैटर्न होने कारण अब हमको 11 हजार 927.74 करोड़ रूपया राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, अर्थात् 4 हजार 917.87 करोड़ राज्य पर अतिरिक्त भार इस वर्ष पड़ेगा। ये केन्द्र के फैसले हैं इसके कारण जो केन्द्रांश और राज्यांश में कटौती हुई है, उसके कारण यह प्रभाव राज्य के वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। उसी तरह से 14वें वित्त आयोग- 13वें वित्त आयोग में जो राज्य का हिस्सा था वह 10.92 परसेंट था। 14वें वित्त आयोग में राज्य का हिस्सा मात्र 9.66 परसेंट बढ़ा और बिहार को चूंकि जो होरिजेन्टल पैटर्न बनाया, केन्द्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की राशि के बंटवारा के लिए जो होरिजेन्टल पैटर्न बनाया उसके कारण बिहार को मात्र जो वृद्धि हुई है, वह केवल 5 प्रतिशत की हुई है। जबकि दूसरे जो राज्य हैं, जो अन्य राज्य हैं उनको 30 परसेंट तक की वृद्धि मिली है। अब ये इनका नजरिया है। पुराने पैटर्न पर जो हमको मिलता, कितना मिलता हमको- पुराना जो 13वें वित्त आयोग का पैटर्न था जो हर साल बढ़ोत्तरी करके मिलता था, उस पैटर्न पर राज्य को मिलता 48 हजार 118 करोड़ रूपया और नये पैटर्न के हिसाब से मात्र हमको 50 हजार 748 करोड़ मिलेगा जो मात्र 2 हजार करोड़ रूपये का अंतर है। हमको पुराने पैटर्न पर मिलता- हम तो चाहेंगे कि केन्द्र सरकार आज भी हमारे केन्द्रांश और राज्यांश का हिस्सा बरकरार रखे और पुराने पैटर्न पर ही जो 13वें वित्त आयोग का पैटर्न था उसको चालू रखे, राज्य के हित में है। आप कह रहे हैं कि हमने आपको दे दिया, क्या दिया आपने हमको ? आपने दिया हमको 5 परसेंट की वृद्धि। इसलिए आपने जो पैटर्न बनाया, जो आपने नीति बनायी उसमें बनाया कि जंगल और वन क्षेत्र है, उसको आधार बनाया। आपने आबादी और भौगोलिक स्थिति को आधार नहीं बनाया। आपने आबादी और

भौगालिक स्थिति को आधार बनाया होता तो आज हमको उसका लाभ मिलता। आज किसी अन्य राज्यों को जो विकसित प्रदेश हैं उनको मिल रहा है 30 परसेंट की बढ़ोत्तरी और हमको मिल रहा है 5 परसेंट की बढ़ोत्तरी, ये अंतर है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि 2015-16 में जो फाइनेंसियल इयर अभी क्लोज हुआ, जो फाइनेंसियल इयर अभी बंद हुआ उसमें 7391.41 करोड़ रूपये की हानि हुई, हमको 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कारण और केन्द्रांश की कमी से हमको 4508.63 करोड़ रूपये का अतिरिक्त हमपर बोझ पड़ा- कुल मिलाकर 11 हजार 900 करोड़ रूपया राज्य पर अतिरिक्त बोझ पड़ा, तो यह अंतर है। इसके अलावा आपने आइ0ए0पी0 बंद कर दिया, इन्टीग्रेटेड एक्शन प्लान जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए होता था उसको आपने बंद कर दिया। उसमें 1500 करोड़ रूपया राज्य को मिलता था, लेकिन आपने उसको स्थायी तौर पर बंद कर दिया, यह केन्द्र का रवैया है। इसके अलावा बी0आर0जी0एफ0- अब बी0आर0जी0एफ0 के बारे में चर्चा हो रही थी बहुत से लोग कह रहे थे। बी0आर0जी0एफ0 हमको कोई दान नहीं मिल रहा था, जो बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 लोक सभा ने पारित किया था। उस विधेयक में यह प्रावधान था कि बिहार को विशेष पैकज और स्पेशल पैकेज मिलता रहेगा। उसके तहत हमको 12 पंचवर्षीय योजना में 12 हजार करोड़ रूपया स्वीकृत हुआ। ट्वेल्थ फाइव इयर प्लान में हमको 12 हजार करोड़ रूपया स्वीकृत हुआ। 1500 करोड़ रूपया, उस 12 हजार करोड़ में पुरानी जो योजनाएं चल रही थी उसके लिए कर्णांकित की गयी थी। साढ़े 10 हजार करोड़ रूपया पर हमको बी0आर0जी0एफ0 की नयी योजनाएं बनानी थी और साढ़े 10 हजार करोड़ में हमने 10765 करोड़ रूपये का विद्युत् क्षेत्र की 8 योजनाएं केन्द्र को समर्पित की। 1289 करोड़ रूपये का एलीवेटेड रोड जो एम्स से लेकर दीघा तक बन रहा है उसके लिए हमलोगों ने बी0आर0जी0एफ0 से समर्पित की। उसमें मात्र हमको 8308.67 करोड़ की विद्युत् योजनाओं की स्वीकृति मिली और 1289.25 करोड़ रूपये सड़क के क्षेत्र में जो एलीवेटेड रोड है उसके लिए स्वीकृति मिली है। अर्थात् 9597.92 करोड़ रूपया ही मात्र हमको साढ़े 10 हजार करोड़ के विरूद्ध स्वीकृति मिली। आज भी हमारा 902 करोड़ रूपया स्वीकृति हेतु शेष बचा हुआ है। हमने प्रस्तावित किया है अभी भी हमारा केन्द्र सरकार के यहां बी0आर0जी0एफ0 के लिए लंबित है- 856 करोड़ रूपया का विद्युत् प्रक्षेत्र में जो कोस्ट ओवररन हुआ उसका हमारा 856 करोड़ का प्रपोजल वहां पेंडिंग है और 351 करोड़ रूपये का जो बेली रोड पर लोहिया पथ चक्र का निर्माण होना है उसके लिए हमारी योजना पड़ी हुई है केन्द्र के पास नीति आयोग में, हमारी स्वीकृति आज तक नहीं मिली है।

2015–16 में स्पेशल प्लान बंद कर दिया गया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अथक प्रयास किया तब आरा की सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बकाया है 8282 करोड़ रूपया वह हम आपको देंगे और इस साल का जो हमारा है, चूंकि अंतिम वित्तीय वर्ष है, 12वीं पंचवर्षीय का 2016–17 अंतिम वित्तीय वर्ष है और हम आशा करते हैं और केन्द्र सरकार से यह हमारी मांग है कि हमको यह चाहिए था, विपक्ष को ये मांग राज्य सरकार के साथ शामिल करना यह राज्य के हित का था कि 2016–17 में भी हमारा जो बी0आर0जी0एफ0 का पैसा बकाया है, वह पैसा पूर्ण करना चाहिए, उसकी भरपाई जो हमारा बकाया है उसको राज्य को मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी मांग है कि बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 में चूंकि यह प्रावधान है। इसलिए बी0आर0जी0एफ0 के लिए हमारा जो इसके बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होगी उसमें भी बी0आर0जी0एफ0 और हमारा जो स्पेशल पैकेज है उस प्रोविजन को जारी रखना चाहिए ताकि बिहार जैसे प्रदेश को जो उसकी मदद है, वह मिलता रहे। इसलिए महोदय, इसके अलावा यह मैंने बताया कि बी0आर0जी0एफ0 है, 14 फाइनेंस कमीशन है या जो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के केन्द्रांश और राज्यांश के अलावा 20340 करोड़ रूपया राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में आज की तारीख में भी केन्द्र पर मेरा बकाया है। जिसमें नेशनल हाइवे की– जिसकी चर्चा सदानन्द बाबू कर रहे थे– खर्च किया नन्दकिशोर बाबू उस समय पथ निर्माण विभाग देख रहे थे, उन्हीं के कार्यकाल में 935 करोड़ रूपया खर्च हुआ एन0एच0 के रख रखाव पर, आज तक भारत सरकार नहीं दी। उसके अलावा अन्य कई विभाग है वह हम सदन के पटल पर रख देंगे, चूंकि समय का अभाव है। लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि 20340.23 करोड़ रूपया आज भी हमारा बकाया है जो प्रदेश को मिलना चाहिए।

इन सब के अलावा हम अंत में कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि बिहार इस सबके बावजूद बिहार विकास कर रहा है और बिहार का जो विकास का दर है वह नीति आयोग के अनुसार 17 प्रतिशत है जो देश में सर्वोच्च स्थान पर है। इस सबके बावजूद, यह सब अड़ंगा लगाने के बावजूद भी बिहार अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है उसका कारण है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कुशल वित्तीय प्रबंधन– आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और नीतीश कुमार जी निश्चय करते हैं, निश्चय का मतलब होता है दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प यह उसका परिचायक है। यही अंतर है और यही अंतर हमारे राज्य को आगे बढ़ाकर ले जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि अगर देश को सुधारना है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करें कि

ये भी ओरियेंटेशन कर दें केन्द्र सरकार के अधिकारियों का, मंत्रियों का । तो हम समझते हैं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनसे आग्रह करेंगे........क्रमशः।

टर्न-13/अशोक/04.04.2016

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : ...क्रमशः.. अगर प्रधान मंत्री जी उनसे आग्रह करेंगे तो वे स्वीकार कर भी लेंगे, दो-तीन दिन, ये कुशल वित्तीय प्रबन्धन, भारत सरकार के भी जो मंत्री है और जो पदाधिकारी हैं उनको माननीय मुख्मंत्री श्री नीतीश कुमार जी अगर कुछ गुर सिखा दें कुशल वित्तीय प्रबंधन का तो हम समझते हैं कि बेहतर स्थिति होगी और इस सब के अंत में मैं एक बात कहकर अध्यक्ष महोदय, समाप्त करता हूँ कि जब 16 वीं विधान सभा का गठन हुआ, तो प्रथम सत्र में जो राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे एक अनुरोध किया था, आरा में जो स्पेशल पैकेज, जिसकी चर्चा श्याम रजक जी कर रहे थे कि बोली लगाई जा रही थी, तो जो पैकेज उन्होंने एनाउन्स किया था, वह सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए विधान सभा की एक समिति बना दीजिए, हम आज भी आपसे आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय ताकि सारी बातें आ जाय और विधान सभा की एक समिति बना दें, जो पूरे मामले की मॉनेटरिंग करे । यह राज्य के हित में और प्रदेश के हित में है, यही कह कर, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुये, अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री का जो लिखित वक्तव्य प्राप्त हुआ है, वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य - परिशिष्ट द्रष्टव्य)

सरकार ने जो विशेष समिति बनाने का आग्रह किया है, आसन उस पर गौर करेगा । नियम 43 के तहत विशेष वाद-विवाद समाप्त हुआ । प्रश्नोत्तर काल ।

प्रश्नोत्तर -काल

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1969 (श्री अजीत शर्मा)

श्री आलोक कुमार मेहता : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. समाहर्त्ता, भागलपुर के द्वरा सदर अस्पताल, भागलपुर को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, एसी स्थिति वहां नहीं है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वह जो 25 एकड़ जमीन अतिक्रमित है, उसकी कीमत आपके माध्यम से बतलाना ाचाहता हूँ कि करीब पांच सौ करोड़ से ऊपर है । चिकित्सा पूरी बाधित हो चुकी है, बहुत नामी गिरामी अस्पताल था, पांच-छः जिला के लोगा वहां इलाज कराने आते थे, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो रही है, यथास्थिति बनी हुई है -यह मैं आपके माध्यम से उनको बतलाना चाहता हूँ, आप एक समय सीमा निश्चित करें कि कब तक ये अतिक्रमण हटायेंगे ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, भागलपुर शहर स्थित लोक नायक जय प्रकाश नारायण सदर अस्पताल को अपना जमीन अंचल रसीद कुल 7.4475 हैक्टेयर जमीन है, जिसमें से आधे से अधिक जमीन एवं सरकारी भवनें अतिक्रमति है । इस संदर्भ में जिलाधिकारी, भागलपुर को निर्देश दिया गया था मुक्त कराने के लिए-पत्रांक 4250 दिनांक 28.12.2015 के द्वारा तो अनुमण्डला पदाधिकारी, सदर और अंचलधिकारी, जगदीशपुर के माध्यम से सदर अस्पताल, भागलपुर को अतिक्रमण मुक्त कराने के संदर्भ में, कार्रवाई शुरू की गई थी, ऐसा कहा गया था । दो दिन पहले जिलाधिकारी से बात करके और उसके बाद, हमारे पदाधिकारियों ने बात कीं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वह अतिक्रमण की प्रक्रिय शुरू हो गई है, जल्द से जल्द अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जायेगा ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय,

श्री सदानन्द सिंह : एक पूरक ।

अध्यक्ष : अब अजीत जी नहीं पूछेंगे क्या ? आपको पूछना है तो पूछ लीजिए ।

श्री अजीत शर्मा : जमीन से सिर्फ अतिक्रमण हटाने की बात नहीं है, मंत्री महोदय यह बताये कि वहां पर चिकित्सा की सेवा, जो बहुत इम्पौर्टेन्ट है, आज भवन भी, बहुत सारे विभाग के भी अतिक्रमित हुये हैं, उनके द्वारा कब तक सेवा बहाल करेंगे अतिक्रमण हटाने के बाद ? जवाब दें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : मैंने कहा कि वहां सिर्फ जमीन नहीं, भवन भी अतिक्रमित हैं । इसलिए इस बात का संज्ञान लिया गया है और जिलाधिकारी द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द खाली कराया जायेगा - भवन सहित जमीन ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बतायेगी कि सरकार के संज्ञान में अतिक्रमण की जानकारी कब मिली और कार्रवाई कब से प्रारम्भ की गई ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, पत्र दिसम्बर, 2015 में लिखा गया था । इसलिए मैं समझता हूँ ..

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले 15-20 वर्षो से अतिक्रमित है और 15-20 वर्षों से और शहर के बीचो-बीच अपराधकर्मियों द्वारा अतिक्रमित किया गया है और सरकार के सामने है सबकुछ और इस तरह का नेग्लीजेंस सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा हो रहा है- ये बतायें एक निश्चित तिथि कि कब तक उस अतिक्रमण को, उस जमीन को भूमि को अतिक्रमण से सुक्त करायेंगे और अस्पताल पुनः चालू कर देंगे ?

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है कि ...

श्री सदानन्द सिंह : न, न, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय यह टालने की बात है । 25, 30 वर्ष से वह अतिक्रमित है- मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, यह सरकारी पदाधिकारियों का नेग्लीजेंस है, इसकी तो जांच होनी चाहिए । इतना बड़ा, बीच में हॉस्पीटल है, बेकार पड़ा हुआ है, अपराधकर्मियों का अड्डा बना हुआ है । ये बतायें निश्चित तौर पर, तिथि निर्धारित करें और बतायें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, दो महीना में इसको खाली करा दिया जायेगा ।

श्री सदानन्द सिंह : हॉस्पीटल कब से चालू करवाइयेगा ? बिल्डिंग बनी हुई है, हॉस्पीटल चालू करवाइयेगा तब न भागेगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : खाली होने के बाद बाकी ऑपरेशन शुरू किया जायेगा ।

श्री सदानन्द सिंह : अतिक्रमण से मुक्त करायेंगे दो महीना में, चालू करा दीजिए उसके दो-तीन महीना बाद ?

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-2635, श्री सरोज यादव ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, नहीं हुआ । महोदय, इसको टाला न जाय ।

अध्यक्ष : हो गया । दो महीना में अतिक्रमण मुक्त हो जायेगा जो प्रश्न में पूछा गया है ।

श्री सदानन्द सिंह : और हॉस्पीटल कब से चालू हो जायेगा ?

अध्यक्ष : यही हुआ, प्रश्न में पूछा गया है कि कब तक अतिक्रमण से सरकार मुक्त करायेगी, सरकार ने कहा कि दो महीना में अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2635(श्री सरोज यादव)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, इसके लिए समय चाहिए ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1754 (श्री जिवेश कुमार)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद सादव : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. लगभग 40 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है ।

3. एक घंटा से कुछ समय लगता है ।

4. थाने स्तर पर मिक्स्ड टेकनॉलॉजी आधारित अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराया जाता है, मिक्स्ड टेकनौलॉजी की वाहन की चेसिस क्रय कर ली गई है, फेब्रिकेशन हेतु निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । जाले थाने पर मिक्स्ड टकनौलॉजी आधारित अग्निशामक वाहन उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

श्री जिवेश कुमार : मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना है कि जाले थाने पर यह फायर बिग्रेड की गाड़ी कब उपलब्ध कराई गई है? हमारे यहां महोदय, तीन थाना है- जाले, कमतौल और सिंघवाड़ा । अभी आग लगी है जाले में, पतैइला में, सनाहपुर में, मस्सा में, बेलवारा में, रत्नपुर में, सहसपुर में, जोगियारा में, सोतिया में- सैकड़ों घर जल कर राख हो गये । सरकार के सी.ओ.साहब पहुंचते हैं, खानापूर्त्ति होती है, उसको चार मीटर पन्नी और तीन मीटर कपड़ा दे दिया जाता है । किसी का बसा हुआ घर दस हजार में आबाद नहीं हो सकता है हुजूर । और जब दरभंगा से गाड़ी चलती है तो जाले पहुंचने में, सिंघवाड़ा पहुंचने में एक घंटा से ऊपर का समय लगता है । दरभंगा, जिस स्थल पर गाड़ी लगती है उस स्थल से हाई वे पर गाड़ी आने पर आधा घंटा, पैतालिस मिनट से ऊपर समय लग जाता है- यह जनहित में बहुत ही महत्पूर्ण सबजेक्ट है, हम मंत्री महोदय से चाहेंगे कि तीनों थानों पर तीन फायर बिग्रेड गाड़ी अविलम्ब मुहैया करायें- अभी तो अगलग्गी का समय शुरू हुआ है, आगे बहुत काम बाकी है । आश्वासन चाहेंगे मंत्री महोदय से आपके माध्यम से।

अध्यक्ष : ठीक ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1902(श्री ललन पासवान)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1. वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य में सिपाही का कुल 67,848 पद स्वीकृत है, स्वीकृत पदों के विरूद्ध 59,546 सिपाही कार्यरत्त है । इसमें कुल अनुसूचित जाति के9,554 और अनुसूचित जन जाति के 1,648 सिपाही कार्यरत्त है । क्रमशः

टर्न-14-04-04-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : 2- स्वीकारात्मक है ।

3-वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञापन संख्या 1/2014 के माध्यम से 11,464 पदों पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नियुक्ति की गयी है पुनः

रिक्त पदों को भरने हेतु रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा रही है । रोष्टर क्लियरेंस के पश्चात् रिक्ति की स्थिति स्पष्ट होगी ।

4-वस्तुस्थिति यह है कि रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात् कोटिवार रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन परिषद् , सिपाही भर्त्ती से अनुरोध किया जायेगा ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 59 हजार सिपाही हैं । 2009 मे, मैं मांगा था उस समय आशीष रंजन जी डी0जी0 पी0 थे तब उस समय 17 प्रतिशत आरक्षण है अनुसूचित जातियों का जिसमें अनुसूचित जाति का 16 और 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का । पूरे बिहार में 3 लाख 65 हजार बैक लौग खाली है अन्य विभागों में और हम सिर्फ सिपाही का पूछे हैं । राज्य में मैंने कहा, कोई सम्वर्ग नहीं जिसमें आरक्षण का कोटा बकाया नहीं है । डी0एस0पी0 में 4405 डी0एस0पी0 हैं जिसमें मात्र 44 .....

अध्यक्ष : अभी आरक्षी बल के बारे में पूरक पूछ लीजिये ।

श्री ललन पासवान : पूछ रहे हैं , एक मिनट तो बोलने दीजिये । अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ कि हम सिर्फ आरक्षी बल के बारे में पूछ रहे है, वैसे गृह विभाग के सभी सम्वर्गों में . . .

अध्यक्ष : फिर आप सभी सम्वर्गों में जा रहे हैं !

श्री ललन पासवान : सभी सम्वर्गों में रिक्तियॉ हैं । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 16 प्लस 1 बराबर 17 प्रतिशत के आलोक में सरकार कबतक समय निर्धारित करके बतावे कि सरकार कबतक बैक लोग भरने का विचार रखती है , तिथि निर्धारित करके बताये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैंने तो उत्तर दिया कि अबतक जितनी नियुक्ति हुई है उसमें आरक्षण नियम का अक्षरशः पालन किया गया है, जहॉ तक रिक्तियों का प्रश्न है तो अब जो रिक्तियॉ उसका रोस्टर क्लियरेंस चल रहा है, रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद चयन आयोग को अनुरोध पत्र भेजा जायेगा कि वह नियुक्ति की कार्रवाई करे और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आजादी के 67 साल गुजर गए, 68 साल गुजर गए, यह सरकार हमारी है कि इनकी है, कि किनकी है एक संस्था है , कंस्टीच्युशनली एक संस्था है जिन लोगों ने , जो सरकार आयी अभी तक हमारा बैक लौग नहीं भरा और ये रोस्टर क्लियरेंस का काम 67-68 वर्षो से चल रहा है । कोई नियम कानून तो होगा सरकार के पास कोई समय तो निर्धारित करे सरकार कि रोस्टर क्लियरेंस सभी सम्वर्गो में , मात्र सिपाही

सम्वर्ग, आरक्षी बल का पूछा हूँ कबतक समय सीमा के अंदर रोस्टर क्लियरेंस करके और रिक्त पदों के बैकलौग को कबतक भरेगी ? मैं यही सवाल मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ । टालने का सवाल नहीं है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : जल्द ही रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई संपन्न कर ली जायेगी और भर्त्ती की प्रक्रिया भी आरम की जायेगी ।

श्री ललन पासवान : समय सीमा तो बतायें ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, राज्य की बड़ी आबादी अनुसूचित जाति के 16 फी सदी लोग हैं और जनजाति के 1 परसेंट लोग राज्य में रहते हैं ओर सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कबसे और कितना पद रिक्त, जिसकी चर्चा आपने की है हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि राज्य में रहने वाले जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है और बैक लौग लम्बे समय से है तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जैसा कि ललन जी ने कहा माननीय सदस्य ने तो आप समय बताईये कि कितने महीने में इस रोस्टर बैक लौग को पूरा करने का काम करेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : नहीं महोदय, नेता विरोधी दल ने दो प्रश्न पूछा - एक पहला उन्होंने कि आरक्षण नियम का पालन जब ये लोग हैं तो क्यों नहीं हो रहा है तो महोदय, मैं बताता हूँ कि 67,848 पद के विरुद्ध 59,546 सिपाही कार्यरत हैं इसमें अनुसूचित जाति के 9,554 और अनुसूचित जन जाति के 1,664 सिपाही हैं जो क्रमशः 16.04 परसेंट जबकि 16 परसेंट ही होता है , .04 परसेंट अतिरिक्त है और 1 परसेंट के अंगेस्ट में 2.76 परसेंट अनुसूचित जनजाति का है और जैसा मैंने कहा कि बची हुई रिक्तियाँ हैं उसको भी भरेंगे और रोस्टर क्लियरेंस होते ही उसको भी अविलम्ब विज्ञापन निकाल दिया जायेगा ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मेरा कहा है कि जो बैक लौग है अनुसूचित जाति और जनजाति का और जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसी रोस्टर के हिसाब से लेकिन अमूमन यह देखा जाता है महोदय, कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की जगह पर अनुसूचित जाति और जन जाति के अभ्यर्थियो को भी ले लिया जाता है तो जिस वर्ग के लिए आरक्षित सीट हैं उसी वर्ग के अभ्यर्थियों से यह सीट रोस्टर के हिसाब से भर्त्ती किया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, आरक्षी में आरक्षण में कोई रिक्तियाँ नहीं हैं और नये सिपाही के जो पद क्रियेट हुए हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है ।

अध्यक्ष : इस जवाब की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2768 (डॉ0 (मो0) जावेद)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : 1- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि इस संबंध में फुलवारीशरीफ थाना काण्ड संख्या - 74/16 दिनॉक 07-02-16 द्वारा 395/ 397 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 7-8 अपराधकर्मियों के विरुद्ध दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में पूरा परिवार मिल्लत कॉलोनी थाना -फुलवारीशरीफ में रह रहे है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा लगातार काण्ड के उद्‌भेदन का प्रयास जारी है । विधि विज्ञान प्रयोगशाला एम0एस0सी0डी0आर0 एनालिसिस की कार्रवाई की जा रही है । पूर्व में डकैती लूट के काण्डों के आरोपियों के विरुद्ध छापामारी की गयी है । घटना के दिन से ही वादी के घर पर दो पिस्टल युक्त सिपाही की प्रतिनियुक्ति की गयी है । उस क्षेत्र में लगातार गश्ती की व्यवस्था की गयी है ।

डॉ (मो0) जावेद : अध्यक्ष महोदय, यह घटना दो महीना पुरानी है और बड़े अफसोस की बात यह है कि नसीर अंसारी साहेब पुलिस के रिटायर्ड इंसपेक्टर रह चुके हैं । इस घटना के बाद उनको घर छोड़कर जाना पड़ा । माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि गश्त हो रही है वहॉ तो दो दिन पहले तक कुछ नहीं हो रहा था । ये दो तीन दिन पहले ही से गश्त हो रहा है । इनके घर छोड़ने के बाद एक नजमी साहेब हैं , जो हाई कोर्ट में काम करते थें उन्होंने भी देखा देखी घर छोड़ दिया और नये घर बने हुए है, वहॉ लोग नहीं आ रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि इतना गंभीर आरोप है पुलिस के खिलाफ और उसपर अभीतक क्या कार्रवाई हुई, अभी तक क्यों नहीं डकैत पकड़ा गया ? पुलिस क्या कर रही है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने कहा महोदय, उनके साथ दो पिस्टल धारी सुरक्षा गार्ड प्रतिनियुक्त हैं और गश्ती की जा रही है और सघन छापामारी भी की जा रही है । अनुसंधान के अंतर्गत केस है ।

डॉ0 (मो0) जाावेद : अध्यक्ष महोदय, चूँकि मैंने अभी बताया है कि इनके अलावे नजमी साहेब ने भी अपना घर छोड़ दिया तो क्या सरकार वहॉ पर एक पुलिस पिकेट लगवाने का विचार रखती है ताकि पूरे कॉलोनी में जो दहशत है, वह खतम हो सके और सर, अफसोस की बात यही है कि यही सब मुद्दे है जिसकी वजह से हमारे साथियों को मौका मिल जाता है बिहार के बारे में चर्चा करने के लिए तो इसलिए

मैं जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से कि क्या वहाँ पुलिस पिकेट लगवाने का विचार रखते हैं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, इसको सरकार देखवा लेगी । आवश्यकता होगी तो कार्रवाई की जायेगी।

डॉ0 (मो0) जावेद : ये कबतक देखवा लेंगे क्या हम इंतजार करेंगे कि पूरी कॉलीनी वहाँ खाली हो जाय ? कोई समय सीमा तो विचार करें । सर, जवाब संतोषजनक नहीं हुआ । मेरा जवाब नहीं आया सर ।

अध्यक्ष : जावेद जी , सरकार ने आपको कहा कि जिनके यहाँ यह घटना घटित हुई थी, उनके यहाँ दो दो गार्ड भी नियुक्त कर दिया है , गश्ती की जा रही है, आपने सुझाव दिया पिकेट करने का तो उसको सरकार ने कहा कि देखवा लेगी तो और क्या चाहते है ?

डॉ0 (मो0) जावेद : सर, वहाँ वापस अपने घर पर नहीं आ रहे हैं , वे किराये के मकान में चले गए हैं ।

टर्न-15/विजय/04.04.16

तारांकित प्रश्न संख्या-2769 श्री अजीत शर्मा

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः महोंदय, खंड 1.2. एवं 3 :- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिलाधिकारी, पटना का पत्रांक 1298 दिनांक 01.03.2000 इस विभाग को अप्राप्त है । वस्तुतः जिलाधिकारी, पटना का पत्रांक 1298 दिनांक 01.08.2000 उपलब्ध हुआ है । इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम रूपस कमरा में हुई नौका दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को सरकारी अनुदान एवं नियुक्ति संबंधी मार्गदर्शन की मांग की गयी है । नौका दुर्घटना में मृतक परिवार के आश्रितों को प्रति परिवार पचास हजार रूपया के दर से भुगतान किया जा चुका है । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रत्ति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना संख्या-1198 दिनांक 26.03.10 में मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान नहीं है ।

श्री अजीत शर्माः धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2770 श्री चंदन कुमार

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुसरीधरारी थाना कांड संख्या-333/15 17.10.15 द्वारा धारा 394 भा0द0वि0 के अंतर्गत 4

अपराधकर्मियों के विरूद्ध मुसरीधरारी से छड़ लदा ट्रक लूट कर भागने के संबंध में दर्ज है । साथ ही दिनांक 17.10.15 को खगड़िया जिला के अलौली थाना के सामने अन्नु ट्रेडिंग के पास सहन जमीन पर कांड का सामान अनलोड किया गया । इस संबंध में अलौली कांड संख्या–251/15 दिनांक 17.10.15 धारा 412, 414, 34 भा0दं0वि0 दर्ज है । मुसरीधरारी थाना कांड संख्या–131/15 के अनुसंधान पर्यवेक्षण से यह कांड 395/412 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अप्राथमिक अभियुक्त 1, पप्पू यादव, 2. राकेश यादव, 3. टिंकु राय, 4. संतोष कुमार, 5. सुजीत कुमार, 6. पंकज यादव, 7, उमेश कुमार उर्फ अन्नु, 8.दीपक राय, 9. गंगो यादव, 10. अखलदेव यादव के विरूद्ध सच पाया गया । इस प्रकार अलौली थाना कांड संख्या–151/15 में छड़ अनलोड करने पर अन्नु ट्रेडिंग स्टाफ द्वारा मना करने की बात प्रकाश में नहीं आयी।

2. अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष अलौली सुनील कुमार सहनी अ0नि0 द्वारा उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के क्रम में अन्नु ट्रेडिंग के मालिक श्री उमेश कुमार को मिलीभगत से लूट का छड़ खरीदार की बात प्रकाश में आने पर अलौली थाना कांड संख्या 251/15 नामित किया गया है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि छड़ दुकान से सीधे बरामदगी नहीं हुई परंतु छड़ लूटेरों एवं जप्त ट्रक चालक क्रमशः सुजीत कुमार, दीपक राय द्वारा स्वीकार किया गया है कि कामधेनु कंपनी का छड़ बेचने के लिए अन्नु ट्रेडिंग पर पप्पू यादव एवं राकेश कुमार यादव लाये हैं । जिस छड़ को पंकज यादव के माध्यम से बेचा गया ।

4. वस्तुस्थिति यह है कि अलौली थाना कांड संख्या–251/15 श्री कुमार के विरूद्ध सच पाया गया है । तत्कालीन थानाध्यक्ष अ0नि0 सुनील कुमार सहनी द्वारा मुसरीधरारी थाना क्षेत्र से लूटी गयी ट्रक एवं छड़ को जप्त कर यथोचित कार्रवाई की गई है ।

श्री चंदन कुमारः अध्यक्ष महोदय, लगभग अन्नु ट्रेडिंग का दूकान दस वर्षो से अलौली में चल रहा है जस्ट थाना के सामने । और मार्केट से किसी प्रकार का वहां कोई अन्नु ट्रेडिंग के उपर कहीं कोई मतलब किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा था । अलौली थाना के ठीक सामने यह दूकान है । तो फिर कोई दूकानदार सड़क के किनारे दूसरे व्यक्ति के खाली जमीन पर चोरी का ट्रक अनलोड कर दे इसका हिम्मत कैसे रखेगा। चोरी का नीयत यदि रहता तो वह अपने गोदाम में रखता न कि थाने के सामने बाजप्ता छड़ का ट्रक लेकर बेच पाता ।

अध्यक्षः आपका पूरक क्या है ?

श्री चंदन कुमारः जी, पूरक है । सदर डी0एस0पी0 द्वारा सुपरविजन किया गया है जो स्थानीय लोगों से बयान लिया गया सभी को निर्दोष बताया परंतु उस बयान का कोई जिक्र अपने रिपोर्ट में नहीं किया गया है । मनगढ़ंत बयान के आधार पर इसको सच करार दिया गया है । अतः इसकी जांच डी0आइ0जी0 या आई0जी0 स्तर से करायी जाय ।

अध्यक्षः ठीक है । प्रश्न संख्या-2771

श्री नंदकिशोर यादवः महोदय, इस पर तो जवाब ही नहीं आया सरकार का ।

अध्यक्षः सुझाव दिया है, सवाल नहीं पूछा है ।

श्री नंदकिशोर यादवः मैं पूछ देता हूं । महोदय, माननीय सदस्य ने इस विषय को उठाया है उसमें माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं भी स्वीकार किया है इस बात को कि जो छड़ की बरामदगी हुई है उस व्यक्ति के दूकान से नहीं हुई है और छड़ की बरामदगी दूसरे व्यक्ति की जमीन से हुई है । पूरे उस इलाके में उस दूकानदार की अच्छी छवि रही है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं तो एक आशंका पैदा हो रही है कि थानाध्यक्ष मिलकर के कहीं उसको फंसाना नहीं चाहता हो । माननीय सदस्य का जो डिमांड है मैं भी चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस पूरे मामला का जो दुविधा पैदा हो गयी है पूरे मामले के निष्पक्ष निष्पादन के लिए डी0आइ0जी0/आई0जी0 से जांच करायेंगे?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, मैंने एक जिक्र और भी किया कि सुजीत कुमार और दीपक राय ने स्वीकार किया यह छड़ वहां से लाकर दूकान में बेचा गया है यह कन्फेशनल स्टेटमेंट है । इसलिए जांच की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री नंदकिशोर यादवः आवश्यकता इसलिए है महोदय, अपराधी की बात तो स्वीकार कर रहे है लेकिन जो थानाध्यक्ष है उस पूरे इलाके में लोगों से राय ले लिया उसको कहीं रिपोर्ट में दर्ज नहीं कर रही है । इसलिए वहां संशय की स्थिति पैदा हो रही है । आपको जांच कराने में क्या है, थोड़े ही कह रहे हैं कि किसी को छोड़ दीजिये । आप आई0जी0/डी0आई0जी0 किसी से जांच करा दीजिये । निष्पक्ष जांच करा दीजिये बात खत्म हो जाती है। जो जांच रिपोर्ट में आये कार्रवाई कीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः ठीक है महोदय एस0पी0 को निदेश दिया जाएगा ।

श्री नंदकिशोर यादवः एस0पी0 का रिपोर्ट टू करके भेजा न डी0आई0जी0 से करा दीजिये न ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः ठीक है । डी0आई0जी0 से करा देंगे कोई एतराज नहीं है।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2771श्री सुबोध राय</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, क. भागलपुर जिलान्तर्गत जोगसर ओ0पी0 को थाना में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जा रही है ।

ख. खंड क में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री सुबोध राय:महोदय, ये समीक्षा का काम बहुत दिनों से चल रहा है । मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बहुत पहले ही यह पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय बिहार, पटना पत्रांक 551 दिनांक 16 मई, 2008 से ही और उस पर विभिन्न जो समीक्षात्मक कार्य किये गये हैं सभी स्तरों पर बड़े बड़े अधिकारियों से उसके आलोक में पुलिस महानिरक्षक के सहायक निरीक्षक, गृह आरक्षी विभाग से अनुरोध किया है कि भागलपुर जिला के कोतवाली थाना के जोगसर टी0ओ0पी0 को उत्क्रमित करते हुए जोगसर पुलिस थाने को सृजित करने हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा की जाय । यह 2008 में ही हुआ । इस बीच में भागलपुर के एस0एस0पी0 से कई रिपोर्टे मांगी गयी अपराध की स्थिति के बारे में, स्टाफ के बारे में, जगह के बारे में कई रिपोर्टें भेजी गयी ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री सुबोध राय:इसके बावजूद महोदय अभी तक उस पर कोई कार्रवाई स्वीकृत्यादेश के लिए नहीं हो रही है । मेरा सरकार से यही प्रश्न है कि क्या भागलपुर एस0एस0पी0 के लेटेस्ट रिपोर्ट को देखते हुए और जो भी क्वेरी किया गया है सारे प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार जोगसर ओ0पी0 को कब उत्क्रमित करने का थाना में विचार रखती है इस संबंध में बतायें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, कुछ क्वेरी किये गये हैं उसके जो मापदंड हैं कितना केस दर्ज हो रहा है, वर्तमान थाना से उसकी दूरी कितनी है, जगह वहां उपलब्ध है कि नहीं ये क्वेरी किया गया है महोदय उनसे आइ0जी0 से 27.11.15 को वह क्वेरी का रिपोर्ट इन डिटेल आ जाने के बाद उस पर गंभरीतापूर्वक विचार कर अपेक्षित निर्णय लिये जायेंगे ।

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, मापदंड तो तय करना पुलिस अधिकारियों का काम है । पुलिस अधिकारी मांग कर रहे हैं तो आखिर किसके मापदंड पर ये काम होगा मैं जानना चाहता हूं ।

टर्न-16/राजेश/4.4.16

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव:- महोदय, ओ0पी0 अपग्रेड करना, थाना का निर्माण, यह गृह विभाग का दायित्व है, पुलिस आई0जी0 से इनक्वायरी किया गया है गृह विभाग के द्वारा, मैंने माननीय सदस्य को कहा, उसके बाद समीक्षा करके कार्रवाई की जायगी।

अध्यक्षः- ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्याः-2772 (श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के भोरहा एवं घघरी गॉव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु प्रखंड स्तर पर चयन प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होती है और उसे क्रमबद्व ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है।

श्री अचमित ऋषिदेवः- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि रानीगंज प्रखंड के भोरहा एवं घघरी पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग हैं, वहॉ लोग बसते हैं और कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से लोगों के बीच कब्रिस्तान की जमीन को ले करके कई बार झड़प भी हो गया है, यह मेरे घर के बगल में है और लोगों के द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण भी किया जा रहा है और इसके चलते आपस में तनाव एवं झड़प हो जाता है, इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि प्रथम प्राथमिकता के आधार पर घघरी एवं भोरहा पंचायत के कब्रिस्तान का घेराबंदी कराने का निदेश दिया जाय।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया है, जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मॉगने के बाद, अगर उसमें संवेदनशीलता होगी, तो उसको प्राथमिकता सूची में करने का निदेशित किया जायेगा।

डा0 रवीन्द्र यादवः- महोदय, मेरा भी प्रश्न है ....(व्यवधान)

अध्यक्षः- आपका इसमें क्या है, आप झाझा से अररिया कैसे जा रहे है ?

डा0 रवीन्द्र यादवः- महोदय, अररिया जिला से ही संबंधित मेरा प्रश्न है। महोदय, अग्नि संस्कार के लिए श्मशान घाट पर लोगों को चार से छः घंटे रहना पड़ता है और उसी जिले में बहुत से श्मशान घाट हैं, तो क्या सरकार वहॉ पर चार से छः घंटे अग्नि संस्कार करने के लिए जो भाई जाते हैं, उनके लिए जन सुविधा और उनकी सुरक्षा का इंतजाम सरकार करना चाहती है ?

अध्यक्षः- तारांकित प्रश्न संख्या-2773 ।

डा0 रवीन्द्र यादवः- महोदय, सरकार से इसपर उत्तर तो दिलवा दिया जाय।

अध्यक्षः- आप उत्तर स्वयं जानते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्याः- 2773 (डा0 रंजु गीता)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- महोदय, 1:- उत्तर स्वीकारात्मक है।

2:- उत्तर स्वीकारात्मक है।

3:- स्वर्गीय महानुभावों की प्रतिमा स्थापित हेतु अनुशंसा देने के लिए विभागीय संकल्प संख्या-730 दिनांक 30.4.07 द्वारा राज्यस्तरीय अन्तर विभागीय समिति और जिला स्थल पर जिला स्थल चयन समिति का गठन किया गया है। राज्य के किसी भी जिला में प्रतिमा स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पर जिला स्थल चयन समिति के प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्यस्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में प्रतिमा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष:- प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गयी ।

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता आंदोलन में महोदय 1942 में और अमर शहीद रामफल मंडल जी के संबंध में महोदय, उनको फॉसी की सजा हुई थी, आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका थी, इनको फॉसी की सजा हुई थी, इसलिए सरकार यह बताये कि जिला स्तरीय कमिटी से और राज्यस्तरीय कमिटी से अनुशंसा कराकर कब तक प्रखंड में मूर्ति लगाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष:- सरकार ने माननीय सदस्या का प्रश्न खारिज कहॉ किया है ? सरकार ने तो प्रक्रिया बतायी है, उस प्रक्रिया से इसपर विचार होगा।

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, प्रक्रिया के बारे में ही तो कह रहा हूँ। महोदय, राज्य सरकार बता दें कि कब तक प्रक्रियाओं को पूरा करके बाजपट्टी में अमर शहीद रामफल मंडल जी का मूर्ति लगाने का विचार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव:- महोदय, मैंने जिक्र किया, यह प्रक्रिया कब निर्धारित की गयी, तो दिनांक 30.4.2007 को, उस समय कौन विभाग के मंत्री थे आप ?

महोदय, जिला में ये आवेदन दें जो प्रश्न है और जिला समिति अनुशंसा करके यहॉ भेजेगी, तब सरकार उसपर विचार करेगी।

श्री नंदकिशोर यादव:- महोदय, रामफल मंडल जी, अति पिछड़े समाज से आते थे और देश की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है महोदय, आज भी धानुक समाज के लोग उनको पुरोधा मानते हैं और आज भी उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं,उनकी मूर्ति तो पटना में भी लगाने की मांग हो रही है महोदय, लेकिन माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है, भले ही वह प्रखंड कार्यालय में मांग किया हो और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है महोदय, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो जनभावना है, अति पिछड़ा समाज के इतना बड़ा शहीद, जिनको फॉसी की सजा दी गयी, उनकी मूर्ति लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है,

तो सरकार भी इसपर पहल कर सकती है महोदय, जिलाधिकारी को कह सकते हैं कि इस विषय को देखें और यह ठीक है, तो इसको लगाये।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- महोदय, मैंने प्रक्रिया बतायी, माननीय सदस्या से मैंने भी कहा कि जिला पदाधिकारी के यहॉं एक आवेदन दिया जाय, उसकी चयन का जो मापदंड है, उसके अनुसार वह भेजेगा, तो सरकार इसपर विचार करेगी।

श्री नंदकिशोर यादवः- महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि यह जो माननीय सदस्या को कह रहे हैं जिला पदाधिकारी को कहने के लिए , महोदय, सदन की भावना को देख करके क्या माननीय मंत्री महोदय नहीं कह सकते हैं कि वे इस मामले को देख लें।

अध्यक्षः- उन्होंने तो बता दिया।

डा0 रंजु गीताः- महोदय, ...(व्यवधान)

अध्यक्षः- आप तो अपना समय गॅवा दी ।

तारांकित प्रश्न संख्याः-2774 (श्री सरोज यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- महोदय, 1:- वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत कुंवर सिंह कॉलेज आरा में प्रबंध समिति में अनुदान वितरण में अनियमितता से संबंधित परिवादी श्री उमाशंकर सिंह का परिवाद पत्र निगरानी विभाग पत्रांक-924 दिनांक 8.3.15 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है। शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-769 दिनांक 14.5.15 के अनुसार मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु कुल सचिव, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को निदेशित किया गया है। पुनः इस संबंध में परिवादी उमाशंकर सिंह एवं अन्य से प्राप्त परिवाद को विभागीय समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक- 1481 अ0नु0 दिनांक 5. 5.15 द्वारा निगरानी अनुवेषण ब्यूरो, पटना को जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है, सम्प्रति मामला जांचाधीन है।

2:- उपर्युक्त खण्ड 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री सरोज यादवः- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूॅं कि जिस व्यक्ति को उस कॉलेज में अध्यक्ष एवं सचिव बनाया गया है,वह व्यक्ति पूर्व से ही पटना जंक्शन रेल थाना कांड संख्या-2998 में पोस्टल ऑर्डर घोटाले में संलिप्त थे, उनपर सी0बी0आई0 की जांच चल रही है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से यह जानना चाहता हूॅं कि क्या आज तक, उनपर 2009 से सी0बी0आई0 जांच ही चल रही है और आज तक कोई जांच रिर्पोट भी नहीं मिला, कुछ पता भी नहीं चला।

दूसरी बात यह कि एक ही परिवार के तीन व्यक्ति गलत ढंग से डोनर बनकर 25-25 हजार रुपया दे करके और उस कॉलेज में सचिव और अध्यक्ष बनकर और उस कॉलेज में सरकार के द्वारा जो भी दी जाती है राशि, उसका गबन किया जाता

है और इतना ही नहीं उसको फर्जी तरीके से कॉलेज का भवन बनाने के नाम पर फर्जी बिल बना करके पैसा का निकासी किया जा रहा है और तीसरी बात यह है कि......(व्यवधान)

अध्यक्षः- पूरक पूछ लीजिये।

श्री सरोज यादवः- महोदय, उनके नजदीकी संबंधी द्वारा आरा में वीर कुंवर सिंह मेमोरियल सेवा एवं शोध संस्था बना करके, उसको निजी आवासीय टोला आरा में बना करके, उसमें रह रहे हैं और कॉलेज के 35 कर्मियों को बिना वजह जो कि शुरु से ही उस कॉलेज में सेवा कर रहे थे, बिना वजह उनपर आरोप लगा करके, झूठा आरोप लगा करके, कॉलेज से निकाल दिया गया है, आज स्थिति ऐसा है कि ....(व्यवधान)

अध्यक्षः- सरोज जी, आप क्या चाहते हैं ?

श्री सरोज यादवः- महोदय, हम कार्रवाई चाहते हैं।

अध्यक्षः- आप पूछिये न ।

श्री सरोज यादवः- हम चाहते हैं कि निगरानी अनुवेषण ब्यूरो को दिया गया था 5.5.2015 को ही, मगर आज तक उसपर कार्रवाई नहीं हुई है, उसकी स्थिति यह है कि आज 35 बेरोजगार शिक्षक घूम रहे हैं रोड पर, तो इनपर कब तक कार्रवाई होगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह इसीतरह से चलते रहेगा, माननीय मंत्री जी मुझे बताये कि कब तक कार्रवाई करेंगे ?

टर्नः 17/कृष्ण/04.04.2016

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : हम इसकी व्यापक समीक्षा जल्द-से-जल्द करके निर्देश देंगे ।

श्री सरोज यादव : महोदय, लोग रो रहे हैं । इसलिए मुझे समय-सीमा बता दिया जाय कि कबतक कार्रवाई की जायेगी ? इस तरह तो सालों-साल चलता रहेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सरोज जी, सरकार ने समय के साथ-साथ कहा है कि जल्द ही करायेगी। साथ ही कहा है कि व्यापक समीक्षा करेंगे तो व्यापक समीक्षा में, आपने जितनी बातों को उठाया है, सब उसमें आ जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह गंभीर प्रश्न है और माननीय सदस्य तो केवल समय-सीमा चाहते हैं । सरकार को समय-सीमा बताने में क्या कठिनाई है ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 2775 (श्री नीरज कुमार)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि चेमली प्रखंड में श्री श्री 108 ठाकुरबाड़ी मंदिर से दिनांक 28/29जनवरी,2014 की रात्रि में मूर्तियों की चोरी हुई थी। इस संबंध में कुरसैला थाना कांड संख्या 16/14 दिनांक 29.01.2014 धारा 160/161/379 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है। कांड में संलिप्त 4 प्राथमिकी नामजद

अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा उनके विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित किया गया है। चोरी गये मूत्तियों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं ।

श्री नीरज कुमार : महोदय, तत्कालीन थानाध्यक्ष ने एक सप्ताह का समय लिया था । 8 पंचायतों का वह प्रखंड है । भारी सभा हुई थी, भारी भीड़ हुई थी । लोगों का वह आस्था का केन्द्र है । ठाकुरबाड़ी के जो ट्रस्टी हैं, इस केस में वह खुद वादी बने है। उसमें पूरा लूट-पाट मचाये हुये है । महोदय, हमको नहीं लगता है कि इसकी जांच बिहार पुलिस से संभव है । शायद पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मूर्त्ति चोरी का हम अलग तरह की जांच करायेंगे । तो हम चाहेंगे कि इसको विशेष जांच में शामिल कराया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, इसमें चार आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं । चार्जशीट इसमें सबमिट हो गया है । अब मूर्त्ति बदामदगी के लिये प्रयास जारी है । इससे ज्यादा क्या कार्रवाई हो सकती है ।

श्री नीरज कुमार: महोदय, उसकी करोड़ों की लागत है ।

अध्यक्ष : वही सरकार ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 2776 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह)</u>

श्री विजेन्द्र प्र0सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड के डकरा इंगलिश कब्रिस्तान की घेराबांदी जिला के प्राथमिकी सूची में क्रमांक 13 पर शामिल है । उक्त सूची के क्रमाक 12 तक कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना ले ली गयी है । अब 13वां भी लिया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 2777 (श्री रामदेव राय)</u>

श्री विजेन्द्र प्र0 यादव : महोदय, 1 एवं 2 : वस्तुस्थिति यह है कि बिहार रक्षा वाहिनी कर्मियों की सेवा शर्त्त के संबंध में बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली,2005 एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी (संशोधन) नियमावली,2010 गठित है, जिसके तहत ये नियंत्रित होते हैं ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मेरा अभिप्राय माननीय मंत्री समझ रहे होंगे । बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जितने भी सिपाही हैं, वे बिहार पुलिस की तरह काम करते हैं चाहे ब्लौक हो, ट्रेजरी हो चाहे लॉ एण्ड ऑर्डर हो, उनसे बिहार पुलिस की तरह काम लेते हैं । लेकिन उन्हें मात्र ड्यूटी के दिन ही भत्ता आप देते हैं । मेर अभिप्राय यह है । इसलिए मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार पुलिस की तरह ही उनको सारी सुविधायें मुहैय्या की जाय । महोदय, क्या हुआ ?

अध्यक्ष : आप तो आग्रह किये हैं । आपका आग्रह सरकार के पास पहुंच गया ।

श्री रामदेव राय : सरकार बोले । मैं आग्रह कर रहा हूं कि बिहार पुलिस की तरह इनकी भी सेवा नियमावली बनायी जाय ।

श्री विजेन्द्र प्र0यादव : महोदय, इस पर कितना डिबेट हो चुका है । पूरे देश में गृहरक्षा वाहिनी का अलग है, पुलिस का अलग नियम है । इसीलिए इनको स्थायी किया जाना संभव नहीं है।

श्री रामदेव राय : संभव कैसे नहीं है ? हजारो-हजार गरीब वर्ग के लोग, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर भी हैं, उनके हाथ में बंदुक दिये हुये हैं, वह आपकी रक्षा के लिये अपनी जान गवांता है । वह उसी तरह ड्यूटी करता है, जैसे पुलिस करती है । तो फिर उन्हें पुलिस के तरह सुविधा क्यों नहीं मिलेगी ? महोदय, जवाब नहीं आया ?

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, सरकार ने स्पष्ट बताया कि पुलिस की भर्त्ती सेवा शर्त्त नियमावली अलग है । गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की भर्त्ती सेवा शर्त्त की नियमावली अलग है, जो उन्होंने बताया, जो बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली,2005 एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी संशोधन नियमावली,2010 है । इनकी सेवा शर्त्त इनकी भर्त्ती के नियम वे अलग नियमावली से गाईड होते हैं, वे पुलिस नियमावली से नहीं गाईड होते हैं । यह सरकार ने बताया ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं स्पष्ट रूप से पूछ रहा हू । काफी क्लीअर है । उसी तरह की सेवा शर्त्त नियमावली बनायी जाय ।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा कि नहीं संभव है ।

श्री रामदेव राय : कैसे नहीं संभव है । आप पुलिस की तरह उनसे काम लेते हैं । टालने से तो नहीं होगा । महोदय, क्या हुआ ?

अध्यक्ष : सरकार ने कह दिया कि नहीं संभव है ।

श्री रामदेव राय : क्यों ड्यूटी लेते हैं, हाउस किसलिये बना ? यह सदन किसलिये बना ? इसका क्या औचित्य है ?

अध्यक्ष : सदन बना है सरकार से सूचना ग्रहण करने के लिये ।

श्री रामदेव राय : जी नहीं । सदन बना है सरकार को परामर्श देने के लिये, सरकार से कार्यान्वित कराने के लिये ।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, आपने सरकार को परामर्श दे दिया । वह काम तो हो चुका है । माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर बाबू ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मेरा अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

श्री विजेन्द्र प्र0यादव : महोदय, रामदेव बाबू को उनके परामर्श के लिये धन्यवाद । बिहार सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । आगे जब होगा तब देखा जायेगा ।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, आपको सरकार ने धन्यवाद दे दिया ।

श्री रामदेव राय : धन्यवाद सरकार वापस कर लें । गरीब लोगों को, गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही को बिहार पुलिस घोषित कीजिये ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, विषय की गंभीरता का अंदाजा आपको भी है। गृह रक्षा वाहिनी के जो कर्मी है, ठीक ही कहा है । माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने पूछा है बिल्कुल उनसे पुलिसकर्मियों की तरह काम लिया जाता है और वे अधिकांश अत्यंत ही निर्धन परिवार के हैं, अधिकांश लोग अति पिछड़ी जाति से हैं, लोग दलित समाज से लोग आते हैं और ये जो कर्मी हैं इनकी सेवा शर्त्त तय हैं । वे इतना कमजोर हैं कि उनका जीवन-यापन करना भी कठिन हो जाता है । हर समय इसके बरे में चर्चा होती रहती है, आंदोलन होते रहते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो सत्तारूढ़ दल के जो लोग भी बैठे हैं, वे लोग भी अपने घोषणा-पत्र में रक्षा वाहिनी के बारे में बड़े-बड़े दावे करते हैं । मैं माननीय मंत्री और सरकार से जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान सेवा शर्त्त है बिहार रक्षा वाहिनी कर्मियों का उसमें परिवर्त्तन करके जो सामान्य पुलिस की सेवा शर्त हैं उसके लगभग समकक्ष करने का विचार सरकार रखती है ? क्योंकि ये आपके घोषणा पत्र में शामिल है । आपने चुनाव के समय घोषण पत्र में इसको शामिल किया है । घोषणा किया है लगातार । वोट जब आपको लेना रहता है तो आप घोषणा करते रहते हैं और जब सरकर में आ जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस सेवा शर्त्त में परिवर्त्तन करके पुलिस की सेवा शर्त के अनुरूप या उसके समकक्ष करने का विचार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्र0 यादव : महोदय, मुझे खुशी है कि रामदेव बाबू एक लंबे समय तक माननीय मंत्री रहे हैं और नन्द किशोर बाबू भी रहे हैं । जब इस बेंच पर बैठते हैं तो दया बहुत सिमट जाती है जब उस बेंच पर बैठते हैं तो उदारता की पराकाष्ठा हो जाती है । होम गार्ड का मामला तो आज से नहीं है ? तनख्वाह बढ़ाये 2010 में। 2005 में संशोधन हुआ, 2010 में संशोधन हुआ । दोनों में आप कैबिनेट में थे ।

अध्यक्ष : विजेन्द्र बाबू, रामदेव बाबू तो मंत्री 43 साल पहले थे इस सदन में ।

श्री नन्द किशोर यादव : ठीक कह रहे हैं ! 2010 में संशोधन हुआ । चूंकि हम मंत्री थे तो उस समय संशोधन हुआ । थोड़ी राहत मिली उनको । मैं आपसे जानना चाहता हूं

2015में जो सरकार बनी है, आर0जे0डी0 और कांग्रेस के समर्थन से, उस सरकार के बनने के बाद क्या इसमें फिर से संशोधन करेंगे ताकि उनको राहत मिल सके ?

टर्न-18/सत्येन्द्र/4-4-16

तारांकित प्रश्न संख्या : 2778 (श्री प्रमोद कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, यह गृह विभाग का है ही नहीं ।

अध्यक्ष : यह जल संसाधन विभाग को स्थानान्तरित है ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो देखा जाय। यह अतिक्रमण मुक्ति का मामला है इसमें जल संसाधन का कहां है महोदय। सीधा अतिक्रमण मुक्ति का है और हुजूर, जरा सुना जाय मेरा प्रश्न सीधा है। कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी ने अपने पत्रांक 264 दिनांक 23-3-15 को रतनपुर उप लधु नहर के अतिक्रमण मुक्ति के लिए दिया था एस0डी0ओ0 को दिया है, जिला प्रशासन को दिया है।

अध्यक्ष: अच्छा प्रमोद जी,देख लिये न आपका।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2779(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है । आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय,दिनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 20 हजार रू0 लाभान्वित को दिया जाता है प्रति बुनकर। मैं सरकार से जानना चाहता हूॅ कि इस महंगाई में 20 हजार रू0 बुनकरों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है?

श्री जय कुमार सिंह: महोदय,ये योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है और यह योजना 2012-13 से लागू है और नवीनगर में जो हमारे सदस्य प्रश्न किये हैं, औरंगाबाद नवीनगर प्रखंड के 34 बुनकरों को 20 हजार रू0 से लाभान्वित किया गया है और 2015-16 में नवीनगर प्रखंड के 17 बुनकर से प्राप्त आवेदन को भी संबंधित कार्य क्षेत्र के बैंकों को भेजा है। ये योजना चूंकि केन्द्र प्रायोजित है और 20 हजार रू0 ही देना है और हम इसको दे रहे हैं महोदय।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूॅ कि बैंक को जो योजना भेज दिया गया है। क्या उसके मोनेटरिंग ये करते हैं कि उनको रू0 मिलता है या नहीं मिलता है?

श्री जय कुमार सिंह: महोदय,बैंकों के साथ बैठक होती है। चूंकि बैंकों की उदासीनता है और आप देखें होंगे महोदय,माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर मीटिंग किया गया था

और चीफ सिक्रेटरी के नेतृत्व में मोनेटरिंग कमिटी बनायी गयी है और जो इस पर उदासीनता बरतते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अभी तक आपने कौन सा कार्रवाई किया है?

श्री जय कुमार सिंह: अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है। यदि माननीय सदस्य इस पर कोई अथेंटिक बतायेंगे कि कहां पर करना है तो किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2780(श्री मो0 नेमातुल्लाह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर शहर के अन्तर्गत किला के अन्दर दक्षिणी गेट के पास पीर नफा साह का मजार एवं कब्रिस्तान ऊंचे टीले पर अवस्थित है। कब्रिस्तान किला के चाहरदिवारी के अन्दर समाहरणालय परिसर में सुरक्षित है। कष्टहरनी घाट का मकबरा कब्रिस्तान कृष्णवाटिका चाहरदिवारी के अन्दर है जिसमें घेराबंदी की आवश्यकता नहीं है। उक्त दोनों कब्रिस्तान संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

श्री मो0 नेमातुल्लाह: महोदय,ये मनेरी रहमतुल्ला सिलसिले के लोग हैं और वहां एक ऐतिहासिक चीज है। वर्ष 1916 में अंग्रेजों ने उस कब्र पर गोली मारी थी, कमिटी बना दिया है देख लीजिये आज भी खून का रिसाब होता है वहां, इतना इम्पोंटेंट है और उसी के बगल में कब्रिस्तान है, इतना बड़ा मजार के पास है और घेराबंदी के लिए वंचित है उसको घेराबंदी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय हुजूर।

अध्यक्ष: ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2781(श्री संजय सरावगी)

अध्यक्ष: उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिये।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय,मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस योजना में कितनी राशि विभाग द्वारा कर्णांकित की गयी थी और यह कार्यक्रम कितने दिनों में सम्पन्न होना था और यह जो भुगतान है, यह कब किया गया है?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:महोदय,इस पूरे योजना पर, इस कार्य योजना पर जो प्रस्तावित व्यय आकलित था वो था 14 करोड़ 56 लाख 14 हजार 762 करोड़ रू0 और उसका जो भुगतान हुआ है वो ऐक्चुअल के आधार पर हुआ है। उसको सत्यापित कराकर भुगतान हुआ है, जो हमारा 14 करोड़ 56 लाख 14 हजार 762 करोड़ रू0 जो था हमारा आकलन उसके विरूद्ध मात्र खर्च हुआ है 9 करोड़ 31 लाख 64 हजार 133 रू0।

श्री संजय सरावगी: महोदय,मेरा पूरक प्रश्न जो था कितने दिनों में कार्यक्रम सम्पन्न होना था और राशि का भुगतान कब हुआ? मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि

ये 9 करोड़ 31 लाख 64 हजार 133 रू0 की जो राशि थी उसका भुगतान कब हुआ और यह कितने दिनों में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: अध्यक्ष महोदय, स्थानीय स्तर पर जो ऐक्चुअल हुआ उसका सत्यापन हुआ और जो कार्यक्रम आयोजित हुए उसका भी सत्यापन हुआ और उसके बाद उसका भुगतान हुआ। भुगतान कई स्तर पर हुए उसमें दैनिक जो कार्यक्रम का आयोजन प्रति आयोजन 2833 रू0 निर्धारित था अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु, जिला एवं प्रखंड थे जो कर्मी थे उनका पारिश्रमिक दर भी क्रमश: 30 हजार एवं 11756 रू0 अलग अलग निर्धारित था। अलग अलग निर्धारित दर के आधार पर अलग अलग जगह पर भुगतान हुआ। जो कार्यक्रम आयोजित थे उस कार्यक्रम की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, यह जो बढ़ चला बिहार कार्यक्रम था, विजन डोकुमेंट 2025, इसका डोकुमेंट बनाना था अध्यक्ष महोदय पूरे कार्यक्रम में और यह विजन था कि बिहार में 2025 का विजन क्या होगा? ये डोकुमेंट पर सरकार कहती है कि 9 करोड़ 31 लाख 64 हजार 133 रू0 खर्च किये है तो डोकुमेंट कहां है और यह प्रकाशित हुआ या कब प्रकाशित होगा? यह माननीय मंत्री जी बतलावें। उत्तर में भी दिया हुआ है महोदय कि डोकुमेंट के निर्माण हेतु विभाग के सूचिबद्ध जो है किया गया था और उसका जो उद्देश्य था अध्यक्ष महोदय,विजन डोकुमेंट 2025 ये डोकुमेंट जो है अध्यक्ष महोदय कहां हैं? कब विभाग को समर्पित किया ऐजेंसी ने और वह डोकुमेंट कहां है?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: यह अभी बन रही है। वह प्रक्रिया में है और जब डोकुमेंट बन जायेगा तो माननीय सदस्य को पता हो जायेगा।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी ने कहा.....

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय,यह एक अभिनव प्रयोग था, प्रदेश के पांच हजार की आबादी वाले चालीस हजार गांव में जाकर सरकार के द्वारा निर्धारित एजेंसी के द्वारा जन संवाद कायम करना कि अबतक क्या किया गया है और आपकी क्या अपेक्षा है, आपके कल्पना का बिहार कैसा होना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गांव में होनी चाहिए। इससे इनका फीड बैक मिलता, एक जन संवाद कहिये कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो न जाने राजनैतिक तौर पर, मुझे क्षमा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कलेजा फटने लगा, यह गलत नहीं है, यह सही है और ऐसा कलेजा फटा कि इनलोगों ने कहा कि सैंकड़ों करोड़ खर्च होंगे और क्या क्या नहीं होगें।(व्यवधान)मैं बोल रहा हूॅ सुन लीजिये मेरी बात। आप जब बोलते हैं तो आपकी बात भी हम सुनते हैं। इनलोगों को अभिनव प्रयोग से कोई दिलचस्पी

नहीं है। ये जिस प्रकार से काम करते रहे हैं हवा बांधने का, हवावाजी का और ये जेनेऊन ऐफर्ट था कि 10 साल अगर काम किया तो लोगों की क्या मानसिकता है उसको भी जानना चाहिए कि अब वे क्या चाहते हैं और उसके आधार पर 2025 का विजन डोकुमेंट बनेगा । इसको कितनी बाधा की गयी ? इलेक्शन कमीशन में गये, कौन्सिल का इलेक्शन है इसके नाम पर उसको बाधित कर दिया। कोर्ट में गये, माननीय उच्च न्यायालय ने भी रिजेक्ट कर दिया, सब कुछ हो गया और अब यहां प्रश्न लाये हैं और प्रश्न का उत्तर इन्होंने दे दिया है। एक-एक बाधा को पार करने के बाद और ऐसी चीजों में तो सहयोग करना चाहिए था । जिस दिन हम उसे लॉन्च कर रहे थे उस दिन हमने कहा कि यह पार्टी का विषय नहीं है, यह राज्य का विषय है और राज्य में मैंडेट जिसको भी मिलेगा उसके सामने एक विजन डोकुमेंट होगा, वह अपने सरकार के कार्यक्रमों को निर्धारित कर सकेगा अगर वह चाहेगा।

(क्रमशः)

टर्न-19/मधुप/04.4.2016

...क्रमशः...

श्री नीतीश कुमार : वह स्टेट का डॉकुमेंट है और हर स्तर पर जो उसके निर्धारित शिड्यूल थे, उनको बाधित किया गया । इलेक्शन कमीशन में ले गये, वहॉं रूका, उसके बाद कोर्ट में गये, अनेक जगहों पर बाधा उत्पन्न करके, अंत में तो बिहार का चुनाव आ गया लेकिन फिर भी, जिसको कहते हैं लोगों की भावना से अवगत होने का, विचार जानने का और जो कुछ भी इससे संबंधित डाटा है, उसको कलेक्ट करने का काम पूरा हो गया है मिनिमम खर्च में । जरा हमको बता दें, 9 करोड़ पर सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का क्या बजट है, जरा यह बता दें । एक-एक विज्ञापन का क्या बजट है ? अरबों रूपया खर्च कर रहे हैं। हमलोगों ने अखबार में विज्ञापन नहीं देकर लोगों की राय जानने का प्रयास किया, कोई भी सरकार रहेगी, उसका वह मार्गदर्शन करता, उसको तो हर स्तर पर आपने बाधा उत्पन्न की ! मात्र 9 करोड़ की राशि से यह सब काम हो गया ।

विजन डॉकुमेंट बनने का काम हो रहा है और एक-एक चीज, एक-एक विलेज की रिपोर्ट, 5 हजार की आबादी वाले गॉव के रिपोर्ट को लैमिनेट करके रखा जायेगा, उसको बाजप्ता अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जायेगा । विजन डॉकुमेंट बन जायेगा, उसको रिलीज भी किया जायेगा और जिस दिन विजन डॉकुमेंट रिलीज

होगा, उस दिन विपक्ष को भी आमंत्रित किया जायेगा, सभी दलों को आमंत्रित किया जायेगा ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय....

अध्यक्ष : अब समय समाप्त है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह खड़े हो गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, सदन पटल पर रख दिये जायं ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के भी कई माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 04 अप्रील, 2016 के लिए माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

आज 04 अप्रील को सदन में सार्वजनिक हित के विषय पर गैर सरकारी संकल्प निर्धारित है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 19(1) के तहत् उपर्युक्त कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया तो क्या हो सकता है ! शून्यकाल ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं एक गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । आज सदन के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन डॉकुमेंट की चर्चा की है । महोदय, विजय डॉकुमेंट का अर्थ ही यही था कि विजन डॉकुमेंट जब बनेगा, सरकार किसकी बनेगी.....

श्री जय कुमार सिंह : प्रश्न कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के भी कई माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये ।)

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ । मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ । मुझे बोलने का अधिकार है । महोदय, मुझे बोलने दीजिये । (व्यवधान) आवाज नहीं दबा सकते हैं । मैं जानता हूँ, आर0जे0डी0 के समर्थन के बाद आवाज दबाने का जो

क्रम है, हमने दस साल झेला है । (व्यवधान) महोदय, मेरी बात सुन ली जाय । यह कैसे हो सकता है कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जायेगी ! मुझे अपनी बात कहने दीजिये। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल होने दीजिये ।

श्री नन्द किशोर यादव : शून्यकाल में ही मैं अपनी बात कह रहा हूॅं । मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूॅं । मैं शून्यकाल में अपनी बात कह रहा हूॅं, मेरी बात तो सुन ली जाय !

अध्यक्ष : शून्यकाल में क्या कहना है ?

श्री नन्द किशोर यादव : सुन तो लीजिये मेरी बात । (व्यवधान) महोदय, यह इस सरकार का कल्चर है, यह आर0जे0डी0 का कल्चर है । 10 साल के अन्दर जो आर0जे0डी0 ने गुंडाराज कायम किया था, उसका प्रदर्शन हो रहा है । महोदय, मेरी बात सुन ली जाय । गलतबयानी करके नहीं होगा । यह कैसे हो सकता है ? जिन लोगों ने विपक्ष की आवाज बंद की थी....

अध्यक्ष : मो0 नवाज आलम ।

(इस अवसर पर भा0ज0पा0 के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये ।)

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, यह कैसे हो सकता है ! मेरी बात सुनी जाय । केवल सत्तारूढ़ दल की बात सुनी जायेगी ?

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के भी कई माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये ।)

अध्यक्ष : मो0 नवाज आलम । शून्यकाल की सूचना पढ़िये ।

शून्यकाल

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, वीर कुॅंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के अन्तर्गत 55 सम्बद्ध कॉलेज तथा 17 अंगीभूत कॉलेज हैं, 8 बी0एड0 कॉलेज हैं । इन कॉलेजों में ओ0बी0सी0, एस0सी0, एस0टी0 के आरक्षण का पालन न तो नामांकन में, न ही

शिक्षक व कर्मचारी नियुक्ति में होता है । सरकार आरक्षण का पालन नहीं करने वाले पर कार्रवाई करे ।

श्री रामदेव राय : बिहार के मगध, मिथिला, वीर कुँवर सिंह, बी0एन0 मंडल विश्वद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में 10.2.89 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत् तदर्थ व्याख्याताओं की सेवा सामंजन अब तक न होने से उनका भविष्य अंधकार में है । अतएव सरकार शीघ्र ही उनकी सेवा सामंजन कर न्याय दे ।

श्री ललन पासवान : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखण्ड के सोनहर से रायपुर चोर तक के सड़क का कार्य 2006-07 में कराया जा रहा था जो आज तक आधी-अधूरी है । इसकी दूसरी लगभग पाँच किलोमीटर है जो जर्जर अवस्था में है ।

सरकार से माँग करते हैं कि उक्त सड़क का निर्माण जल्द पूरा करावें ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, भोजपुर जिला के जगदीशपुर के डी0एस0पी0 द्वारा जगदीशपुर कांड सं0-235/15 का सही पर्यवेक्षण नहीं किया गया है, कांड सं0-63/16 में मो0 साहेब पर गलत केस दर्ज कराने तथा कांड सं0 68/16 में अभियुक्त बिटू साव को पकड़कर छोड़ दिया गया । जाँच कर अविलम्ब कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

श्री अशोक कुमार सिंह (203) : महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत नुवाँव प्रखंड में अवस्थित जैदपुरा पम्प कैनाल में तीन साल से काम चल रहा था और अब काम भी नहीं हो रहा है । कागज में काम पूरा कर दिया गया है लेकिन आज तक पम्प से पानी नहीं निकला । मैं पम्प चालू करने की माँग करता हूँ ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं, वहाँ के 500 किसान माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में आये, मुख्यमंत्री जी ने उन्हें स्वीकृति दिया....

अध्यक्ष : श्री सुबोध राय ।

श्री सुबोध राय : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज और इसके आस-पास के गांवों में प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में तेज पछवा हवा से भीषण अग्निकांड में बड़े पैमाने पर जान-माल और फसलों की क्षति होती है । अग्नि पीड़ितों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है ।

अतएव अग्निकांड से पीड़ितों की तत्काल रक्षा हेतु सुलतानगंज में बड़ा अग्निशमन वाहन की स्थायी व्यवस्था की जाय ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, दरभंगा शहर के रामबाग स्थित राज किला का गगनचुम्बी दीवाल ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय महत्व रखता है, भूकंप में इस दीवाल का कुछ अंश भाग दरक गया है एवं कभी-कभी दीवाल का पत्थर नीचे गिरता है जिससे दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है ।

अत: सरकार अवलिम्ब दीवाल की मरम्मति करावें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अररिया जिला के रानीगंज एवं भरगामा प्रखंड में 28 मार्च, 2016 को प्रात: 4 से 5 बजे हुए भारी बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि में मक्का एवं गेहूॅं का फसल बर्बाद हो गया है । मक्का एवं गेहूॅं उत्पादक किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के लिए सरकार से मैं मॉंग करता हूॅं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर एवं बारून प्रखण्ड में 34 राजकीय नलकूप छोटे कमियों के चलते बंद हैं जैसे चरण एवं महुली में पॉंच पोल-तार के चलते नलकूप बंद है । जनता को अकाल झेलना पड़ रहा है ।

अत: सरकार चरण एवं महुली के साथ-साथ बंद राजकीय नलकूपों को शीघ्र चालू करावे ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार राज्य में अन्त:स्थ महाविद्यालयों तथा उच्च विद्यालयों में प्राचार्य एवम् प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने के कारण लाखों छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन कार्य बाधित हो रहा है । अत: छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी महाविद्यालयों एवम् उच्च विद्यालयों में प्राचार्य तथा प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु सरकार से मॉंग करता हूॅं ।

टर्न-20/आजाद/04.04.2016

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिला अन्तर्गत आमस प्रखंड में सोनदाहा जलाशय योजना का कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा 10 वर्ष पूर्व शुरू कराया गया था। योजना में वन भूमि आ जाने के कारण कार्य बन्द था । वन भूमि का निराकरण हो गया है ।

जनहित में सोनदाहा जलाशय योजना का शेष कार्य अविलम्ब पूरा करावें ।

श्री अशोक कुमार सिंह(224) : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के रफीगंज नगर पंचायत में सरकारी बस पड़ाव एवं सार्वजनिक शौचालय नहीं रहने से यात्रियों को कठिनाई होती है। जनहित में नगर विकास विभाग से रफीगंज में सरकारी बस स्टैंड तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराने की मांग करता हूॅं ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर अंचल के बहुत सारे गांवों में लगातार आगजनी की घटना हो रही है । जहानाबाद से फायर बिग्रेड की गाड़ी जाते-जाते आग अनियंत्रित हो जाता है ।

अत: रतनी फरीदपुर अंचल मुख्यालय में फायर बिग्रेड की गाड़ी रखने की मांग करता हूॅं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, सेंट्रल एक्साईज टैक्स थोपे जाने के विरोध में राज्य के सभी स्वर्ण व्यवसायी हड़ताल पर हैं, जिससे न कारोबार प्रभावित हो रहा है बल्कि आम नागरिकों को शादी-विवाह में घोर कठिनाई हो रही है ।

अत: इस समस्या के समाधान की मांग करता हूॅं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में पी0जी0 की 315 सीटों में सरकार द्वारा समय पर एम0सी0आई0 से मान्यता नहीं लेने के कारण उच्च न्यायालय ने 176 सीटों के नामांकन पर रोक लगा दी है ।

अत: प्रवेश परीक्षा में सफल छात्र चिकित्सकों को न्याय देने तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करता हूॅं ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला के वरौली प्रखंड के पीपरा एवं पचरूखिया के गंडकी नदी द्वारा बाढ़ में कतीपय गांव प्रभावित हो जाते हैं तथा स्थिति भयावह हो जाती है ।

अत: आपके माध्यम से मैं मांग करता हूॅं कि ग्रामीण जनता के हित में गंडकी नदी पर वरौली प्रखंड के पीपरा एवं पचरूखिया के बीच में एक पुल का निर्माण शीघ्र करावें ।

श्री जीवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के राजो पंचायत में बुढ़नद नदी पर पचगछिया घाट पर पुल निर्माण अतिआवश्यक है । इस पुल निर्माण से दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर जिले की बड़ी आबादी लाभान्वित होगी ।

अत: सरकार से जनहित में निवेदन है कि जनहित में उक्त पुल को अविलम्ब निर्माण करावें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, राज्य के 42000 निबंधन दस्तावेज लेखक के लाईसेंस रद्द कर दिया गया है । जिससे हजारों गरीब लोग बेरोजगारी के शिकार हो गये हैं । वे अपनी मांग को लेकर आन्दोलनरत हैं ।

अत: सरकार उनकी मांगों पर विचार करते हुए पुन: लाईसेंस बहाल करें ।

महोदय, जनादेश जन सेवा के लिए मिला है, जमीन्दार बनने के लिए नहीं मिला है । विपक्ष की आवाज को दबाई जाती है ....

अध्यक्ष : ठीक है, उन्होंने उठा दिया है ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, राज्य के 42000 निबंधित बिहार दस्तावेजनवीस संघ हड़ताल पर हैं, उनका लाईसेंस रद्द कर दिया गया है । हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि 42000 परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति है । सरकार उनके लाईसेंस को फिर से बहाल करे और 5 सूत्री उनकी मांग है, जिसके लिए वे आन्दोलन कर रहे हैं ।

इसलिए आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार बिहार दस्तावेजनवीस संघ के 5 सूत्री मांगों ....

(व्यवधान)

(इस अवसर पर बी0जे0पी0 के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

अध्यक्ष : श्री तारकिशोर प्रसाद ।

अध्यक्ष : सरकार संज्ञान ले रही है ।

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार शहर में जाम की समस्या दूर करने एवं बेहतर यातायात व्यवस्था हेतु डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद पथ में फ्लाई ओवर के निर्माण की सरकार कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री यदुवंश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को उल्लंघन कर जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा जिले के शिक्षकों का शोषण-दोहन किया जा रहा है । जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए शिक्षकों को राहत दी जाय ।

श्री भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड गौनाहा के दोमाठ के वोट गॉव के पास कई आर्टिजन कुँआ है । तकनीकी टीम द्वारा जॉच कराकर इसे पीने एवं सिंचाई योग्य विकसित कराने की मांग करती हूँ ।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बीज निगम, कुदरा, कैमूर में 2014-15 में किसानों द्वारा धान का बीज जमा किया गया था । किसानों को बीज का मूल्य मिल गया है लेकिन किसानों को बीज का बोनस राशि नहीं मिला है ।

अतः सरकार से मांग करता हूँ कि किसानों के धान के बीज का बोनस राशि देने की कृपा की जाय ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, प्रोमोशन में पटना हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण के नियमों को खारिज करने के खिलाफ बिहार सरकार को उच्चतम न्यायालय में मजबूती से प्रोमोशन में आरक्षण के पक्ष में खड़े होकर वंचित व कमजोर तबके के लोगों के लिए ज्यादा अवसर की गारन्टी सुनिश्चित करने की मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण सूचना । श्री श्याम रजक, श्री विनोद प्रसाद यादव एवं अन्य के द्वारा दी हुई ध्यानाकर्षण सूचना ।

श्री श्याम रजक ।

(इस अवसर पर बी0जे0पी0 के माननीय सदस्यगण अपने-अपने सीट पर चले गये)

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री श्याम रजक, विनोद प्रसाद यादव एवं अन्य ग्यारह सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, राज्य के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गया सहित कई अन्य जिलों में भारी पैमाने पर खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट का धंधा तेजी से फल-फूल रहा है । खाद्य पदार्थों में मिलावट कर कालाबाजारी करने वाले व्यवसायी एक ओर तो राजस्व की चोरी कर रहे हैं एवं दूसरी ओर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । खाद्य तेल यथा सरसों तेल, वनस्पति तेल, रिफाईन तेल इत्यादि में नकली तेल एवं मोबिल मिलाकर इसे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम कीमत पर आपूर्त्ति कर आमजनों को ठगा जा रहा है । इसके उपयोग से आमजनों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है एवं बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं तथा इलाज के अभाव में उनकी अकाल मृत्यु भी हो रही है । राज्य के राजस्व की हानि एवं आमजनों के स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह काफी गंभीर विषय है ।

अतएव खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावटखोरी के धंधे को बन्द करने तथा दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, राज्य के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गया सहित अन्य जिलों में भी भारी पैमाने पर खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट का धंधा तेजी से फल-फूल रहा है, ऐसी बात सही नहीं है । खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा मिलावटखोरी के विरूद्ध समय-समय पर छापामारी करते हुए खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों का नमूना संग्रहित कर उसकी जॉंच करवायी जाती है तथा मिलावट पाये जाने पर मिलावटखोरों के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है । खाद्य तेलों यथा सरसों तेल, वनस्पति तेल, रिफाईन तेल इत्यादि में नकली तेल एवं मोबिल मिलाकर इसे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम कीमत पर आपूर्त्ति कर आमजनों को ठगे जाने संबंधी सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । जहां तक मिलावटी खाद्य तेलों के सेवन से आमजनों का स्वास्थ्य खराब

होने, बीमारी से ग्रसित होने तथा इलाज के अभाव में उनकी अकाल मृत्यु होने का प्रश्न है, इसकी भी कोई लिखित सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट एक गंभीर बात है । मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से आमजनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा वे गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं। यदि खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचना माननीय सदस्य के माध्यम से अथवा अन्य श्रोतों से मिलती है तो ऐसे मामलों में सरकार दोषी व्यक्तियों एवं संस्थानों पर गंभीर कार्रवाई करेगी ।

खाद्य तेलों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य स्तर पर लगातार छापामारी की जा रही है एवं छापामारी आगे भी जारी रहेगी तथा दोषी व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरूद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियमावली, 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत् कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।

टर्न-21/अंजनी/दि0 4.4.16

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष कितने दुकानों का जांच किया गया, कितनी जगह छापामारी हुई और कितने जगह जांच हेतु सैम्पुल लेकर किस-किस लेबोरेट्री में उसकी जांच की गयी ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मार्च माह में पटना जिला में 20 जगह, मुंगेर जिला में 10 जगह, गया जिला में 10 जगह, मुजफ्फरपुर जिला में 16 जगह, बांका जिला में 11 जगह, भागलपुर जिला में 13 जगह, सारण प्रमंडल में 12 जगह, तिरहुत में 25 जगह, दरभंगा में 6 जगह, पूर्णियां में 11 जगह, मगध में 10 जगह, मुंगेर में 12 जगह, पटना में 10 जगह, इस तरह से कई जगहों पर लगातार छापामारी हुई है और कलकत्ता में इसका लैब है जो कि मित्रा एस0के0प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, फुड सेफ्टी स्टैंर्ड एथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बिहार के लिए अधिकृत है । उसी लैब में उसकी जांच होती है । बिहार सरकार भी जल्द-से-जल्द तीन लैब स्थापित करने की योजना रखती है, इसे जल्द ही कार्यान्वित किया जायेगा ।

श्री श्याम रजक : महोदय, मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था, मेरा यह साफ कहना था कि जो इन्होंने बताया कि इस जिले में इतने, इस जिले में इतने तो टोटल ये कलकता के लेबारेट्री में जांच के लिए भेजे गये, तो जो सारे जगहों का सैम्पुल जांच के लिए भेजे गये तो उसका जांच रिपोर्ट उन सारे जगहों का आ गया और अगर जांच रिपोर्ट आया तो उसका क्या रिपोर्ट है, वह हम जानना चाहते हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह पिछले माह ही सैम्पुल कलेक्ट किया गया है, इसलिए जांच प्रोसेस में है लेकिन इसके पहले इसी क्रम में वर्ष 2015 में दरभंगा प्रमंडलान्तर्गत दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी से खाद्य तेलों का पच्चीस नमूना संग्रहित किया गया था, जो जांचोपरान्त सही पाया गया है । इसी प्रकार,

श्री श्याम रजक : महोदय, ये ले जा रहे हैं पूरा घूमाते हुए समस्तीपुर, हम साफ-साफ कह रहे हैं कि जिन जिलों के संबंध में मैंने कहा, उन जिलों में कितने दुकानों में छापामारी हुई, जांच हुआ तो उसका क्या हुआ ? एक तो ये कह रहे हैं कि यहां पर कोई लेबोरेट्री नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है और जांच में कितना समय लग जाता है कलकता ले जाने में और जांच करके रिपोर्ट आने में, तो ये साफ-साफ कहे कि ..

अध्यक्ष : श्याम जी, आप समस्तीपुर के बारे में पूछ रहे हैं तो माननीय मंत्री जी समस्तीपुर जिला का ही प्रतिनिधित्व करते हैं....

श्री श्याम रजक : वही तो पूछ रहे हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मेरे विभाग के समक्ष भी इस तरह के मामले उत्तर बिहार से संबंधित कई गोदामों में मिलावटी तेल और टैक्स चोरी भी होती है, निश्चित तौर से एक टीम का गठन करके व्यापक पैमाने पर उसकी छापामारी कराकर टैक्स चोरी को भी रोका जायेगा और लोगों की जीवन की रक्षा के लिए कार्रवाई की जायेगी, इसमें स्वास्थ्य विभाग का भी टीम रहेगा, यह मैं सदन को आश्वासन देता हूँ ।

श्री श्याम रजक : माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है । महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि इसके लिए एक व्यापक पैमाने पर, उन्होंने कहा है कि कार्य योजना बनाकर इसकी छापामारी करेंगे तो क्या इसके लिए स्पीडी ट्रायल चलाकर विशेष न्यायालय के माध्यम से ऐसे दोषियों पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई संभव होगी, सख्त-से-सख्त कार्रवाई उनपर की जायेगी ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह के जांच होते रहते हैं और जांच का फलाफल नहीं मिलता है तो..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जांच होते रहते हैं लेकिन प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ने आपको बताया है कि स्पेशल टीम बनाकर जांच करायेंगे ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मिलावट के जो जांच के लिए एक समय-सीमा तय कर दिया जाय, समय-सीमा के अन्दर जो उल्लेखित जगह जो ध्यानाकर्षण में दिये गये हैं, उन जागहों पर पहले कम-से-कम करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : कई जिला का मामला है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, कोई एक स्पेशिफिक घटना पर या दो-एक घटनाओं पर समय सीमा निर्धारित की जाती है, महोदय, इसकी सूचना कई जगह से है, एक टीम गठन करके यह कन्टीन्यूसेस प्रोसेस है, उसको मुस्तैदी से की जायेगी ।

अध्यक्ष : कार्य योजना बनाकर ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, नेपाल सीमावर्त्ती से सटे हुए जिला हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, वहां ज्यादातर मिलावट होता है, इसलिए सीमावर्त्ती इलाका में विशेष सतर्कता बरतते हुए इसकी नियमित रूप से जांच होना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी, आप अपनी ध्यानाकर्षण-सूचना को पढ़ें।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, बिहार में लाईसेंसधारी होमियोपैथिक दवा कंपनियों, जिनमें से कुछ 25 वर्षों से भी अधिक पुरानी है, होमियोपैथिक दवाएं बनाने का काम कर रही है । बिहार में निर्मित होमियोपैथिक दवाएं बिहार तथा बिहार के बाहर कई राज्यों में बिक्री की जाती है । ऐसी स्थिति में बिहार की दवा कंपनी को बंद किया जाना और कंपनियों का लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं किये जाने से बिहार के दवा उद्योग को भारी क्षति पहुंचेगी । इस व्यवसाय पर आधारित सभी लोग बेरोजगार हो जायेंगे । पूरे भारतवर्ष में कहीं भी होमियोपैथिक दवा के निर्माण पर पाबंदी नहीं है ।

अत: होमियोपैथिक दवा के निर्माण जारी रखने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

श्री आलोक कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 लागू किया गया है । उक्त अधिनियम के तहत राज्य में मादक द्रव्यों का उत्पादन, विक्रय, वितरण, आयात एवं निर्यात को प्रतिसिद्ध किया गया है । साथ ही ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियमावली, 1945 के नियम 106बी0 के तहत 12परसेंट भी0/भी0 से ज्यादा अल्कोहल (इथाइल अल्कोहल) जनित होमियोपैथिक औषधियों का 30एम0एल0 मात्रा से ज्यादा पैकिंग करना तथा पैकिंग कर बेचना पूर्णत: निषेध है । सिर्फ होमियोपैथिक डिस्पेंसरी (औषधालय) तथा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपयोग के लिए 100एम0एल0 की मात्रा तक पैकिंग

करने का प्रावधान किया गया है । नयी उत्पाद नीति के लागू हो जाने के पश्चात् बिहार में अवस्थित होमियोपैथिक निर्माण संस्थानों को आवश्यकतानुसार अल्कोहल निर्माण संस्थानों को आवश्यकतानुसार अल्कोहल की आपूर्त्ति नहीं हो सकेगी तथा निर्माताओं द्वारा अल्कोहल के अभाव में निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा । राज्य में जितने भी ऐसे होमियोपैथिक निर्माण संस्थान हैं, जिसके द्वारा ड्रग एवं कास्मेटिक्स नियमावली,1945 के नियम 106बी0 के तहत निर्धारित 12परसेंट भी0/भी0 से ज्यादा अल्कोहल (ईथाइल अल्कोहल) जनित होमियौपैथिक औषधियों का निर्माण किया जाता है उन्हें पूर्व से प्रदत्त 30 एम0एल0 एवं 100एम0एल0 की मात्रा से अधिक मात्रा का निर्माण लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा । साथ-ही ऐसे होमियोपैथिक निर्माण संस्थानों को नया लाइसेंस भी प्रदान नहीं किया जाएगा एवं पूर्व से प्रदत्त लाइसेंस का नवीकरण भी नहीं किया जाएगा । होमियोपैथिक दवा दुकानों द्वारा बाहर से दवा लाकर बेची जा सकेगी परन्तु उनपर भी 12परसेंट भी0/भी0 से ज्यादा अल्कोहल (ईथाइल अल्कोहल) जनित होमियोपैथिक औषधियों के 30एम0एल0 एवं 100एम0एल (डिस्पेंसरी उपयोग के लिए) से ज्यादा मात्रा वाले पैकिंग साइज के भंडारण, संचयण एवं क्रय-विक्रय पर निषेध रहेगा ।

श्री अरूण कुमार वर्मा : महोदय, जहां एक तरफ उद्योग की कमी बिहार में है और सरकार उद्योग लगाने की बात करती है, वही पर दूसरी तरफ दर्जनों होमियोपैथिक दवा उत्पाद बंद हो जायेगा इस विवादास्पद कानून के आने से, जिसपर मनमानी प्रशासन भी कर रहा है, उससे हजारों लोग बेरोजगार होंगे । दूसरा यह कि 22 हजार होमियोपैथ के डॉक्टर और उससे संबंधित लोग और उनके क्लिनिक भी बंद हो जायेंगें । यही नहीं महोदय 20 हजार से भी अधिक दुकानें छोटे-बड़े मिलाकर भी यदि देखा जाय तो ये दुकानें भी बंद हो रही है, शटर डाउन हो रहा है और जो बंद नहीं हो रहा है, उसपर भी प्रशासन अपने मनमाने ढ़ंग से जोर-जबर्दस्ती कर रहा है।

टर्न-22/शंभु/04.04.16

श्री अरूण कुमार सिन्हा : क्रमशः........महोदय, यही नहीं बिहार में ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो होम्योपैथ की दवा को अचूक दवा मानते हैं उन्हीं पर उनका विश्वास है, लेकिन अब उनको यह दवा या तो बहुत महंगी मिलेगी इस नीति से या यह उपलब्ध ही नहीं होगी।

अध्यक्ष : प्रश्न तो पूछिए।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेंट बात है और आपने टोक दिया.....

अध्यक्ष : टोक दिया नहीं तो और बोलते ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, जरा इसकी गंभीरता सुन लीजिए। इसकी गंभीरता यह है कि पोडोफाइलम, बेराइटा कार्ब, अल्फाअल्फा, नक्सभौमिका जैसी अचूक महत्वपूर्ण दवाएं हैं और उसी में उदाहरण स्वरूप यह उपलब्ध नहीं होंगी और होमियोपैथी इलाज जो बहुत कम में आम आदमी निरोग हो जाता था, अब इसकी कीमत कई गुणा बढ़ जायेगी। हम इसका एक उदाहरण देना चाहते हैं कि उदाहरण स्वरूप 450 एम0एल0 पोडोफाइलम की बोतल, जब छोटी बोलत उसकी कर दी जायेगी, जैसा माननीय मंत्री ने बताया है तो अब वह 60 रू0 के जगह पर 350 रू0 कीमत हो जायेगी जो उसके छः गुणा अधिक होगी।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिए न।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : यह एक उदाहरण है। मैं अंत में एक और विषय एक तरफ विदेशी शराब के लिए सीमित दायरे में ही सरकार के पास नियम है, कानून है उसको खोलने की बात है उसका भी जनता विरोध कर रही है और दूसरी तरफ दवा का उद्योग जो जान के रक्षक का उद्योग है। यह बंद है।

अध्यक्ष : इसलिए आप क्या चाहते हैं ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : मेरा पूरक प्रश्न है इसी में कि इस गंभीरता को लेते हुए क्या सरकार चेतेगी और होमियोपैथ के दवा उत्पादन कंपनी, संबंधित डाक्टर और संबंधित दूकानदारों से इसपर बीच का रास्ता निकालने के लिए कोई सार्थक कदम उठायेगी ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियमावली, 1945 यह भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, नियमावली है। इसीलिए उसके तहत कई तरह के रिस्ट्रिक्शन हैं। दूसरी बात है कि बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है कि जो नया उत्पाद अधिनियम है उसको पूरी तरह से लागू किया जाय, उसमें कोई पिलफ्रेज नहीं छोड़ा जाय।

अध्यक्ष : उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो होम्योपैथ डाक्टर्स हैं उनको बुलाकर बात कर लीजिए कि उनकी क्या समस्या है, इतना ही उनका सुझाव है।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट करते हुए माननीय सदस्य की इस भावना का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ कि यह सभी कानून के दायरे में जो भी होगा उसको किया जायेगा, लेकिन माननीय सदस्य से मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई ज्ञापन हमें प्राप्त होगा तो उसपर बात किया जायेगा।

अध्यक्ष : स्वाभाविक रूप से जब मिलेंगे तो ज्ञापन के साथ ही मिलेंगे।

श्री आलोक कुमार मेहता : जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, माननीय मंत्री जी को इसका ज्ञापन भी मिला है मेरे पास है।

अध्यक्ष : दे दीजिएगा न, अब तो हो गया न! आपका सुझाव तो सरकार ने मान लिया है। अब क्या चाहते हैं ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : हुजूर, एक प्रश्न और है कि जो बड़ी बड़ी बोतलें हैं रजिस्टर्ड हैं उनका टैक्स चुका दिया गया है और दूकानों में वह अभी बाकी रह गया है तो कम से कम क्या सरकार उसके लिए 6 महीना साल भर का समय उसको दे दे, नहीं तो वे सारे लोग सड़क पर आयेंगे। एक प्रश्न और है कि क्या उसपर सरकार रिलेक्स देने के मूड में है ?

अध्यक्ष : अरूण बाबू, आप बड़ी बड़ी शीशी बोलियेगा, बड़ी बड़ी बोतल बोलियेगा तो उसका अर्थ दूसरा हो जाता है।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : हुजूर, भावना को समझा जाय- दवा की बड़ी बड़ी बोतलें जिसपर टैक्स दिया गया है, जो रजिस्टर्ड है, जो शिल्ड है और जो जनोपयोगी है। क्या उसपर रिलेक्स देने के लिए सरकार उसके लिए समय बढ़ाने की कुछ योजना बना रही है, इसपर जरा बता दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उसपर जब बात करेंगे डाक्टर से तब यह सब बात बता दीजिएगा।

ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ। माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं जॉच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् फारबिसगंज गोली कांड न्यायिक जॉच आयोग का प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (ए0टी0आर0) की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के तहत बनायी गयी बिहार जिला आयुष/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010 की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं, बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''स्थानीय निकाय'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के

नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय में उपस्थापित किया जायेगा।

अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री।

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''स्थानीय निकाय'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''स्थानीय निकाय'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, मैं बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा-12(3) के तहत् बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ।

याचिकाओं का उपस्थापन

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : श्रीमान्, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंधं में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 91 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

अन्तराल

टर्न-23/अशोक/04.04.2016

अन्तराल के बाद

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । गैर-सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में महुआ का पेड़ है, वहां के गरीब-गुरबा लोग महुआ को चुनते हैं, खाते हैं। उसका रोटी भी बनाते हैं, हमलोग जानवर को भी खिलाते है, महुआ से यदि कोई शराब बनाते हैं तो उस पर रोक लगनी चाहिए । वैसे शराब तो चावल से भी बनता है, भात से बनता है, अभी चैत का महीना है, महुआ लोग चुनते हैं- महुआ से यदि शराब बनाया जाता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए । उसी तरह से पासी लोग भी खजूर के फल से रस निकालते हैं(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सरकार को अपना सुझाव दे दीजियेगा ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, मेरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है । महोदय, नये विधान सभा का जो निर्माण हो रहा है और पटना हाई-कोर्ट का जो निर्माण हो रहा है, आइ.बी.आर.सी. एल., जो कम्पनी है महोदय.....

श्री श्रवण कुमार : आइ.बी.आर.सी.एल. कम्पनी से ज्यादा खराब हालत नेता विरोधी दल का है।

श्री प्रेम कुमार : आइ.बी.आर.सी.एल. के द्वारा कलकत्ता में पुल बन रहा था, वह टूट गया है, 26 लोगों की जानें चली गई हैं, हमलागों को जानकारी मिली है, हम महोदय, सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो आइ.बी.आर.सी.एल. कम्पनी विधान सभा का निर्माण करा रही है, उच्च नयायालय भवन का निर्माण करा रही है, उसमें गुणवत्ता की शिकायत आई है और समय पर काम पूरा नहीं हुआ है, सरकार संज्ञान लेकर के इस मामले को देखे ताकि बिहार में घटना न घटे ।

अध्यक्ष : ठीक ।

माननीय सदस्यगण, आज गैर-सरकारी संकल्प लिये जाने हैं, आज के लिए 130 गैर-सरकारी संकल्प सूचीबद्ध हैं, तीन गैर-सरकारी संकल्प जो 1 तारीख से स्थगित होकर आज के लिए सूचीबद्ध है तो कुल 133 गैर-सरकारी संकल्पों का निष्पादन होना है और आज सदन का, इस सत्र का, अंतिम दिन भी है तो उसके लिए जो औपचारिक कार्य होते हैं, उसको भी होना है । हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि गैर-सरकारी संकल्पों के त्वरित निष्पादन में उनका सहयोग अपेक्षित है ।

दिनांक 01 अप्रील से स्थगित तीन गैर-सरकारी संकल्प हैं । सभी माननीय सदस्यगण विवेकशील प्राणी हैं, इतना ख्याल तो वे अवश्य रखेंगे ।

डा0 सुनील कुमार ।

क्रम सं.-"क"1., पूर्व का क्रम सं0-31 डॉ0 सुनील कुमार

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित छज्जू महल्ला, मनीबाबा अखाड़ा एवं शोहन कुआँ स्थित श्मशान घाट की घेराबन्दी करावें ।"

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह । यह 1 तारीख से स्थगित है । यह श्मशान घाट की घेराबन्दी कराने से संबंधित है। 1 तारीख को नहीं आ सका था । दिखलवा लीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, इसको दिखलवा लेंगे ।

डॉ0 सुनील कुमार : अब कब आयेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी दिखलवा लेंगे, अब वापस लेने के लिए आग्रह कर दीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, इसको दिखलवा लेंगे । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, शहरों में श्मशान घाटों की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है......

अध्यक्ष : अभी आपसे सहयोग मांगे थे । अभी तुरत हम सहयोग मांगे थे ।

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, एक मिनट भी नहीं लेंगे । कह रहे हैं कि सभी जगह श्मशान घाटों का अतिक्रमण हो रहा है । संस्कार करने में लोगों को कठिनाई हो रही है । इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जिस तरह से कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराया गया है, उसी तरह से श्मशान घाटों की भी घेराबन्दी पूरे बिहार राज्य में करावें । वोटों के लिए राजनीति न करें ।

अध्यक्ष : अब वापस तो लीजिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : सरकार आश्वासन तो दे दे ।

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा कि हम दिखलवा लेंगे, तो वापस कर लीजिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : क्या हम इसको आश्वासन मानें कि बिहार .....

अध्यक्ष : वह तो आप पर निर्भर करता है । वापस ले लें नहीं तो वोट कराना पड़ेगा ।

डॉ0 सुनील कुमार : हम वोट कराने के लिए नहीं बोल रहे हैं । (व्यवधान) हम पूरे बिहार राज्य का दिये हैं, हम बिहार शरीफ का नहीं दिये हैं, पूरे राज्य का दिये हैं । हम पूरे बिहार राज्य का दिये हैं । हमने दिया ही पूरे बिहार राज्य का ।

अध्यक्ष : उधर क्यों बात में फंसते हैं ! आप अपनी बात कह चुके, आप सिर्फ यह बताइये कि आप इसको वापस लेंगे ?

डॉ0 सुनील कुमार : ले लेंगे अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0-"ख"2- पूर्व का क्रम सं0-45- श्री संजय सरावगी

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा, पटना एवं भागपुर राजकीय नेत्रहीन विद्यालय एवं दरभंगा राजकीय मूकबधिर विद्यालय को +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करे । "

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण ।

श्री आलोक कुमार मेहता : इसको दिखलवा लेते हैं ।

श्री संजय सरावगी : माननीय मंत्री महोदया उस दिन कही थीं कि हम आज के दिन में जवाब देंगे और समाज कल्याण मंत्री जी नहीं है । वह आने वाली है अध्यक्ष महोदय, उनका इंतजार कर लिया जाय । आयेंगी तो जवाब हो जायेगा ।

अध्यक्ष : आपसे बात हुई है क्या ?

श्री संजय सरावगी : जी । जी आयेंगी हुजूर, उनका इंतजार कर लिया जाय ।

अध्यक्ष : आप से जो बात हुई है, उस आश्वासन पर इसको वापस लीजियेगा ?

श्री संजय सरावगी : मंत्री जी को आने दिया जाय, मंत्री जी आ रही हैं । तो फिर उसके बाद प्रस्ताव मूभ कर देंगे ।

क्रम संख्या-"ग" 3-पूर्व का क्रम सं.-100- श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित ।)

क्रमांक-1. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव :महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के इटवा घाट पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित स्थल के डाउन स्ट्रीम में दो कि.मी. की दूरी पर पुल पूर्व से निर्मित है । वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, यह.....

अध्यक्ष : यह पुल बहुत आवश्यक है, लेकिन अभी वापस लेना है कि नहीं लेना है ? आवश्यक होगा तब ही तो आप संकल्प लायें हैं । लेकिन अभी प्रश्न एक ही कि वापस लेना है कि नहीं लेना है ?

श्री श्यासम बाबू प्रसाद यादव : वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-2 - श्री फैयाज अहमद

श्री फैयाज अहमद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंडान्तर्गत ग्राम औंसी बभनगांव स्थित आजादी पूर्व स्थापित तिब्बी शफाखाना में स्वीकृत पद से सेवानिवृत्त हुऐ चिकित्सक, कम्पाउंडर, अनुसेवक की जगह नये चिकित्सक एवं कर्मियों की पदस्थापना कर बंद पड़े शफाखाना/अस्पताल को शीघ्र जनहित में चालू करावे । "

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, चूंकि तिब्बी शफाखाना स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, यह जिला पर्षद का है, इसलिए इसे पंचायती राज विभाग को स्थनान्तरित किया गया है।

अध्यक्ष : जिला पर्षद का जो पंचायती राज विभाग है, उससे इसको दिखलवा लीजियेगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : इसको स्थनान्तरित किया गया है ।

अध्यक्ष : सरकार इसको दिखलवा लेगी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : इसको हम दिखलवा लेंगे ।

अध्यक्ष : आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं । फैयाज साहब, आप खड़े होकर कह दीजिए कि वापस लिया ।

श्री फैयाज अहमद : मैं मंत्री महोदय के आश्वासन के आलोक में संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-3 : डॉ0 रंजु गीता</u>

डॉ रंजु गीता : महोदय, मैं पस्ताव करती हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी रेलवे स्टेशन के पश्चिम रेलवे क्रॉसिंग पर आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु भारत सरकार रेल मंत्रालय से सिफारिश करे ।"

श्री चन्द्रिका राय : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी रेलवे स्टेशन के पश्चिम रेलवे क्रॉसिंग पर आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु राज्य सरकार भारत सरकार रेल मंत्रालय से सिफारिश करेगी ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी ।

टर्न-24-04-04-2016-ज्योति

(इस अवसर पर श्री मो0 इलियास हुसैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

डॉ0 रंजू गीता : महोदय, यह तो स्वीकृत हो गया !

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है, सदन की सहमति से संकल्प स्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमॉक-04 - श्री नरेन्द्र नारायण यादव</u>

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पथ निर्माण प्रमण्डल मधेपुरा के अधीन जीरो माइल भटगामा से चौसा, पुरैनी, उदाकिशुनगंज तक जाने वाली एस0एच0 58 का शीघ्र चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, पथ प्रमंडल मधेपुरा के अधीन उदाकिशुन गंज से पुरैनी, चौसा, लौआ लगान होते हुए भटगामा तक कुल 30 कि0मी0 पथ एस0एच0 58 का पथांश है । कोशी नदी पर विजय घाट में फोर लेन पुल के निर्माण हो जाने के बाद से इस पथ पर छोटे एवं भारी वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हो गयी है । वर्तमान में यह पथ 3.05 मीटर (10) फीट कैरेज-वे का सिंगल लेन पथ है । पथ का क्रस्ट थिकनेस भी भारी वाहनों के लिए अपर्याप्त है । पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की आवश्यकता को देखते हुए इस पथ को दो लेन मानक बनाने हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आार0) बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना द्वारा बनाया गया है । वर्ष 2015-16 में इसकी स्वीकृति नहीं हो सकी । वर्ष 2016-17 की कार्य योजना में इस पथ को शामिल किया जा रहा है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री के आश्वासन के आलोक में अपना संकल्प वापस लेता हूँ और माननीय मंत्री जी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपका यह संकल्प स्वीकृत हुआ ।

क्रमॉक 5- श्री सरोज यादव

श्री सरोज यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड बड़हरा के अंतर्गत गोबरी नदी से काजीचक, अगरपुरा, बभनगावां, कोल्हरामपुर होते हुए सेमरा बीलगांवा सोन नदी तक सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करावे।''

श्री राजीव रंजन सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सोन नहर प्रणाली का निर्माण रीज लाईन के अनुसार किया गया था । प्रश्नगत स्थान पर भ-ूस्तर ऊंचा रहने के कारण नहर का निर्माण होने के बावजूद भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है । उक्त वर्णित स्थिति में तकनीकी दृष्टिकोण से प्रश्नगत स्थान

पर नहर निर्माण संभव नहीं है । अतः मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सरोज यादव : माननीय सभापति महोदय, पूर्व में नहर चल रही थी, किसी कारणवश उस नहर की मरम्मती नहीं हुई इसलिए वह नहर बंद हो गयी है । अगर उस नहर को चालू कर दिया जाय तो उससे पॉच हजार एकड़ से अधिक जमीन लाभान्वित होगी और किसानों को उससे लाभ मिलेगा ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपने सरकार का उत्तर सुना मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप संकल्प वापस लें ।

श्री सरोज यादव : ठीक है, सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ मगर माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि इसपर वे ध्यान दें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक-6- श्री मनोहर प्रसाद सिंह

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत नारायणपुर ग्राम पंचायत के गोपीचक गांव से कंचिरा नदी के किनारे होते हुए सिमरतल्ला तक सड़क का निर्माण करावे।"

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ दो पथों से संबंधित है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :

1- गोपीचक गांव से सेवाग्राम गांव तक पथ -उक्त पथ कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । क्योंकि गोपीचक ग्राम एवं सेवाग्राम के बीच कोई बसावट नहीं है । गोपीचक गांव को कटिहार-मनिहारी पी0डब्लू0डी0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है तथा सेवा ग्राम को पी0एम0जी0एस0वाय0 अंतर्गत निर्मित पथ पागलवाड़ी से महुअर तक सम्पर्कता प्राप्त है । उक्त पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

2- सेवाग्राम से सिमरतल्ला तक पथ- उक्त पथ पी0एम0जी0एस0वाय0 अंतर्गत निर्मित पथ पागलवाड़ी से महुअर तक का पथांश है अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है, सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमॉक-11-श्री कृष्ण कुमार ऋषि</u>

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत बनमनखी अनुमण्डल के जानकी नगर (6 चोपड़ा नामनगर) को प्रखंड का दर्जा दिलावे । "

श्री श्रवण कुमार : महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत बनमनखी अनुमंडल के जानकीनगर को प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है । प्राप्त अनुरोध पत्र के आलोक में पूर्णिया जिलान्तर्गत बनमनखी अनुमंडल के जानकीनगर को प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को निर्देशित किया गया है । सम्प्रति , पंचायत आम निर्वाचन, 2016 अधिसूचित है फलस्वरुप तत्काल प्रखंड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है । अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब वापस लीजिये , हो गया आपका ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : हम कुछ बोल नहीं रहे हैं , हम यह कह रहे हैं कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है , हम वापस ले लेते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : धन्यवाद दीजिये न ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : कहेंगे तब न स्वीकार कर लिए ? आवाज में डगमगा रहे हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपने सरकार का उत्तर सुना नहीं, हो गया ।

श्री श्रवण कुमार : पोजीटिव जवाब है तब भी वापस नहीं ले रहे हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया, वापस लीजिये ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : वापस ले लिए सर ।

सभापति : ठीक है, बैठ जाईये । सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमॉक-14-श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता</u>

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड को दो भाग में करते हुए शिकारगंज को प्रखंड का दर्जा दिलावे । "

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड के शिकारगंज को प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध में श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0 एवं

अन्य द्वारा विभाग को अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है । प्राप्त अनुरोध पत्र के आलोक में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के शिकारगंज को प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को निर्देशित किया गया है । सम्प्रति, पंचायत आम निर्वाचन, 2016 अधिसूचित है फलस्वरुप तत्काल प्रखंड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक-60-श्री रामदेव राय - अनुपस्थित

क्रमॉक-101-श्री संजय कुमार सिंह -अनुपस्थित

टर्न-25/विजय/04.04.16

क्रमांक -7 श्री आनंद शंकर सिंह

श्री आनंद शंकर सिंह: साभपति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड देव के कटैया ग्राम से बालूगंज को जोड़ने वाले पथ में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अंतर्गत निर्मित पथ एन0एच0-2 से जीवाबिगहा भाया खखरा पथ में रामरेखा नदी पर अवस्थित है । डाउन स्ट्रीम मे 7 कि0मी0 की दूरी पर पुल अवस्थित है । अत: प्रश्नगत पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री आनंद शंकर सिंह: महोदय, आपके माघ्यम से मैं आग्रह करूंगा कि यह नक्सलीग्रस्त इलाका है प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी ये जरूरी है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य आपने सरकार का उत्तर सुना, अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने संकल्प को वापस लें ।

श्री आनंद शंकर सिंह: मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक -8 श्रीमती रेखा देवी

श्रीमती रेखा देवीः महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि,

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला अंतर्गत मसौढ़ी-नौबतपुर पथ से डोरी पर तक जर्जर सड़क की विशेष मरम्मति करावे । "

श्री शैलेश कुमारः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई डेढ़ कि0मी0 है जो नयी अनुरक्षण नीति के अंतर्गत श्रेणी-1 में सम्मिलित है । निधि की उपलब्धता के आधार पर इस पथ का निर्माण किया जाएगा । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्या, वापस लीजिये आपको तो आश्वासन हो गया ।

श्रीमती रेखा देवीः महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक - 9 श्रीमती सुनीता सिंह चौहान

श्रीमती सुनीता सिंह चौहानः महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के कुम्हरार गांव से गंगा धरमपुर लहसुरका, जगदीशपुर, मोउराहां गांव होते हुए तरियानी जाने वाली कच्ची सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमारः महोदय, अभिस्तावित पथ के रेखांकन पर स्थित गंगा धरमपुर कुम्हरार, लहसुरका, जगदीशपुर सीमान गांव को मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अंतर्गत निर्मित गंगा धरमपुर लदौरा पथ से सम्पर्कतास प्राप्त है । मउराहां गांव को केन्द्रीय एजेंसी एन0एच0पी0सी0 द्वारा निर्मित मउराहां से तरियानी पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । जगदीशपुर सीमान से मउराहां पथ की लंबाई 1.6 कि0मी0 है जो ईटकृत है । उक्त पथ पर कोई बसावट नहीं रहने के कारण उसे किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है । इस पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहानः महोदय, प्रखंड तरियानी जिला शिवहर अंतर्गत कुम्हरार चौक से गंगा धरमपुर तथा जगदीशपुर मोउराहा होते हुए तरियानी जाने वाली सड़क की स्थिति बहुत जर्जर और आवागमन के लायक नहीं है । इसके कारण आवागमन अवरूद्ध है। लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । महोदय, तरियानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): यह संकल्प है माननीय सदस्या, सरकार का उत्तर आपने सुना निवेदन करूंगा संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्रीमती सुनीता चौहान: प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण कराने का आदेश देने की कृपा करेंगे । मैं संकल्प वापस लेती हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक - 10 श्री जितेन्द्र कुमार राय

श्री जितेन्द्र कुमार राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला अंतर्गत खैरा एस0एच0-90 सड़क से मढ़ौरा अनुमंडल होते हुए एस0एच0-73 सड़क तक जाने वाली शेष पथ को एस0एच0 का दर्जा देकर निर्माण करावे । "

श्री तेजस्वी यादव: महोदय, सारण जिलान्तर्गत खैरा एस0एच0-90 से मढ़ौरा एस0एच0-73 तक सड़क की कुल लंबाई 18 कि0मी0 है । वर्तमान में यह पथ वृहद जिला पथ है। यह पथ स्टेट हाईवे नहीं है । यह पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 के पैकेज संख्या-40 में संधारण हेतु शामिल था । पथ की क्षतिग्रस्त स्थिति एवं पथ की महत्ता को देखते हुए इस पथ को ओ0पी0आर0एम0सी0 के पैकेज से डीलइट कर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की स्वीकृति दी जा चुकी है । इस पथ को वर्तमान में इंटरमिडियेट लेन निर्माण का प्रावधान है । ओ0पी0आर0एम0सी0 के पैकेज संख्या-40 का मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रहने के कारण इस पथ का निविदा निष्पादन नहीं हो पाया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, संकल्प वापस ले लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक -12 श्री विजय कुमार मंडल

श्री विजय कुमार मंडल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के उत्तरी डेहरी पंचायत में कोड़ैली घाट पर पुल का निर्माण करावे।"

श्री शैलेश कुमार: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तावित पुल पोठली ग्राम से कोरवाखेरी पथ के दुसरे कि0मी0 में रत्ना नदी पर अवस्थित है । उक्त पथ राज्य कोर नेटवर्क

के क्रमांक-53 पर अंकित है । प्राथमिकता क्रमानुसार उक्त पथ के साथ प्रस्तावित पुल का निर्माण कराया जा सकेगा । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री विजय कुमार मंडल: मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कि वे ले लिये हैं मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-13 श्री फैसल रहमान</u>

श्री फैसल रहमान: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिले के ढांका बाजार की जाम से निजात दिलाने हेतु ढांका-घोड़ासाहन पथ से पिपरा वाजिद होते हुए ढांका-फुलवरिया पथ तक सड़क का निर्माण करवे ।"

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य ।

श्री शैलेश कुमार: हस्तांतरित है महोदय नगर विकास को ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): प्रभारी मंत्री नगर विकास ।

श्री महेश्वर हजारी: सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार के प्रत्येक शहर के प्रत्येक घर को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु शहर के सभी मुहल्ले में गलियों एवं नालियों का निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना मंजूर की गयी है । इस योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्षो में शहरी क्षेत्र के सभी शाखा सड़कों एवं गलियों जिनका पक्का निर्माण नहीं हो पाया है उसे प्राथमिकता के आधार पर सबंधित नगर निकाय द्वारा पक्कीकरण कराया जाएगा । इसी क्रम में वर्णित सड़क का निर्माण कार्य को समावेशित किया गया है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य ।

श्री फैसल रहमान: मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-15 श्री निरंजन कुमार मेहता</u>

श्री निरंजन कुमार मेहता: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज अनुमंडल का एक मात्र सरकारी एच0एस0 कॉलेज में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की भी पढ़ाई शुरू करावे ।"

श्री अशोक चौधरी: बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के अंतर्गत एच0एस0 कॉलेज उदाकिशुनगंज एक अंगीभूत महाविद्यालय है । विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रसंगाधीन महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पूर्व से संम्बद्धन नहीं है । विश्वविद्यालय से संबंद्धन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के संगत प्रावधानों के आलोक में संबंद्धन देने में सरकार की पूर्वानुमति संसूचित करने की आवश्यकता होगी । तत्पश्चात् विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पढ़ाई करने पर विचार करना संभव हो सकेगा ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय सभापति महोदय, के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि 1956 ई0 से अबतक ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): यह कोई घ्यानाकर्षण नहीं न है कि बहस कीजियेगा ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: विचार करेंगे । मैं संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-26/राजेश/4.4.16

<u>क्रमांक-96, श्री अरुण कुमार ।</u>

श्री अरुण कुमार:- सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह काम्फेड द्वारा निर्धारित गाय के दूध की दर 24 रुपये के बदले पशुपालकों के हित में 33 रुपये निर्धारित करें।''

श्री अवधेश कुमार सिंह:- सभापति महोदय, दूध उत्पादकों को दी जा रही कीमतों का सीधा प्रभाव उसके विक्रय दर पर पड़ता है एवं कीमत बढ़ाने से विक्रय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिहार के दूध के उत्पादकों को अन्य राज्यों में गाय के दूध हेतु प्राप्त हो रही कीमतों की समीक्षा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से प्राप्त दूध की दूर 3 प्वायंट एवं एस0एन0एफ0 8.5 के ऑकड़ों से करने पर यह स्पष्ट होता है कि बिहार के उत्पादकों को गाय के दूध हेतु प्राप्त हो रही दरें पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के मेहसाना संघ से अधिक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार दरें इस प्रकार है:-

बिहार 23.29,पश्चिम बंगाल 21.31,हरियाणा 20.26,पंजाब 22.52, मधयप्रदेश 22.70,महाराष्ट्र 18.50 से 20 प्वायंट तक एवं मेहसाना गुजरात 22.28, माननीय सदस्य आपकी भावना को हम आदर करते हैं और बिहार में हम ज्यादा दूध उत्पादकों को हम दे रहे हैं पेमेन्ट,इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना संकल्प वापस लें।

श्री अरुण कुमार:- हमारा अनुरोध है वापस तो ले ही लेंगे लेकिन जो लिखकर पदाधिकारी भेज देते हैं,वही मंत्री जी पढ़ देते हैं। हमलोग तो सदस्य बने है गरीब गुरुआ के, हमलोगों को कोई इज्जत नहीं है। हम वापस लेते हैं कि सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गरीब गुरुआ पर धयान दिया जाय।

सभापति:- सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव:- महोदय, कुछ आवश्यक कार्य आ गया है,इसलिए हमें जाना होगा। आग्रह है कि हमारा पहले कर लिया जाय।

सभापति:- ठीक है, उसी पर आ रहा हूँ।

क्रमांक :- ग 3, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन:-सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर नगर परिषद् क्षेत्र मगरदही घाट बुढ़ी गंडक पुल के निकट से वाया चकनुर स्लूइस गेट होते हुए चकहुसैन दुर्गा स्थान पोखरैड़ा,सिंधिया चौक होते हुए इमली चौक तक बाइपास का निर्माण करावें।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव:- महोदय, संकल्प से संबंधित पथ जिसे बाईपास निर्माण हेतु प्रस्ताव किया गया है,यह पथ निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। इस पथ की लंबाई 12 किलीमीटर है, इसमें से इमली चौक से 7 किलोमीटर ग्रामीण कार्य विभाग का पथ हैएवं 5 किलोमीटर पथा सिंचाई विभाग के बॉध पर निर्मित है, इसका निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस पथ को बाइपास के रुप में निर्माण कार्य करने हेतु पथ एवं बॉध का फिजिबिलिटी प्रतिवेदन हेतु कार्यपालक अभियंता, समस्तीपुर पथ प्रमंडल को लिखा जा रहा है। फिजिबिलिटी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा। अंत में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन:- ठीक है सर। मैं इसे वापस लेता हूँ।

सभापति:- सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक:-33, श्री विनोद कुमार सिंह ।

श्री विनोद कुमार सिंह:- सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार से बस्तौल, प्राणपुर रोड, लाभा होते हुए दिल्ली दिवानगंज तक की एन0एच081 की अर्द्धनिर्मित सड़क एवं उसी रोड के मनियॉ, कुचियाही, प्राणपुर रोड स्टेशन समीप तथा खुशहालपुर में अर्द्धनिर्मित पुलों का निर्माण पूरा करावें।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः- महोदय, कटिहार से बसतौल प्राणपुर तक एन0एच0 81 लगभग 25 किलोमीटर लंबी पथांश एवं इसी पथांश पर मनियॉ,बुधनगर,कुचियाही,प्राणपुर एवं खुशहाल में अवस्थित पुलों के निर्माण में लगभग 2 वर्ष से अधिक का विलंब होने का अनेक कारण हैं जिनमें भू-अर्जन में विलंब, संवेदक द्वारा पर्याप्त संसाधन, सामग्री इत्यादि की व्यवस्था नहीं करने एवं पुल के डिजाईन के फाइनलाईजेशन में विलंब के कारण विलंब हुआ है।

25 कि0मी0 में लगभग 18 कि0मी0 में डी0बी0एम0 जिसमें से 5 कि0मी0 में मात्र एक लेयर एवं इस 18 कि0मी0 में बी0सी0 तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 6 कि0मी0 में से 3 कि0मी0 में डब्लू0एम0एम0 तक 1 कि0मी0 में जी0एस0बी0 तक एवं 2 कि0मी0 तक मिट्टी कार्य पूर्ण है। 12 बॉक्स कलभर्ट के डेक स्लैब तक कार्य पूर्ण हो चुका है। 9 में एप्रोच स्लैब का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त 7 आर0सी0सी0 पुलों में से 5 पुलों तथा मनियॉ, कुचियाही,बुधनगर,प्राणपुर एवं खुशहालपुर का निर्माण हो चुका है परन्तु संपर्क पथ में जी0एस0बी0 तक का कार्य पूर्ण है। शेष 2 पुलों में प्रारंभिक स्तर पर है। इस योजना के संवेदक से मुख्यअभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग को कारण पृच्छा पूछ कर कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया जा रहा है।

कि0मी0 48 से 49 के 50 मीटर एवंकि0मी0 52 से 53 में भी भू-अर्जन का कार्यपूर्ण नहीं है। भू-अर्जन से संबंधित कार्य छोड़ कर शेष कार्य दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जायगी।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें।

श्री विनोद कुमार सिंहः- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है,वह बिल्कुल सही है लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि 2011 में ही शिलान्यास कराया गया था और यह महत्वपूर्ण सड़क है बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली और इसके लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो निदेश दिया है,हम चाहते हैं कि अविलंब 2016 का जो टारगेट इन्होंने दिया है, 2016 के अंदर काम हो जाता तो अच्छा होता। इसी के साथ मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ।

सभापतिः- सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-37, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर से सिरीस भाया चरण-बैरिया पथ जो नवीनगर एवं बारुन प्रखंड को जोड़ती है तथा जिसके दोनों छोर पर पी0डब्लू0डी0 रोड है का पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करावे।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः- महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर सिरीस भाया चरण-बेरिया पथ जो नवीनगर एवं बारुण प्रखंड को जोड़ने वाली पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है एवं इसकी लंबाई लगभग 35 कि0मी0 है। नये पथ का अधिग्रहण उनके संगत पहलुओं यथा भूमि की उपलब्धता निधि की उपलब्धता पथ की उपयोगिता इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है।

पथ निर्माण विभाग में इस पथ के अधिग्रहण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः- महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापतिः- सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प वापस हुआ ।

टर्नः 27/कृष्ण/ 04.04.2016

क्रमांक 40 श्रीमती आशा देवी

श्रीमती आशा देवी : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करती हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के दानापुर अनुमंडल अधीन दानापुर पानापुर सहित 7 पंचायत दियारा में स्थित है, को दानापुर से आवागमन की सुविधा हेतु सोन नदी पर पीपा पुल के बदले आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : सभापति महोदय, संकल्पाधीन स्थल पर प्रति वर्ष 676 मीटर लंबा पीपा पुल का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा किया जाता है। अप्रोच रोड सहित इतना बड़ा आर0सी0सी0 पुल के निर्माण की योजना पर निर्णय निधि की उपलब्धता एवं पुल की उपयोगिता के आधार पर लिया जाता है । वर्तमान में आर0सी0सी0 पुल निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती आशा देवी : महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि दानापुर पीपा पुल हर साल डेढ–दो करोड़ लगता है पीपा पुल जोड़ने में तो वहां की जनता मात्र 6 महीना उपयोग कर पाता है ।

सभापति : इस दर्द को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं । मैंने खुद पीपा पुल बनवाया था और वही आवेहयात बना दियारा के लोगों के लिये । आप अपना संकल्प वापस लीजिये।

श्रीमती आशा देवी : मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक 42</u> <u>श्री ललन पासवान</u>

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के एन0एच0 2 मोहनिया से मां मुण्डेश्वरी धाम से भगवानपुर रामपुर होते हुये रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड से सदोखर दरिआंव से एन0एच0 2 सासाराम के ताराचंडी धाम तक की सडक को स्टेट हाईवे में लेते हुये निर्माण करावे । ''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : सभापति महोदय, संकल्पाधीन पथ की कुंल लंबाई लगभग 104 कि0मी0 है इनमें 71 कि0मी0, 20 कि0मी0 सहित पथ निर्माण विभाग का पथ है । शेष 34 कि0मी0 में से 32 कि0मी0 `ग्रामीण कार्य विभाग का एवं 2 कि0मी0जल संसाधन विभाग का पथ है । इस 34 कि0मी0 को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु फिजिब्लिटी रिपोर्ट प्राप्त किया जा रहा है । फिजिब्लिटी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सभी संगत पहलुओं पर विचार करते हुये पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर इन्टरमीडियट लेन में चौड़ीकरण करने पर राशि की उपलब्धता पर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री ललन पासवान : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन): सदन की सहमति से श्री ललन पासवान जी का संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक 56</u> <u>श्री नीरज कुमार</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित ।)

<u>क्रमांक 57</u> <u>श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन</u>

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करता है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर जं0 एवं कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच एल0सी0 नं0– 53 ए पर आर0ओ0बी0 निर्माण की स्वीकृति मिल गयी है, विभाग द्वारा DESIGN/GAD

आदि की स्वीकृति दी जा चुकी है, व्यापक जनहित में उक्त आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करावे । ''

श्री तेजस्वी प्र0यादव : सभापति महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर पुसा पथ में समस्तीपुर जं0 एवं कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच समस्तीपुर सहार में एल0सी0नंबर- 53 ए पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 50-50 कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर सहमति प्रदान की जा चुकी है । उप मुख्य अभियंता, निर्माण-1, पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर से प्राप्त जी0ए0डी0 का अनुमोदन पथ निर्माण विभाग द्वारा दिया जा चुका है । अनुमोदित जी0ए0डी0 मूल में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल समस्तीपुर द्वारा दिनांक 18.04.2015 को उप मुख्य अभियंता निर्माण-1, पूर्व मध्य रेलवे,समस्तीपुर को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, यह पुल स्वीकृत रेल द्वारा पथ निर्माण के द्वारा 5 वर्ष पहले का मामला है । 2012 में भी सहमति बन गयी थी, रेल और पथ निर्माण विभाग के बीच डी0पी0आर0बनाने के लिये राईस कंपनी को दिया भी गया था । राईस कंपनी से काम लिया भी गया, उसके बाद फिर 2014 में इन दोनों की सहमति बनी है । मैं लगातार गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, विभिन्न माध्यमाों से पुल बनाने के लिये प्रयास कर रहा हूं, यह बहुत ही आवश्यक है, बीच शहर में जाम लगा रहता है । इसलिए अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इसी वित्तीय वर्ष में प्रयास करके इसको बनवा दिया जाय । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक 63</u> <u>श्री विजय कुमार सिन्हा</u>

श्री विजय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

‘‘ यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करता है कि वह लखीसराय जिलान्तर्गत नगर परिषद् क्षेत्र में बन रहे बाईपास रेलवे ओवर ब्रीज एवं सड़क का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : सभापति महोदय, लखीसरायय नगर परिषद् क्षेत्र में निर्माणाधीन बाईपास सड़क निर्माण एवं उस पर अवस्थित आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य प्रगति भूअर्जन में विलंब होने के कारण बाधित हुई है । नये भूअर्जन अधिनियम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनायी गयी परपीचअुल लीज पौलिसी के अन्तर्गत किसानों की पूर्ण स्वेच्छा एवं सहमति के आधाार पर जमीन लेने के लिये सतत लीज पर सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है । जिलाधिकारी, लखीसराय से भी यथाशीघ्र भूमि की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया है एवं जिला पदाधिकारी

के सहयोग से आधे से अधिक किसानों द्वारा सहमति दे दी गयी है । शेष के लिये प्रयास जारी है । विभाग को उपलब्ध करायी गयी सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य की जा रही है एवं लिजिंग की प्रक्रिया ससमय पूरी होने पर समय सीमा (मई,2017) के अंदर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, लखीसराय में भयानक जाम से एक जिला सिर्फ लखीसराय ही नहीं, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा सब प्रभावित होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किये थे कि 2015 में हम इसका उद्घाटन करेंगे । हमारे क्षेत्र से पूर्व सांसद अभी वर्तमान में मंत्री जी वहां उपस्थित थे । अगर विलंब होगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जायेगा और कहीं यह अधर में न लटक जाय तो हम चाहेंगे कि क्या यह जो जमीन का मामला है और उसको अधिग्रहण करने का जो मामला है तो केन्द्र सरकार की घोषित नीति के अनुसार अगर अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाते हैं तो सारे लोग वहां तैयार है ।

सभापति (श्री मा0 इलियास हुसैन): सरकार आपकी बात को बडी गंभीरता से ग्रहण कर रही है।

श्री विजय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि इसको कबतक पूरा करेंगे, यह हम माननीय मंत्री जी के मुख से सुनना चाह रहे है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, सारा जवाब हम विस्तार से दे दिये कि भूअर्जन कितना हो चुका है और कितने में सहमति आ चुकी है और जो कार्य है, हमलोग लगे हुये हैं कि जल्द से जल्द भूअर्जन हो जाय । मई, 2017 तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा । यह हमने आपको बताया ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : इस आश्वासन पर कि इस सत्र में कम से कम उद्घाटन का घोषित हो जाय ।

सभापित (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक 99</u> <u>श्री अशोक कुमार (208)</u>

श्री अशोक कुमार : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम प्रखंड के सम्बल बिगहा गांव में कॉव नदी पर पुल का निर्माण करावे । ''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम प्रखंड के सम्बल बिगहा गांव में कॉव नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल की प्रशासनिक स्वीकृति 2.14 करोड़ रूपये लागत पर पथ निर्माण

विभाग द्वारा मार्च 2014 में प्रदत्त है । निविदा के उपरांत संवेदक का चयन नवंबर,2014 में किया गया ।

संवेदक द्वारा बैंक गारंटी नहीं समर्पित करने के कारण एकरारनामा नहीं किया जा सका है।‸ निविदादाता को 10 दिनों में बैंक गारांटी जमा कर एकरारनामा करने हेतु अंतिम नोटीस दिया जा रहा है । बैंक गारंटी जमा नहीं करने पर निविदा रद्द कर पुनर्निविदा की कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अशोक कुमार : माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हुये अपना संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-28/सत्येन्द्र/4-4-16

क्रमांक-106(श्री अजीत शर्मा)

(अनुपस्थित)

क्रमांक 114(श्री प्रमोद कुमार)

श्री प्रमोद कुमार: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी नगर में पथ निर्माण विभाग बेलवनवा मध्य विद्यालय, मलाह टोला,पोस्ट ऑफिस पथ गोरख द्वार से गुदरी बाजार चौक से भाया शहीद प्रकाश द्वार होते हुए शिव मंदिर रोड होते हुए ज्ञानबाबू चौक मेस्कौर तक की जर्जर सड़क को पथ निर्माण विभाग अधिग्रहित कर निर्माण करावे।''

महोदय,यह इस शहर का बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और पथ निर्माण के सड़क से जुड़ा हुआ है। पथ निर्माण विभाग के मानक के अनुसार इसकी लम्बाई-चौड़ाई है तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि पहले भी बहुत सारा अधिग्रहण हुआ है इसलिए इस सड़क का अधिग्रहण कर इसका निर्माण करावे।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: संकल्पाधीन पथ पथ निर्माण के अधीन नहीं है। यह पथ नगर परिषद, मोतिहारी के अधीन है। पथ में वाहनों की संख्या, पथ की उपलब्धता, आर0ओ0डब्लू0 एवं पथ के उपयोगिता के अध्ययन के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार किया जाता है। वर्त्तमान में पथ के पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वो अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री प्रमोद कुमार: वापस तो लेना ही है लेकिन इसको दिखवा कर के करवाईए।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-115(श्री विद्या सागर केशरी)

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के फारबिसगंज से खवासपुर कौआचाड़ एवं परेगना सड़क को स्टेट हाईवे के तहत अधिग्रहित कर सड़क का निर्माण करावे।'

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: सभापति महोदय,अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज से खवासपुर कौआचाड़ एवं परेगना सड़क पथ निर्माण के अधीन नहीं है। यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। पथ में वाहनों की संख्या, पथ की उपलब्धता आर0ओ0डब्लू0 एवं पथ के उपयोगिता के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार किया जाता है। वर्तमान ग्रामीण कार्य विभाग के उक्त पथ को अधिग्रहण कर एस0एच0 हाईवे के तहत निर्माण का प्रस्ताव नहीं है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें।

श्री विद्या सागर केशरी: यह सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और संकरा सड़क है,हवाई अड्डा से जुड़ा हुआ सड़क है साथ ही तीन विधान-सभा को यह सड़क जोड़ता है इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि इस सड़क के ऊपर में बहुत खास ख्याल रखें।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है। आपका आग्रह ग्रहण किया जाता है,आप वापस ले लें।

श्री विद्या सागर केशरी: माननीय मंत्री जी, थोड़ा आश्वासन हमें दे दें।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : मंत्री जी को तो जो कहना था कह दिये नियम कायदे के तहत आप संकल्प वापस ले लें।

श्री विद्या सागर केशरी: मैं संकल्प वापस लिया।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: कोई भी ऐसा माननीय सदस्य नहीं होगा जो नहीं चाहते होंगे कि पथ निर्माण विभाग में सड़क का अधिग्रहण नहीं हो लेकिन हमारी समस्याएं है, निधि की उपलब्धता को देखते हुए, अगर हो जाता सब कुछ उपलब्ध तो हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं होता। हमें सब कुछ देखते हुए यह निर्णय लेना पड़ता है।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन)सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-117,श्री नारायण प्रसाद

श्री नारायण प्रसाद: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीधा सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत पखनाहा बाजार के सामने गंडक नदी में पुल का निर्माण करावे।'

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः उत्तर प्रदेश बिहार के बीच सीधा सम्पर्क मार्ग हेतु पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत गंडक नदी पर रतबल धनहा पुल का निर्माण कराया जा चुका है एवं पुल पर आवागमन चालू है। चौतरवा से रतवल एवं धनहा से वासी(उत्तर प्रदेश सीमा तक) पथ का निर्माण भी कराया जा रहा है। पखनाहा बाजार के सामने गंडक नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वो अपना संकल्प ले लें।

श्री नारायण प्रसादः सभापति महोदय, यह पुल कुशीनगर जो बौद्ध सर्किट से जोड़ता है लौरिया होकर बेतिया सुगौली मोतिहारी और चनपटिया यहां के सारे लोगों को जाने का सौटकर्ट रास्ता है, 100 कि0मी0 का अन्तर पड़ेगा इसलिए बथनाहा से जोड़ा जाय और बौद्ध सर्किट से यह जुड़ सकता है इसलिए मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से कि अगर अभी नहीं पुल बनाया जा सकता है तो कम से कम पीपा पुल की व्यवस्था वहां करा दिया जाये।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सरकार देख लेगी,सर्वे उपरांत। संकल्प वापस लीजिये।

श्री नारायण प्रसादः मैं वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-124,श्री महबूब आलम</u>

श्री महबूब आलमः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के काजी टोला से बारियोल बाजीतपुर चापाखोर चांदपार,आबादपुर की सड़क को स्टेट हाई-वे में परिवर्त्तित करे।'

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के काजीटोला से बारियोल बाजीतपुर,डम्डोलिया,चापाखोर चॉदपार आबादपुर पथ पथ निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है जिसकी कुल लम्बाई लगभग 23 कि0मी0 है। पथ में वाहनों की संख्या, पथ में उपलब्धता आर0ओ0डब्लू0 एवं पथ की उपयोगिता के अध्ययन के बाद ही पथ को एस0एस0 में परिवतर्त्तित किया जाता है। वर्त्तमान में ग्रामीण कार्य के उक्त पथ को एस.एच.में परिवर्त्तन का प्रस्ताव नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वो अपना संकल्प वापस लें।

श्री महबूब आलमः महोदय,वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक 127,श्री प्रहलाद यादव

श्री प्रहलाद यादव: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के चानन प्रखंड के दस पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए लखीसराय रेलवे स्टेशन के बगल में धोबी घाट से किउल रेलवे मैदान के बीच किउल नदी पर छिलका का निर्माण करावे।'

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: संकल्पाधीन छिलका स्थल पथ निर्माण विभाग के पथ पर अवस्थित नहीं है । इस प्रकार के छिलका पुल के निर्माण हेतु जिला स्तर पर संचालन समिति गठित है। प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य बिहार विधान-सभा भी उक्त समिति के सदस्य है। उक्त समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अन्तर्गत पुलों का चयन किया जाता है । संकल्पाधीन छिलका का चयन जिला संचालन समिति द्वारा करने के बाद निर्माण पर विचार किया जायेगा। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री प्रह्लाद यादव: माननीय मंत्री जो आश्वासन दिये हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और इसे वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव जी का संकल्प वापस हुआ।

टर्न-29/मधुप/04.4.2016

क्रमांक-16 : श्री उपेन्द्र पासवान

श्री उपेन्द्र पासवान : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड स्थित राटन पंचायत के बबहन एवं निसहरा ग्राम के बीचोबीच चन्द्रभागा नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित स्थल पर 48 मीटर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण की आवश्यकता है । पुल राज्य कोर नेटवर्क के छूटे हुये पुल-पुलियों की सूची प्रपत्र-8 के बखरी प्रखंड के क्रमांक 3 पर सम्मिलित है । प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री उपेन्द्र पासवान : माननीय मंत्री महोदय से आग्रह के साथ संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-17 : श्री समीर कुमार महासेठ

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण सहित देय सभी सुविधाओं में 3% कोटे को बढ़ाकर 5 प्रतिशत करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के आलोक में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 62 दिनांक- 05.1.07 द्वारा नि:शक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के तहत राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है । सरकारी सेवा में विकलांग व्यक्तियों के लिए 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-18 : श्री अनिल कुमार यादव

श्री अनिल कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अंतर्गत गम्हरिया में ड्रेनेज पर पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल राज्य कोर नेटवर्क के क्रमांक 20 पर अंकित पथ गम्हरिया पथ के राजपूत टोला में दिलेनिया घाट पर अवस्थित है । उक्त पथ मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना ब्रिक्स अन्तर्गत निर्माण योग्य

पथों की सूची में सम्मिलित है । स्वीकृति के पश्चात् उक्त पथ के साथ प्रश्नाधीन पुल का निर्माण कराया जा सकेगा ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, अनिल कुमार यादव जी, अपना संकल्प वापस लेंगे !

श्री अनिल कुमार यादव : माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हुए मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-19 : डॉ0 रामानुज प्रसाद

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत सोनपुर विधान सभा क्षेत्र के नयागॉव रेलवे स्टेशन का नामकरण शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह रेलवे स्टेशन करने हेतु रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री चन्द्रिका राय : महोदय, सारण जिलान्तर्गत सोनपुर विधान सभा क्षेत्र के नयागॉव रेलवे स्टेशन का नामकरण शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह रेलवे स्टेशन करने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करेगी ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की अनुमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-20 : श्री रणधीर कुमार सोनी

श्री रणधीर कुमार सोनी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंडान्तर्गत हुसैनाबाद के सतबिगही खंधा में सिंचाई हेतु कोड़ियारी नदी में चेकडैम का निर्माण करावे ।''

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्रभारी मंत्री लघु जल संसाधन ।

श्री रणधीर कुमार सोनी : महोदय, जल संसाधन विभाग का है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय प्रभारी मंत्री, जल संसाधन ।

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, सतबिगही खंधा में सिंचाई हेतु कोड़ियारी नदी में चेकडैम का प्राक्कलन पूर्व में तैयार किया गया था जिसे माननीय विधायक

श्री सोनी जी के अनुरोध पर लघु सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है । यह कार्य लघु जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रणधीर कुमार सोनी : वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-21 : श्रीमती लेशी सिंह

श्रीमती लेशी सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत सतकोदरिया चौक से चपय जाने वाली आर0ई0ओ0 पथ का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 3.45 कि0मी0 है । उक्त पथ श्रेणी-2 में सम्मिलित है । प्रश्नाधीन पथ की मरम्मति का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती लेशी सिंह : सभापति महोदय, यह पथ बहुत ही महत्वपूर्ण है । जिस समय दो-चार सड़क आर0ई0ओ0 में होती थी, उस समय की सड़क है । दस वर्ष में उस सड़क में एक छीटा भी गिट्टी या मिट्टी नहीं पड़ा है । माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि जनहित में इस सड़क का निर्माण करावें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-22 : श्री राम विलाश पासवान

(अनुपस्थित)

क्रमांक-23 : श्री विजय कुमार खेमका

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला के पूर्णिया नगर निगम अंतर्गत 68 एकड़ जमीन में कृषि उत्पादन बाजार

समिति गुलाबबाग के भवन, सड़क, शौचालय, पानी की आपूर्ति, किसान भवन आदि का जीर्णोद्धार कृषि विभाग को भेजे गये मोडर्न यार्ड के प्राक्कलन अनुसार करावे ।''

श्री राम विचार राय : महोदय, बिहार कृषि उपज बाजार निरसण अधिनियम, 2006 प्रभावी होने के फलस्वरूप बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1960 एवं उनके अन्तर्गत बनाई गई बिहार कृषि उपज बाजार नियमावली, 1975 तत्काल प्रभाव से निरसित हो गई है। इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप ऐसी सभी चल और अचल सम्पत्ति चाहे पर्षद हो या बाजार समिति की है या उसके अधिकार में है या जिसपर उनका दावा है, राज्य सरकार में निहित हो गई है । कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 3875 दिनांक- 13.9.2006 के अनुसार संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के लिए विशेष पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । कृषि विभाग के पत्र संख्या 469 दिनांक- 13.9.2006 के अनुसार बाजार समिति के प्रांगण जो सरकारी नि:शुल्क बाजार समिति घोषित है, उसकी साधारण व्यवस्था जिलाधिकारी भवन निर्माण विभाग से करायेंगे ।

बाजार प्रांगण, गुलाबबाग के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मति एवं निर्माण कार्य के लिए पर्षद के पत्रांक 345 दिनांक- 29.3.2004 में 1,79,33,379 रू0 उपलब्ध कराये गये हैं ।

...क्रमश:...

टर्न-30/आजाद/04.04.2016

..... क्रमश: ....

श्री राम विचार राय : इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अपने पत्रांक 279 दिनांक 20.01.2016 तथा पत्रांक 1214 दिनांक 17.03.2016 के द्वारा बाजार समिति विघटित के प्रांगण के विकास हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन के साथ मांग की गई है । जिसमें भवन, सड़क, चहारदिवारी आदि प्रांगण के स्थायी संरचना शामिल है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रस्तुत संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री खेमका जी, इतना उत्तम उत्तर है ।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय मंत्री जी, उसी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और उनको धन्यवाद दूँगा कि मैंने उसी कृषि उत्पादन बाजार समिति ....

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य संकल्प वापस लीजिए, समय देखिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, मैं संकल्प वापस ले रहा हूँ एक आग्रह करते हुए कि सड़क उन्होंने दिया है, इसके लिए उनको धन्यवाद है और कृषि उत्पादन बाजार समिति में 25000 मजदूर, किसान, व्यवसायी और कर्मचारी डेली वहां आते हैं और

वही के जिला प्रभारी मंत्री हैं, इसलिए वहां बन जायेगा तो सबको सुविधा होगी । यही आग्रह करते हुए संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

मेरा एक और निवेदन है माननीय सदस्यों से कि संकल्प आप देते हैं अपनी समस्याओं के निदान के लिए, यह बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है । आपका यह ड्यूटी है, धर्म बनता है लेकिन उपस्थित रहिए । भाजपा के जितने एम0एल0ए0 हैं, जो अपना संकल्प देते हैं, माफ करना, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, एक-एक एम0एल0ए0 संकल्प के साथ सदन में उपस्थित हैं और इस साईड से कई लोग अनुपस्थित हैं, यह सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है । इसको ध्यान रखिए, इससे समय सरकार का बर्बाद होता है, क्योंकि जवाब तैयार कराकर सरकार आती है और सदन में मेम्बर अनुपस्थित रहते हैं । क्रमांक-24 ।

क्रमांक-24 : श्रीमती पूनम देवी यादव

श्रीमती पूनम देवी यादवः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया सदर प्रखंड के अमनी स्टील स्क्रु पाईल पुल से बगडोव होते हुए कालीस्थान के आगे आर0ई0ओ0 सड़क तक पी0सी0सी0 निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ का मुख्य बसावट बगडोव से निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अमनी स्टील स्क्रु पाईल पुल से बगडोव के बीच कोई आबादी नहीं रहने के कारण उक्त पथ कोरनेटवर्क में शामिल नहीं है । अभिस्तावित पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे संकल्प वापस लेने की कृपा करे ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय सभापति महोदय, जो पदाधिकारी इनको जवाब देते हैं, मैं मानती हूँ कि वहां बसावट है और 50हजार की आबादी उस सड़क से गुजरती है, जो मेन मुख्यालय शहर में वह सड़क जोड़ती है । 50000 की आबादी का आवागमन है । आये दिन एक्सीडेन्ट होता है.........

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की गंभीरता को हमलोगों ने ग्रहण किया और आशा रखिए । आप अपना संकल्प वापस लीजिए, समय सदन का बचाईए, माननीय सदस्यों का ध्यान दीजिए और वापस लीजिए ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : आसन जब बोल ही दिया तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-25 : श्री राणा रणधीर

श्री राणा रणधीर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ी दयाल प्रखंड के सिसहनी गांव में कछुआ नदी पर पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित स्थल अपस्ट्रीम में 6 कि0मी0 की दूरी पर तथा डाऊन स्ट्रीम 4 कि0मी0 की दूरी पर पुल पूर्व से निर्मित है । वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य राणा जी, कृपया वापस लीजिए ।

श्री राणा रणधीर : संकल्प जरूर वापस लूँगा लेकिन सर को बताना चाहता हूँ एक चीज कि सिसहनी गांव जो है, वह उग्रवाद से प्रभावित गांव है और 2005 में दिन-दहाड़े पहली घटना माओवादी की हुई थी, उसकी जननी है यह गांव, बगल में बैठे हैं......

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : उधर हमारा दौरा हो चुका है, हमारा भी मुकाबला उनसे हुआ है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप वापस ले लीजिए ।

श्री राणा रणधीर : मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-26 : सुश्री पुनम पासवान

सुश्री पुनम पासवान : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड के खेड़िया पंचायत के खेड़िया ग्राम में बिहार सरकार के खाली पड़े जमीन को खेल के मैदान के रूप में विकसित करावे । ''

श्री शिवचन्द्र राम : सभापति महोदय, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में आऊटडोर स्टेडियम निर्माण की योजना संचालित है । खेल मैदान विकसित करने की कोई योजना संचालित नहीं है ।

माननीय सदस्या सुश्री पुनम पासवान से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : संकल्प अपना वापस लीजिए, सदन आपसे आग्रह करता है, भविष्य की आशा रखिए ।

सुश्री पुनम पासवान : सभापति महोदय जी, हम तो वापस लेंगे ही, लेकिन सरकार की कोई ऐसी योजना आये तो निश्चित तौर पर सरकार मेरे विषय पर विचार करेगी । मैं वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-27 : श्री राजकुमार राय

श्री राजकुमार राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान प्रखंड में कमला नदी पर कौराही और बाघमारा के बीच उच्चस्तरीय पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित स्थल के उत्तर तरफ कच्ची सड़क है और दक्षिण तरफ 300 मीटर में निजी जमीन है । प्रश्नाधीन स्थल पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री राजकुमार राय : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-28 : श्री तारकिशोर प्रसाद

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह छात्रों, प्राध्यापकों एवं महाविद्यालय कर्मियों की कठिनाईयों को देखते हुए कटिहार में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करें ।"

श्री अशोक चौधरी : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार पूर्व से स्थापित विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को विकसित करने के लिए प्रयासरत है । कटिहार में अलग से विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कृपया अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, दो मिनट, आप वैसे भी भाजपा के प्रति सकारात्मक हैं।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सबके साथ है हमारा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, मुझे कहना है कि मधेपुरा में बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय है, उमसें 55 वित्त सहित एवं वित्त रहित महाविद्यालय है और कटिहार से लगभग 100कि0मी0 की दूरी है । रेल यातायात का कोई साधन नहीं है। अगर विश्वविद्यालय बनाने में सरकार की कोई तकनीकी कठिनाई है तो तत्काल कटिहार के डी0एस0 कॉलेज के प्रांगण में एक अस्थायी कार्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार से मैं अनुरोध करता हूॅ क्योंकि अशोक बाबू संवेदनशील हैं और आपकी भी संवेदनशीलता हम सबों के साथ है । मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सुनिए, माननीय सदस्य श्री तारकिशोर बाबू, आप विद्वान माननीय सदस्य हैं, आपसे आग्रह करेंगे कि आप संकल्प वापस लीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, सरकार इस संबंध में थोड़ा सा ब्यान दे दे क्योंकि शिक्षा को..........

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : वे बहुत सेनसेटीव मंत्री हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : हुजूर, कार्यालय पर कुछ हो जाय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, बैठिए, वापस लीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, मैं वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-29 : श्री जय वर्धन यादव</u>

श्री जय वर्धन यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के दुलहीन बाजार प्रखंड के ग्राम डुमरी (देवी स्थान) से पितवास नौबतपुर तक जनहित में पुल के साथ सड़क का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल एवं पथ का मार्ग रेखन किसी कोरनेटवर्क में आरेखित नहीं है तथा यह डुमरी से पितवास को जोड़ती है । डुमरी एवं पितवास दोनों बस्तियों को अलग-अलग बारामासी सड़कों से एकल सम्पर्कता प्राप्त है तथा इन दो गांवों के बीच अभिस्तावित मार्ग रेखन पर कोई बसावट नहीं है । फलत: उक्त पथ के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-31/अंजनी/दि0 4.4.16

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री जय वर्धन यादव जी, आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री जय वर्धन यादव : सभापति महोदय, दो मिनट समय चाहूंगा । यह दो बसावट को जोड़ने की बात नहीं है, पटना तक पहुंचने की जो दूरी है, उसको कम करने की बात है । यह हो जाने से समय भी कम लगेगा, सड़क यात्रा में भी आराम रहेगा ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय नौजवान सदस्य, हमारे प्यारे, आपसे आग्रह है कि आप माननीय मंत्री जी से मिल लीजियेगा, आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री जय वर्धन यादव : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री जय वर्धन जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-30-श्री राजेन्द्र कुमार

श्री राजेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत मथुरापुर पंचायत के ग्राम मथुरापुर उत्तरी भाग में शिवमंदिर से लाल बाबू के घर होते हुए जलील मियाँ के घर जाने वाली पथ में पी0सी0सी0 एवं पुलिया का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई l.6 किलोमीटर है, यह पथ एस0एच0 कोटवा से मथुरा पुल तक ब्रीक सम्पोषित योजना से चयनित पथ के शिवमंदिर से शुरू होकर लाल बाबू के घर होते हुए मुस्लिम टोला जलील मियां तक के घर तक जाती है। मुस्लिम टोला को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित पथ के पैकेज संख्या-बी0आर0-11आर0/97 से सम्पर्कता प्राप्त है । लाल बाबू के घर के पास मात्र दस घर की आबादी है, शिव मंदिर से मुस्लिम टोला तक कोई अनजुड़ा बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया जा सका है । प्रश्नगत पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री राजेंद्र कुमार जी, कृपया संकल्प वापस लीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जो कोर नेटवर्क तैयार हुआ है, वह गलत तैयार हुआ है, इसलिए वहां बसावट की जो दस घर की बात हो रही है, वहां घनी आबादी है और जहां हम शिवमंदिर की बात किये हैं, वहां से चलकर जो जलील मियां का घर है, वहां तक घनी आबादी है और विभाग की लापरवाही के वजह से गलत रिपोर्ट आया है, इसलिए हम निवेदन करते हैं कि मंत्री जी पुन: इसकी जांच करायें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, आपने पुल के साथ-साथ जलील मियां को अमर कर दिया इस सदन में, इसके लिए शुक्रिया, आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए, सरकार आपके संकल्प पर विचार करेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-31-श्री विनय बिहारी

श्री विनय बिहारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह योगापट्टी प्रखंडान्तर्गत ग्राम काईरगांवा पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क से कवलापुर बाजार पी0एम0जी0एस0वाई सड़क तक जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शीघ्र कराये ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 3.7 किलोमीटर है, जो ग्राम काईरगांवां पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क को कवलापुर बाजार पी0एम0जी0एस0वाई सड़क को जोड़ती है । इस पथ पर पड़नेवाले बसावट यथा विसटा टोला, चंदीमिश्रा टोला, कवलापुर, गिरियानी एवं मल्लाह टोला का सर्वेक्षण प्रकियाधीन है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी, आप अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात रख देता हूँ । मैं उस सड़क की चर्चा सदन में कर रहा हूँ, जिस सड़क पर विश्वास यात्रा के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी डेढ़ घंटा तक फंसी हुई थी और कलक्टर और एस0पी0 साहेब ने गाड़ी को धक्का दिया था, इस सड़क के बारे में कितनी बार पत्र दे चुका

हूँ जिला पदाधिकारी से लेकर सचिव तक, माननीय मंत्री के पहले जो मंत्री थे उनको भी लिखा था । मैं चाहता हूँ कि इतना डिटेल आया है कि इतना-इतना टोला, गांव पड़ता है और एक पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क से दूसरे पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क को जोड़ने वाली सड़क है और पांच साल पहले की यह घटना है तो मैं इस सदन में अपना संकल्प वापस ले रहा हूँ सदन की सहमति से लेकिन यह कहते हुए आप शेरो-शायरी के शौकीन आदमी हैं इसलिये -

लिखा परदेस किस्मत में वतन को याद क्या करना,
जहां बेदर्द हाकिम हो, वहां फरियाद क्या करना ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माशा अल्लाह, माशा अल्लाह । सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री विनय कुमार जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-32- श्री लाल बाबू राम

श्री लाल बाबू राम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड के गन्नीपुर बेझा से सिराजवाद होते हुए सुजावलपुर चौक एसन0एच0 28 तक की जर्जर सड़क का जनहित में निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 4.70 किलोमीटर है, पथ राज्य अनुरक्षण निधि के श्रेणी-1 में सम्मिलित है, निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ का मरम्मति कार्य किया जा सकेगा, अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राम जी, आप अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राम जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक -34, श्रीमती गायत्री देवी

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत बन्जरही ग्राम से होकर बहने वाली

हल्दी नदी में ग्राम बन्जरही के निकट सुलिस गेट का निर्माण कार्य लघु जल संसाधन विभाग से करावे ।''

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं ।

क्रमांक-35- श्री नन्द कुमार राय

श्री नन्द कुमार राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के मोतीपुर में मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल कार्लालय को स्थांतरित करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के मोतीपुर में मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय को स्थांतरित करने का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे कृपया अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री नन्द कुमार राय जी, आप अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नन्द कुमार राय : संकल्प तो वापस लेंगे ही, लेकिन सरकार का पहले से भी निर्णय है और उसके संबंध में हाई कोर्ट से हुआ है, हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री नन्द कुमार राय जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-36-श्री राजेश कुमार

श्री राजेश कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड के ग्राम-संडा से बालूगंज रोड के बीच बटाने नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल पर पूर्व से निर्मित 200 मीटर लम्बा पुल का एक स्पैन सितम्बर, 2015 में क्षतिग्रस्त हो गया है । वर्त्तमान में डायवर्सन बनाकर आवागमन चालू रखा गया है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी का संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-32/शंभु/04.04.16

क्रमांक-38/श्रीमती सावित्री देवी

श्रीमती सावित्री देवी : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड को अनुमण्डल का दर्जा प्रदान करे।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड को अनुमण्डल का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे कृपया अपना संकल्प वापस ले लें।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या, श्रीमती सावित्री देवी, अपना संकल्प वापस लीजिए और भविष्य में आशा लगाइये।

श्रीमती सावित्री देवी : सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि यह अधूरा सपना मेरे स्वर्गीय विधायक जी का है- अनुमंडल बनना चाहिए। मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या, आपने सही कहा, आप ठीक कह रही हैं, फाल्गुनी यादव जी वाज वेरी मच यानी वे हमलोगों के गहरे फ्रेंड थे- उनकी पत्नी हैं। बड़े लायक थे वे, संसदीय जीवन उनका बीता है। आपके प्रश्न को गंभीरता से मैं भी लेता हूँ मंत्री जी तो यहां तैयार ही हैं।

सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-43/श्री शकील अहमद खॉ

श्री शकील अहमद खॉ : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनौली को उत्क्रमित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिलावे।"

श्री आलोक कुमार मेहता : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के सोनौली में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है, यहां स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिणत करने का निर्णय लिया गया है।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित किये जाने की योजना नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री शकील अहमद खॉं : असल में इसके ताल्लुक से मुझे यह बात कहनी है कि यह 1926 में डिस्पेंसरी बनी, सोनौली स्टेशन के पास इसके पास जमीन भी है और पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने किन बुनियादों के आधार पर जाकर फीता भी काटा कि यहां पर हम उत्क्रमित स्वास्थ्य केन्द्र बनाने जा रहे हैं तो यह एक कमिटमेंट वहां पर था और उसकी बुनियाद पर मैं यह सवाल कर रहा हूॅं और मैं अपने संकल्प को वापस ले रहा हूॅं।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : यह संकल्प सदन की सहमति से वापस हुआ।

क्रमांक-39/श्री विद्या सागर सिंह निषाद

श्री विद्या सागर सिंह निषाद : मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कसबे आहर में नीमचौक से गांधी चौक तक सड़क किनारे ढका हुआ नाला का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार : किनका है सर ?

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कसबे आहर में नीमचौक से गांधी चौक तक सड़क किनारे ढका हुआ नाला का निर्माण करावे। श्री विद्या सागर सिंह निषाद जी का है।

श्री शैलेश कुमार : महोदय, यह ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित है।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : यह पेंडिंग रहा।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, इसको देखवा लेंगे और देखवाने के बाद माननीय सदस्य को संसूचित करेंगे। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने कृपा करें।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से ले रहे हैं, देखवा लेंगे, आप संकल्प अपना वापस लीजिए।

श्री विद्या सागर सिंह निषाद : वापस लेता हूं।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-41/श्री सुधीर कुमार ऊर्फ बन्टी चौधरी

श्री सुधीर कुमार ऊर्फ बन्टी चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिला अन्तर्गत खैरा प्रखंड के भिगाइन पंचायत में चन्द्रशेरी पुल का निर्माण करावे।"

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल राज्य कोर नेटवर्क के प्राथमिकता सूची के क्रमांक-3 पर अंकित है। प्राथमिकता क्रमानुसार इसका निर्माण कराया जा सकेगा। अभिस्तावित पुल के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में क्रमशः डेढ़ कि0मी0 एवं दो कि0मी0 पर निर्मित पुल है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कृपया अपना संकल्प वापस लीजिए।

श्री सुधीर कुमार ऊर्फ बन्टी चौधरी : संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ और पेंडिंग जो अभी संकल्प है उन तमाम माननीय सदस्यों पर बड़ा आपने रहम किया। धन्यवाद आपको।

क्रमांक-44/श्री सुदामा प्रसाद

श्री सुदामा प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पीरो प्रखंड मुख्यालय में एक महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे।"

श्री अशोक चौधरी : महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, यह नीतिगत मामला है, इसलिए हम कहेंगे आपसे आप तो जानकार आदमी हैं, इस संकल्प को वापस ले लें।

श्री सुदामा प्रसाद : वापस लेते हैं।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-45/श्री रामप्रीत पासवान

श्री रामप्रीत पासवान : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के अन्तर्गत मदना गांव से अंधराठाढ़ी बाजार स्व0 रामफल चौधरी स्मारक तक साढ़े चार कि0मी0 कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावे।"

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 4.5 कि0मी0 है। यह पथ पी0एम0जी0एस0वाइ0 कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक 10 पर 30/03 जमैला पथ के नाम से अंकित है। इस पथ का परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। गामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : रामप्रीत पासवान जी, अपना संकल्प वापस लीजिए।

श्री रामप्रीत पासवान : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : सदन की अनुमति से यह संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-46/श्री विनोद प्रसाद यादव

श्री विनोद प्रसाद यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के नगर पंचायत शेरघाटी अनुमण्डलीय मुख्यालय में अवस्थित है तथा नगर परिषद् बनने का सभी मापदंडों को पूरा करता है, को नगर परिषद् का दर्जा प्रदान करे।''

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, विभागीय पत्रांक 1540, दिनांक 02.03.16 तथा पत्रांक 1569, दिनांक 03.03.16 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 40 से हजार अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में उद्धृत धाराओं के आलोक में नगर परिषद् में उत्क्रमित करने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएं अंकित करते हुए प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। विधिवत् अनुशंसा सहित सम्पूर्ण आच्छादित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त नगर पंचायत को नगर परिषद् में उत्क्रमित करने हेतु विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : विनोद बाबू, वापस लीजिए बहुत ही पॉजिटिव उत्तर है।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, केवल एक शब्द जोड़ देना चाहते हैं कि 2011 में जो जनसंख्या की रिपोर्ट आई है उसमें 40 हजार में दो-तीन सौ घट गया था। अब 5 साल में जनसंख्या उसकी बढ़ गयी है और लोग वहां बस भी गये हैं तो वहां की जनसंख्या लगभग 50 हजार से ज्यादा हो गयी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से

अनुरोध करूँगा कि इसको विशेष तौर पर देखवाकर के वह दर्जा प्रदान करें और अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : वह कर रहे हैं जैसा कि उत्तर आया है। यह संकल्प सदन की अनुमति से वापस हुआ।

क्रमांक-47/श्री अमरनाथ गामी

श्री अमरनाथ गामी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत हायाघाट प्रखंड के पंचायत मलही पट्टी दक्षिणी के धरारी गांव के पास करेह नदी पर पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित स्थल के अप स्ट्रीम में 8 कि0मी0 की दूरी पर तथा डाउन स्ट्रीम में 5.7 कि0मी0 की दूरी पर पूर्व से पुल निर्मित है। वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

सभापति : माननीय सदस्य अमरनाथ गामी जी, वापस लीजिए।

श्री अमरनाथ गामी : सभापति महोदय, उस गांव को जोड़नेवाला कोई सड़क नहीं है। वहां नाव से ही गांव जाया जाता है, इसलिए कोई भी दूसरा पुल से उस गांव को लाभ होनेवाला नहीं है। मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि उस गांव को जोड़ने के लिए पुल बनवा दें।

टर्न-33/अशोक/04.04.2016

क्रमांक-48-श्री सैयद अबु दौजाना

श्री सैयद अबु दौजाना : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अंतर्गत बछारपुर कब्रिस्तान से पी.एम.जी.एस.वाई. द्वारा निर्मित सड़क जो बाजपट्टी प्रखंड के मदारीपुर पंचायत के ग्राम-मदारीपुर को जोड़ती है, के शेष टूटे हुए भाग का निर्माण कार्य पूर्ण करावे ।

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 0.85 कि.मी. है जो कच्ची है, यह पथ बछारपुर कब्रिस्तान से मदारीपुर गांव को जोड़ने वाली पथ, जिसकी लम्बाई 4.55 कि.मी. है, का पथांश है, बछारपुर कब्रिस्तान से मिर्जापुर तक 3.7 कि.मी. का

निर्माण एम.एम.जी.एस.वाई. से कराया गया था । मिर्जापुर गांव को इस पथ से एवं मदारीपुर गांव को एम.एन.पी. से निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त होने के कारण इस पथांश को किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मलित नहीं किया जा सका है । इस पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री दौजाना कृपया वापस लीजिए ।

श्री सैयद अबु दौजाना : मैं संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि प्रश्न में ही उत्तर सन्नहित रहता है अमूमन, उत्तर में संक्षेपीकरण का भी सहारा लीजिए । बड़े लम्बे-लम्बे उत्तर आते है, उसमें दो-दो हो जायेंगे ।

<u>क्रमांक-49- श्री मो0 आफाक आलम</u>

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखंड के टिमियाँ पंचायत के सुरहा घाट पर सोरा नदी पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत चयनित पथ टिमियाँ से सुरहा पथ पर अवस्थित है, उक्त पथ का डी.पी.आर. बनाने की प्रक्रिया में है । स्वीकृति के पश्चात् पथ के साथ प्रश्नाधीन पुल का निर्माण किया जा सकेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य जनाब आफाक आलम साहब, कृपया अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्री मो. आफाक आलम : धन्यवाद देते हुये मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या- 50 - श्री भोला यादव</u>

श्री भोला यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत हनुमाननगर प्रखंड के अम्बाडीह के पास स्थित सिनुरिया वाहा पर पुल का निर्माण करावे ।"

महोदय, इसमें तीसीडीह छप गया है, वस्तुतः यह अम्बाडीह है ।

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित स्थल के अप-स्ट्रीम में 1 कि0मी0 की दूरी पर तथा डाउन स्ट्रीम में 1.5 कि.मी. की दूरी पर पूर्व से पुल निर्मित है । वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय मंत्री जी धारा-प्रवाह बोलते हैं, जरा रहम भी फरमाया कीजिए कभी-कभी, बड़े निर्दयी हैं आप भाषा में । माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं ।

श्री भोला यादव : महोदय, दोनों तरफ प्रधानमंत्री सड़क योजना से रोड बना हुआ है केवल वह पुल बन जाने से समस्तीपुर की दूरी लहेरियासराय से आठ कि.मी. घट जायेगी, इसलिए मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से कि उस जगह पर पुल बनावें और इस वित्तीय वर्ष में कोर नेटवर्क में लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय मंत्री इसको ग्रहण कर लीजिए । और आप कृपया वापस लीजिए ।

श्री भोला यादव : इसी आग्रह के साथ मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या- 51- श्री मनोज कुमार</u>

श्री मनोज कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड में पटना नहर के माली उपवितरणी के उत्तरी सेवा पथ के पंचरूखिया उपहारा मुख्य पथ के ईटवॉं गावें से बनतारा गांव तक पक्की सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 8 कि.मी. है, जो इटवॉं एवं बनतारा बसावट को जोड़ती है, इटवा-पंचरूखिया हसपुरा पथ निर्माण विभाग के पथ पर अवस्थित है, जब कि बनतारा राज्य उच्च पथ सं.-68, देवकुण्ड-उपहारा पथ पर अवस्थित है । इस प्रकार उपर्युक्त दोनों बसावटों को बारह मासी सड़क से एकल सम्पकर्ता प्राप्त है । अभिस्तावित पथ किसी कोर नेटवर्क में आरेखित नहीं है, फलत: इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री मनोज बाबू ।

श्री मनोज कुमार : महोदय, पुन: पुनर्विचार के आग्रह के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रम संख्या-52 श्रीमती समता देवी

श्रीमती समता देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के सिन्दुआर गांव से डंगरा गॉव तक सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 5 कि.मी. है, जो कच्ची सड़क है , यह पथ किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । ग्राम सिन्दुआरा को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत टीटू से सिन्दुआरा पथ से एकल सम्पर्कता प्राप्त है तथा ग्राम डंगरा-बाराचट्टी टीटू पथ पर अवस्थित है इस प्रकार सिन्दुआरा एवं डगरा ग्रामों का अलग-अलग बारह मासी पथों से एकल सम्पर्कता प्राप्त है तथा इसके बीच में कोई अन्य बसावट नहीं है । फलत: अभिस्तावित पथ निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्या श्रीमती समता देवी, वापस लीजिए ।

श्रीमती समता देवी : मैं कुछ कहनाा चाहती हूँ । वह हाफ कि.मी. है, यदि हाफ कि.मी. रोड बन जाती है तो रास्ता शार्ट हो जायेगा, नहीं बनेगा तो घूम कर 10 कि.मी. की दूरी तय कर प्रखंड जाना पड़ता है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सही बात, आप गंभीरता से इसको ले लीजियेगा । आप वापस ले लीजिए ।

श्रीमती समता देवी : मैं वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-34- श्रीमती गायत्री देवी

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत बन्जरही ग्राम से होकर बहने वाली हल्दी नदी में ग्राम बन्जरही के निकट स्लूइश गेट का निर्माण कार्य लघु जल संसाधन विभाग से करावे ।''

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, इस स्लूइश गेट के निर्माण का प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया है, वहां से स्वीकृति तथा राशि प्राप्ति के पश्चात् इसका निर्माण करा दिया जायेगा अत: निवेदन है कि माननीय सदस्या अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्या ।

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, किसान हित में स्लूइश गेट निर्माण का आश्वासन दें, किसान की हालत बहुत खराब है, आश्वासन चाहती हूँ महोदय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): भारत सरकार से अनुरोध किया गया, तत्काल उत्तर आते ही आपकी समस्या का निराकरण होगा, पोजेटिव उत्तर है, आप संकल्प वापस लीजिए।

श्रीमती गायत्री : आपके माध्यम से वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-34-04-04-2016-ज्योति

क्रमॉक-53-श्री जितेन्द्र कुमार

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के बिंद एवं अस्थावॉं प्रखंड के ग्राम -सदरपुर एवं बरहोग के बीच जिराईन नदी पर छिलका का निर्माण करावे । ''

श्री राजीव रंजन सिंह : सभापति महोदय, जिराईन नदी नालन्दा जिला के बिंद एवं अस्थांवां प्रखंड के ग्राम सदरपुर के पास छिलका बीयर के निर्माण से संबंधित है । जिराईन नदी पर संदर्भित स्थल के उर्ध्व धार में दो अदद सिंचाई योजना पहले से निर्मित है एवं एक अदद सिंचाई योजना निर्माणाधीन है । इस योजना के उपयोग के पश्चात् जिराईन नदी में अतिरिक्त सिंचाई हेतु जलस्राव उपलब्ध नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आग्रह करना चाहेंगे कि प्रत्येक साल उस स्थल पर सैकड़ों गांव के लोग नदी में तटबंध बनाते हैं अपने पैसा से चंदा करके, अपने सहयोग से बनाते हैं । 15 वीं विधान सभा में भी आश्वासन दिया गया था कि उक्त स्थल पर छिलका का निर्माण कराया जायेगा ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपके संकल्प की गंभीरता को परख रहे हैं , मंत्री जी देख लेंगे , आप कृपया संकल्प वापस लीजिये ।

श्री जितेन्द्र कुमार : वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक-54 श्री सुबाष सिंह

श्री सुबाष सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के गोपालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गंडक का पानी सरयू नदी में डालने हेतु सारण तटबंध में बनाये गये परन्तु बंद हो चुके हीरापाकड़ स्लूईश गेट, देवापुर स्लूईश गेट, रुपनछाप स्लूईश गेट को खुलवाये ताकि गोपालगंज शहर जल जमाव एवं बाढ़ के खतरे से सुरक्षित हो सके । "

श्री राजीव रंजन सिंह : सभापति महोदय, गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हीरापाकड़, देवापुर, एवं रुपनछाप सरयू एवं तटबंध पर बने बाढ़ निरोधक स्लूईस का मुख्य कार्य कंट्रीसाईड के जल जमाव को गण्डक नदी में डालने हेतु गंडक नदी के बाढ़ के खतरे से शहर को सुरक्षित रखना था न कि गण्डक का पानी सरयू नदी में डालने के लिए था । इस स्लूईस गेट का कोई संबंध सरयू नदी से नहीं था । वर्तमान में स्लूईस से संलग्न नाले का अतिक्रमण हो जाने से नाले का अस्तित्व समाप्त हो गया है । बाढ़ अवधि में स्लूईस गेट खुला रहने पर बाढ़ का पानी आसानी से शहर में घुस सकता है एवं भयानक तबाही मचा सकता है, के मद्देनजर इस स्लूईश को बंद कर दिया गया है । मुख्य अभियंता, जल संसाधन , सिवान को निर्देश दिया जा रहा है कि जल जमाव क्षेत्र से जल निकासी हेतु अलग से कोई सम्भाव्यता तलाश कर कोई योजना समर्पित करें । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस ले लें ।

श्री सुबाष सिंह : महोदय, यह ...

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सरकार का जवाब पौजिटीव है ।

श्री सुबाष सिंह : पौजिटीव नहीं है । गलत उत्तर है महोदय, मैं बता रहा हूँ कि नदी से नदी जोड़ने की योजना जो केन्द्र सरकार का सपना था और राज्य सरकार भी इसके लिए लगी हुई है। उससे गण्डक नदी में बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने हेतु और तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए उस तरह से अंग्रेजों द्वारा स्लूईस गेट का निर्माण करके आज भी सर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि यह महत्वपूर्ण सवाल है । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि सिसवा कैनाल से जो बाढ़ का पानी गण्डक से निकल कर सिवान सरयू में मिलता है , इसका नतीजा हो गया है महोदय, शहर के पानी से नदी कम्पोस्ट की नदी बन गयी है, चापाकल दूषित हो चुका है, कपड़े की धुलाई नहीं हो पा रही है , छठव्रती लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए मंत्री से आग्रह करुगा कि पुनः सर्वे करा लिया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आप संकल्प वापस लीजिये ।

श्री सुबाष सिंह : इतना महत्वपूर्ण है । सुबाष बाबू हो गया । बैठिये ।

श्री राजीव रंजन सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जवाब सुनते नहीं हैं, हमने कहा कि उसकी सम्भाव्यता अलग से कैसे जल निकासी की हो सकती है मुख्य अभियंता को निर्देश दिया गया है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सुबाष बाबू बैठिये , आपका काम हो रहा है । सदन की सहमति से आपका संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक-55-श्री सुनील चौधरी - अनुपस्थित

क्रमॉक-56- श्री नीरज कुमार सिंह

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : ग्रामीण कार्य का है ?

श्री नीरज कुमार सिंह : नहीं ,पथ निर्माण का है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : तो जवाब के वक्त में आप नहीं थे वह बात हमलोग कर लेंगे । बैठ जाईये । आपका पेन्डिंग रहा ।

श्री नीरज कुमार सिंह : हम तो टाईम से आए थे, हमको लगा कि डेढ़ घंटे में आयेगा । लेकिन मंत्री महोदय, अपनी सुविधा के अनुसार पहले कर लिये । नियमत: सीरियली होना चाहिए था। ठीक है, हम मिल लेंगे । नियम का उल्लंघन हुआ है । मेरा दोष सिर्फ नहीं है ।

क्रमॉक-58- श्री अशोक कुमार सिंह (224)

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड को अनुमंडल बनावे । "

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड को अनुमंडल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : वापस लीजिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह : जी हॉ, लेता हूॅ । लेकिन इसको विचाराधीन रखा जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

बैठक विस्तारित संबंधी प्रस्ताव

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

" आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक बैठक की अवधि विस्तारित की जाय । "

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्रश्न यह है कि :

" आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक बैठक की अवधि विस्तारित की जाय । "

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

क्रमॉक-59- डा0 सुनील कुमार

डा0 सुनील कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राजय सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ नगर निगम के पुरानी अस्पताल कटरा पर पुलिस ओ0पी0 का निर्माण करावे । "

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ नगर निगम के पुरानी अस्पताल कटरा पर पुलिस टी0ओ0पी0 1975 से अबतक कार्यरत है । यह टी0ओ0पी0 लहेरी थानान्तर्गत है । लहेरी थाना तथा बिहारशरीफ थाना से इसकी दूरी लगभग आधा कि0मी0 है । कटरा टी0ओ0पी0 में एक पुलिस निरीक्षक कोटि के दो सहायक अवर निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी के साथ साथ एक सामान्य बल के सिपाही तथा एक/चार सशस्त्र बल भी प्रतिनियुक्त है । कटरा टी0ओ0पी0 क्षेत्र में अपराध की स्थिति सामान्य है । वर्तमान में नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ नगर निगम के पुरानी अस्पताल कटरा पुलिस ओ0पी0 निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

डा0 सुनील कुमार : सभापति महोदय, एक मिनट समय लूँगा । सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि यह कटरा ही वह जगह है जहॉ से बार बार बिहारशरीफ में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है । 2002 के पहले जो मंत्री जी ने कहा कि वहॉ पर बी0एम0पी0 का 12 प्लस तीन की पोस्टिंग थी जबसे वह हटाया गया हर साल होली में, दिवाली में, छठ में , दशहरा में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है । अभी होली में 26 तारीख को घटना घटी उसके पहले गणेश पूजा में घटी । हम खाली इतना ही आग्रह कर रहे हैं , हम हीरा मोती नहीं मांग रहे हैं । हम खाली इतना ही कहता है कि वहॉ पैरा मिलिट्री फोर्स का डिप्लायमेंट करा दीजिये परमानेंट उसके अलावे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सरकार गम्भीरता से इसको देखेगी । आप वापस लीजिये ।

डा0 सुनील कुमार : वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-35/विजय/04.04.16

क्रमांक-60 श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगुसराय जिला अन्तर्गत बछवाड़ा प्रखंड के दियारा क्षेत्र के सभी पंचायतों को मिलाकर चमथा में एक नया प्रखंड का निर्माण करावे ।"

श्री श्रवण कुमार: सभापति महोदय, बेगुसराय जिलान्तर्गत बछवाड़ा प्रखंड के दियारा क्षेत्र के सभी पंचायतों को मिलाकर चमथा में एक नया प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में श्री रामदेव राय, स0वि0स0 एवं अन्य द्वारा विभाग को अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। प्राप्त अनुरोध के आलोक बेगुसराय जिला अंतर्गत बछवारा प्रखंड के दियारा क्षेत्र के सभी पंचायतों को मिलाकर चमथा में एक नया प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी बेगुसराय को निदेशित किया गया है । सम्प्रति पंचायत आम निर्वाचन 2016 अधिसूचित है फलस्वरूप तत्काल प्रखंड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामदेव राय: महोदय, मंत्री जी से अनुरोध है कि 14वीं विधान सभा में भी इस प्रस्ताव पर सरकार आश्वासन दे चुकी है कि जब हम पुर्नगठन करने लगेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर इसी चालू सत्र में करेंगे । लेकिन आजतक इतना समय बीत जाने के बाद जबकि चमथा एक गैर सरकारी पर्यटक स्थल है, चार जिला के बीच में अवस्थित है । वहीं से गंगाजल लेकर लोग विद्यापति जी पर चढ़ाते हैं । सारे उत्तर और दक्षिण के जितने भी क्रिमिनल लोग हैं उसी दियारे में छिपकर रहते हैं तो सरकार से मैं पहले भी अनुरोध किया हूं कि वहां थाना एवं प्रखंड बनाने से एक तो क्राइम कंट्रोल भी हो सकता है पर्यटकों की की संख्या भी बढ़ेगी, सुरक्षा भी होगी। इसलिए मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर इस पर कब तक विचार करेगी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य संकल्प वापस लेंगे ?

श्री रामदेव राय: नहीं, सरकार से आश्वासन लेने दीजिये हुजूर । एक तो आप इतना तेज गाड़ी बढ़ाते हैं कि पैसेंजर छूट जाएगा सर ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): एक माननीय सदस्य आश्वासन ले चुके हैं और दूसरा आश्वासन की तैयारी में हैं । मिल लीजियेगा बैठकर इसका हल करा लीजियेगा ।

श्री रामदेव राय: ठीक है । मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की अनुमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक- 61 श्री नरेन्द्र कुमार सिंह ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगुसराय जिला अंतर्गत मटिहानी विधान सभा क्षेत्र के राजकीयकृत उच्च विद्यालय, मटिहानी में स्टेडियम का निर्माण करावे । "

श्री शिवचंद्र राम: सभापति महोदय, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत एक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । बेगुसराय जिलान्तर्गत मटिहानी प्रखंड के के0एल0 उच्च विद्यालीय मटिहानी में वर्ष 2008-09 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-36 दिनांक 26.08.2008 द्वारा स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह: सभापति महोदय, यह तो मुझे पता था लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 2008-09 में ही स्वीकृति मिली यथाशीघ्र इस वित्तीय वर्ष में उस स्टेडियम को पूरा करवा दें । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की अनुमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-89 श्री अरूण कुमार सिन्हा ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भावनाओं के अनुरूप कंकड़बाग के जयप्रभा अस्पताल की भूमि में आम आदमी के उपयोगार्थ किडनी तथा कैंसर रोग के ईलाज के लायक अतिविशिष्ट सरकारी अस्पताल का स्वरूप दे।"

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): प्रभारी मत्री, स्वास्थ्य ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: महोदय, एक मिनट मेरी बात और विस्तार के लिए सुन लिया जाय । आपका संरक्षण चाहिए ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): अरूण बाबू पहले जवाब सुन लिया जाय ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जयप्रभा अस्पताल कंकड़बाग में 7 एकड़ खाली भूमि पर लोक निजी भागीदारी पी0पी0सी0 के आधार पर अतिविशिष्ट

अस्पताल के स्थापना के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से ग्लोबल सेल्स पाटलीपुत्रा प्राइवेट लिमिटेड मेदांता को कार्य आवंटित किया गया है । सरकार द्वारा उक्त अतिविशिष्ट अस्पताल के निर्माण हेतु 31.08.2015 को 7 एकड़ भूमि को 33 वर्षो के उपयोग हेतु मेदांता को उपलब्ध कराया गया है । इस भूमि पर मेदांता कं0 द्वारा ढाई वर्ष के भीतर सौ बेड का अस्पताल निर्मित किया जाएगा जिसमें प्रतिवर्ष बेड की संख्या में क्रमित वृद्धि करते हुए अंततः पांच सौ बेड का अस्पताल संचालित किया जाएगा जिसमें विभिन्न गंभीर रोगों की चिकित्सा की सुविधा किडनी और कैंसर के साथ साथ की जाएगी । इसके साथ ही मेदांता में सरकार द्वारा दी गयी भूमि के उपयोग हेतु प्रथम वर्ष 3 करोड़ रूपये प्रीमियम राशि उपलब्ध कराया है इस राशि में प्रतिवर्ष 6.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के अनुसार सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा । धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): वापस लेने के लिए कहिये धन्यवाद देने से होगा । एक मिनट में कम्प्लीट करने दिया जाय यह अधूरा है ।

श्री आलोक कुमार मेहता: साथ ही अस्पताल के कुल राजस्व का 1 प्रतिशत अथवा बढ़े हुए प्रीमियम राशि का एक तिहाई इनमें से जो अधिक की प्राप्ति सरकार को होगी साथ ही उक्त अस्पताल में गरीबों, बी0पी0एल0 तथा राज्य सरकार के संस्थानों से रेफर रोगियों को अस्पताल के कुल बेड का 25 प्रतिशत बेड सुरक्षित किया जाएगा । इस अस्पताल की स्थापना से राज्य के निवासियों को अतिविशिष्ट चिकित्सा हेतु राज्य के बाहर नहीं जाना होगा । साथ ही इससे राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। अतः इस योजना को रद्द कर केवल कैंसर और किडनी अस्पताल बनाया जाना विचारणीय नहीं है । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया संकल्प को वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, अरूण कुमार सिन्हा जी अब वापस ले लेना चाहिए सरकार ने विस्तार से आपके मनोनुकूल जनहित में अपना जवाब दिया है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: नहीं महोदय, मेरी बात सुनी जाय । जयप्रभा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनकी धर्मपत्नी प्रभावती देवी के नाम से जुड़ा है । महोदय, प्रभावती देवी स्वतंत्रता सेनानी भी थीं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रमुख अनुयायी थी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): जानकारी है अरूण बाबू हम भी उनसे जुड़े हुए हैं ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: महोदय, मैं विषय को इसलिए रखना चाहता हूं कि उसे सरकार गंभीरता से ले । सरकार के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं । लेकिन चूंकि यह भावना

कि ये लोग अहम में हैं और उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं और ये संख्या बल के आधार पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): जी नां, जी नां ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: इसलिए मजबूरी में संकल्प वापस ले रहा हूं लेकिन मेदांता जिस समय काम शुरू करेगी उस समय बड़ा आंदोलन इनको झेलना पड़ेगा।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की अनुमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-62 श्री सीताराम यादव ।

श्री सीताराम यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड स्थित नरार कंगाली टोल एवं महुआ ग्राम के बीच राधा कृष्ण मंदिर के निकट जीवछ नदी पर स्लूईस गेट का निर्माण करावे ।"

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: प्रश्नगत स्थल पर स्लूईस गेट का निर्माण होने से लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई होगी । जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2 हाजर हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के सिंचाई हेतु योजनाएं तैयार की जाती हैं । अतः इसे लघु जल संसाधन विभाग को माननीय सदस्य के अनुरोध के साथ भेज दिया जाएगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस ले लें ।

श्री सीताराम यादव: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की अनुमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-36/राजेश/4.4.16

क्रम संख्या-64, डा0 अशोक कुमार ।

डा0 अशोक कुमार:- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जीवनी बिहार के विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल करावें।''

श्री अशोक चौधरी:- महोदय, राज्य के प्रारंभिक मध्य विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में छात्रों की क्षमता एवं ज्ञान के अर्जन की दृष्टि से कुछ महान विभूतियों की जीवनी शामिल की गयी है। वर्तमान में इन कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों में शिरोमणि गुरु रविदास की

जीवनी सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें।

डा0 अशोक कुमार:- महोदय, अभी पिछले दिनों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और सभी महापुरुषों के लगभग जितने बड़े महापुरुष हैं, सरकार उसको पाठ्यक्रम में रखती है..

सभापति:- सरकार इसको ग्रहण करती है गंभीरता से, लेकिन आप अपने संकल्प को वापस लीजिये।

डा0 अशोक कुमार:- महोदय, मैं इस आग्रह के साथ अपना संकल्प को वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):- सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ।

क्रम संख्या:-65, श्री सत्यदेव सिंह ।

श्री सत्यदेव सिंह:- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिलान्तर्गत करपी प्रखंड के पंचायत मुरारी स्थित झिकटिया टॉडी पर पॉलिटेकनिक कॉलेज की स्थापना करावें।''

श्री जय कुमार सिंह:- महोदय, सरकार राज्य में उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। आपके इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने सुशासन कार्यक्रम 2015 से 2020 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में पॉलिटेकनिक संस्थानों की स्थापना करने का निश्चय किया है और सरकारी पत्रांक-403 दिनांक 5.2.2016 के द्वारा जिला पदाधिकारी, अरवल से राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थान, अरवल की स्थापना हेतु अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् संघ के अनुसार 5 से 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही पॉलिटेकनिक संस्थान की स्थापना अग्रेत्तर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री सत्यदेव सिंह:- सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):- सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ।

क्रम संख्या:-66, राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव:- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर प्रखंड मुख्यालय में उप-निबंधन कार्यालय खोलवाये।''

श्री अब्दुल जलील मस्तान:- सभापति महोदय, नये निबंधन कार्यालय खोले जाने के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है कि जिन क्षेत्रों में 8 हजार न्यूनतम औसत

वार्षिक दस्तावेज निबंधन होते हैं, वहीं नया निबंधन कार्यालय खोला जाय, परन्तु मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर प्रखंड मुख्यालय में निबंधित औसतन निबंधन की संख्या केवल चार हजार है। मीनापुर प्रखंड मुख्यालय निर्धारित अहर्ता पूरा नहीं करता है, इसलिए मीनापुर में निबंधन कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव:- सभापति महोदय, मुजफ्फरपुर जिला पूर्ण नक्सल प्रभावित जिला है और हमें आशा है कि अगर वहाँ उप-निबंधन कार्यालय खोला जाय, तो सरकार को वहाँ से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और वहाँ लोगों को निबंधन में सुविधा भी होगी।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):- अच्छा है। आप इसी तरह का आशा कीजिये मुन्ना बाबू और अपना संकल्प वापस लीजिये।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव:- महोदय, इस आशा और उम्मीद से कि माननीय मंत्री जी इसपर पुर्नविचार करेंगे, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):- सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-67, श्री अनिल सिंह ।</u>

श्री अनिल सिंह:- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उग्रवाद प्रभावित तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रुप से पिछड़े नवादा जिला को मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष जिला का दर्जा दे।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव:- महोदय, किसी जिले को विशेष जिला का दर्जा दिये जाने की नीति का प्रावधान सरकार में है ही नहीं । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें ।

महोदय, ये पुराने मेम्बर हैं, विशेष जिले का दर्जा क्या होता है ?

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):- यह इनके दिमाग पर वह असर है मंत्री जी, जो हम, आप, तमाम लोग जो विशेष दर्जा केन्द्र से मांग रहे हैं, वह इनके दिमाग पर है।

श्री अनिल सिंह:- बिल्कुल आपने सत्य कहा है महोदय। नवादा जिला उग्रवाद प्रभावित जिला है महोदय, यह बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, पठारी एरिया है, न तो वहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, न तो शिक्षा की व्यवस्था है और न ही चिकित्सा की व्यवस्था है। महोदय मैंने यह इसलिए कहा, ठीक मंत्री जी ने कहा कि जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग हो रही है,तो निश्चित रुप से जब जिला विकसित होगा,तब न बिहार विकसित होगा....(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन):- विशेष राज्य का दर्जा जैसे ही मिलेगा, हम खड़ा हो करके करवा देंगे। आप अपने संकल्प को वापस लीजिये।

श्री अनिल सिंह:- महोदय, 2009 में भरी सभा में मुख्यमंत्री जी ने हिसुआ के इंटर विद्यालय में वहाॅं पर पॉलिटेकनिक कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, 2014 में श्रीकृष्ण बाबू की पुण्य तिथि पर घोषणा की लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई.......... (व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन):- आप अपनी संकल्प को वापस लीजिये।

श्री अनिल सिंह:- सभापति महोदय, मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):-सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या:-68, श्री राजेश कुमार</u>

श्री राजेश कुमार:- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के सुन्दरापुर से सुन्दरापुर मलाही टोला (चट्टी पर) के बीच पुल निर्माण करावे।''

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के लिखित उत्तर के लिये उनको धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):- शुक्रिया, शुक्रिया। हम सब आपके आभारी हैं। (व्यवधान)

वे लिखित दे चुके हैं। वे मुहजबानी कहें या लिखित, आप वापस लिये न ।

श्री राजेश कुमार:- जी।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):- सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक:-69, श्री राजीव नंदन</u>

श्री राजीव नंदन:- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह एन0एच0-83 के सुचारू रुप से परिचालन के लिए गया जिलान्तर्गत चंदौती प्रखंड में गया-पटना रेलवे लाइन पर स्थित चाकंद गुमटी तथा जहानाबाद गुमटी पर रेलवे ओवरब्रीज निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करें।''

श्री चन्द्रिका राय:- महोदय, एन0एच0 83 के सुचारु रुप से परिचालन के लिए गया जिलान्तर्गत चंदौती प्रखंड में गया-पटना रेलवे लाइन पर स्थित चाकंद गुमटी तथा जहानाबाद गुमटी पर रेलवे रोड ओभरब्रीज का निर्माण कराये जाने पर क्षेत्रीय आम जनता को रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करना पड़ेगा तथा दुर्घटना की संभावना नहीं होगी, इसके लिए

समय की भी बचत होगी और जाम से भी छुटकारा मिलेगा। अतः उक्त स्थान पर रोड ओभरब्रिज निर्माण हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करेगी।

श्री राजीव रंजन:- मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):- सदन की सहमति से यह संकल्प स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक:-70, श्रीमती कुंती देवी ।

श्रीमती कुंती देवी:- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत मोहड़ा प्रखंड में मंगुरा नदी पर ग्राम-मलबिगहा एवं रजवारा कला के सामने वाला नाला पर पुल का निर्माण करावें।''

श्री शैलेश कुमार:- महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल से दोनों ओर ग्रामीण कार्य विभाग का कोई भी पक्की सड़क निर्मित नहीं है और यह पुल स्थल विभागीय मार्गरेखन पर अवस्थित नहीं है। इस पुल स्थल के अप स्टीम में मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर एवं डाउन स्टीम में 10 किलोमीटर की दूरी पर मोहड़ा नाला पर पुल अवस्थित है। अभिस्तावित पुल के निर्माण की योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्रीमती कुंती देवी:- महोदय, मैं अपना संकल्प को वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन):- सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प वापस हुआ ।

टर्न:37/कृष्ण/04.04.2016

क्रमांक 71 श्री कुमार सर्वजीत

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड में ढ़ाढ़र नदी में ग्राम डिहुरी(बदउआ) के सामने पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेशे कुमार : महोदय, वस्तुस्थि‍ति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों ओर ग्रामीण कार्य विभाग का कोई पक्की सड़क निर्मित/निर्माणाधीन नहीं है । फलतः उक्त स्थल पर पुल निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, जिस किसी पदाधिकारी ने यह रिपोर्ट दिया है, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसकी जांच करवाईये, वह मुख्य सड़क है महोदय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आप आज के बाद माननीय मंत्री जी से मिल लीजियेगा। आप अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत: मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापित (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 72 श्री मो0 नवाज आलम

श्री मो0 नवाज आलम : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर जिलों को मिलाकर कमीशनरी का निर्माण करावे । "

श्री विजेन्द्र प्र0 यादव : महोदय, भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिलों को मिलाकर कमीशनरी निर्माण करने का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मो0 नवाज आलम : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 73 श्री चन्दन कुमार

श्री चन्दन कुमार : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के मधुपुर संझौती के बीच बागमती नदी पर पुल का निर्माण करावे।"

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पथ पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से मंझौती हरिजन टोला पथ पर अवस्थित है । उक्त पुल 2 ग 22 मीटर प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनान्तर्गत प्रस्ताव में शामिल करने की प्रक्रिया में है । ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् प्रश्नाधीन पुल का निर्माण कराया जा सकेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री शैलेश कुमार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 74 श्री सुनील कुमार (28)

श्री सुनील कुमार : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड के मेथौरा पंचायत के मेथौरा घाट के लक्ष्मणा नदी पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित स्थल के अप स्ट्रीम में 2.5 कि0मी0 की दूरी पर लगमा कपौली पथ पर तथा डाउन स्ट्रीम में 3 कि0मी की दूरी पर भाले हीरा पथ पर पुल निर्मित है । वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुनील कुमार : महोदय, मैं मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं । इन्होंने कहा कि ढाई कि0मी0 पर पुल है, पुल जरूर है लेकिन उसमें एक तरफ एप्रोज ही नहीं है । तो आने-जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आप संकल्प वापस लीजिये ।

श्री सुनील कुमार : मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 75 श्री अवधेश सिंह

श्री अवधेश सिंह : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के हाजीपुर नगर परिषद् अन्तर्गत कौनहारा घाट अवस्थित विद्युत शवदाह गृह को नियमित रूप से कार्यरत रखने तथा शवदाह गृह बंद करने की जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करे । "

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक अभियंता,गंगा परियोजना प्रमंडल संख्या 2, बिहार राज्य जल पषर्द के पत्रांक 12 दिनांक 13.01.15 द्वारा वर्णित विद्युत शवदाह गृह जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर संचालन हेतु नगर परिषद् हाजीपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है । इसे नियमित रूप से चालू करने के लिये दिनांक 01.04.2016 को नगर परिषद् हाजीपुर की बोर्ड की बैठक में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका । पुन: बैठक दिनांक 05.04.16 को आयोजित की गयी है । बैठक के निर्णय के अनुसार विद्युत शवदाह गृह चालू कराने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अवधेश सिंह : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 76 श्री मिथिलेश तिवारी

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर प्रखंड के प्यारेपुर पंचायत के आशा खैरा से लेकर बरौली प्रखंड के सलेमपुर पश्चिमी पंचायत के बधवार तक सारण तटबंध का मरम्मत एवं पक्कीकरण का कार्य करावे । "

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखंड के प्यारेपुर पंचायत के आशा खैरा से लेकर बरौली प्रखंड के सलेमपुर पश्चिमी पंचायत से बधवार तक सारण तटबंध की स्थिति ठीक है । अत: इसके पक्कीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें। ।

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जरा मेरे साथ चलें और हम दिखायेंगें। सारण तटबंध के बारे में कह रहे हैं कि इसकी स्थिति ठीक है । सीधे उसमें आदमी अंदर चला जायेगा ।

सभापति : सदन की समाप्ति के बाद उनके पास ले जाईयेगा । अभी आप संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : संकल्प तो वापस लेंगे लेकिन सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है ?

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

श्री मिथिलेश तिवारी :जबर्दस्ती वापस हुआ ।

क्रमांक 77 श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालागंज जिला के पंचदेवरी प्रखंडान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय,अहिरौली के पास से बहनेवाली गंडक नहर कोरेया शाखा में आवागमन हेतु पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पुल प्राथमिक पुल प्राथमिक विद्यालय,अहिरौली के सामने गंडक नहर पर निर्माण से संबंधित है । पुल ग्रामीण कार्य विभाग के रेखांकन पर नहीं है । इस नहर के अपस्ट्रीम में 1 किलोमीटर की दूरी पर तथा डाउनस्ट्रीम में 1 किलो मीटर की दूरी पर पुल पूर्व से निर्मित है । वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 78 श्री केदार प्रसाद गुप्ता

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड के मनियारी में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करावे ।''

श्री आलोक कुमार मेहता : वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड के मनियारी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना को स्वीकृति दे दी गयी है। साथ ही निगम बी0एस0एम0आई0सी0एल0 को भवन निर्माण कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है । जल्द ही इसका निर्माण हो जायेगा ।

श्री केदारनाथ गुप्ता : धन्यवाद ।

सभापति : आपका संकल्प स्वीकृत हुआ । आप संकल्प वापस लीजिये ।

श्री केदारनाथ गुप्ता : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 79 श्रीमती बेबी कुमारी

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करती हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखंडान्तर्गत मुशहरी ग्राम पंचायत राज मलिका हरिकेश स्थित पंचायत मुख्यालय के निकट 2 एकड़ सार्वजनिक भूमि पर स्वास्थ्य संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पार्क का निर्माण करावे । ''

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, क्षेत्रीय निरीक्षण के क्रम में स्थानीय व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखंडान्तर्गत मुशहरी ग्रम पंचायत के मुख्यालय के निकट अवस्थित भूमि दो प्लॉट में है तथा ग्रामोद्योग सहयोग समिति तथा प्रभावति खादी ग्रामोद्योग आश्रम के स्वामित्व में है । वर्तमान में इस भूमि पर गेहूं की खेती की जा रही है । यदि उक्त भूमि पर्यावरण एवं वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है तो विभाग द्वारा पार्क के रूप में विकसित किया जा सकेगा ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री बेबी कुमारी : मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-38/सत्येन्द्र/4-4-16

क्रमांक-80,श्री रामचन्द्र सहनी

श्री रामचन्द्र सहनी: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड सुगौली के नगर पंचायत,सुगौली में विशुनपुरवा बेलईठ एवं नौवाडीह में भवानीपुर उप वितरणी के अपूर्ण कार्य को अविलम्ब पूरा करावे।'

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: सभापति महोदय,माफ कीजियेगा जवाब थोड़ा लम्बा है। तिरहुत मुख्य नहर के 273 आर0डी0 से निस्सरित सुगौली शाखा नहर के 32.25 आर0डी0 दायां से बेलवा घाट उप वितरणी निस्सरित हैं। बेलवा घाट वितरणी के 67.65 आर0डी0 से भवानीपुर वितरणी निस्सरित है जिसकी कुल लम्बाई 20 आर0डी0 है। भवानीपुर उप वितरणी के 12 आर0डी0 से 19 आर0डी0 के बीच विशुनपुरवा बेलईठ एवं नौबाडीह ग्राम अवस्थित हैं।भवानीपुर उप वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य 0 आर0डी0 से 8 आर0डी0 तक कराया गया है। 8 आर0डी0 के आगे ग्रामीणों द्वारा अधिगृहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने के कारण विरोध कर कार्य को नहीं करने दिया गया। भवानीपुर उप वितरणी का भू-अर्जन 1980 के दशक में हुआ था जिससे संबंधित अभिलेख भू-अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। भवानीपुर उप वितरणी के अंतिम छोर से भवानीपुर लघु नहर निकलती है जिसकी लम्बाई 20 आर0डी0 है। भवानीपुर लघु नहर के 9 आर0डी0 20 आर0डी0 का भाग सुगौली नगर पंचायत से होकर गुजरता है। भवानीपुर लघु नहर में 7 आर0डी0 के आगे सुगौली नगर पंचायत क्षेत्र होने एवं इस क्षेत्र की जमीन लो लैंड होने के चलते जन विरोध होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका । भवानीपुर उप वितरणी के आठ आर0डी0 से बीस आर0डी0 तक का पुनर्स्थापन कार्य भू-अर्जन से संबंधित अभिलेख शीघ्र प्राप्त कर पुनर्स्थापन कार्य कराने हेतु मुख्य अभियंता, बाल्मिीकीनगर को विभागीय पत्रांक 362 दिनांक 31-3-16 से निर्देशित किया गया है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र सहनी: वापस तो ले लेते हैं लेकिन मैं सूचना देता हूं मंत्री जो को कि अभिलेख गायब कराया गया है और साथ-साथ एक दबंग आदमी के दबाव में आकर पदाधिकारी ने उसको रोका है।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):नहीं नहीं। यहां कोई दबंग का नहीं चलता है बैठ जाईए। सदन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र सहनी जी का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-81,श्री मो0 नेमतुल्लाह

श्री मो0 नेमतुल्लाहः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के हेड क्वार्टर से जोड़ने वाली सड़क मुगहरा से गोसिया बांध तक की सड़क तथा इसी से संदर्भित भईसीहीं ने नमुइआ होते हुए मुगरहां बाजार पार करते हुए गोसिया तक जाने वाली सड़क का निर्माण बरसात आरम्भ होने के पूर्व करावे।'

श्री शैलेश कुमारः महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है नबंर-1, मुगरहां से गौसियां बांध तक पथ का सर्वेक्षण, सर्वेक्षित बसावटों का सर्वे किया जा रहा है तत्पश्चात् अनजुड़े बसावटों को योग्यता का एकल प्रस्ताव दी जायेगी। नं0-2 भईसीहीं से नमुइआ होते हुए मुकरहां बाजार तक इस पथ की लम्बाई 6 कि0मी0 है जो कच्ची है। यह पथ प्रधानमंत्री ग्राम योजना के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक 20 पर भईसीहीं से नमुईयां के नाम अंकित है। इसका परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य कराया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः चूंकि लाईफ लाईन है वहां का इसलिए मैं इस संकल्प को वापस लेता हूॅ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-82,श्री अमित कुमार

श्री अमित कुमारः सभापति मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत ग्राम मसहा आलम,मसहा नरोतक एवं आदमवान गांव तक बने बांध को भारतीय सीमा से बैरगनिया स्टेशन रेलवे लाईन के मसहा आलम बांध तक विस्तारित करावे।'

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः सभापति महोदय, यह ग्राम मसहा आलम मसहा नरोतक एवं आदमगांव गांव एवं बैरगनिया रिंग बांध सीतामढ़ी रेलवे लाईन के बीचों बीच अवस्थित है। उक्त गांव से भारत नेपाल सीमा तक जल संसाधन विभाग का कोई तटबंध निर्मित नहीं है। प्रश्नाधीन भाग में तटबंध के निर्माण का कार्य बागमती बाढ़

प्रमंडल योजना के पंचम चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री अमित कुमारः मैं वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-83,श्रीमती प्रेमा चौधरी

श्रीमती प्रेमा चौधरीः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखंड स्थित पातेपुर प्रखंड के नून नदी की जनहित में अतिशीघ्र उड़ाही करावे।'

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः सभापति महोदय वैशाली जिलानतर्गत पातेपुर प्रखंड स्थित नून नदी के अतिरिक्त जल को लिंग चैनल के माघ्यम से भुरहा लिंक से भाया नदी एवं सुल्तानपुर लिंक चैनल से होते हुए गंगा में निस्सरित किया जाता है। अभी जल निकासी की कोई समस्या नहीं है। अतः वर्त्तमान में नून नदी के उड़ाही की कोई योजना नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्रीमती प्रेमा चौधरीः वापस लेती हूँ ।

श्री मो0 इलिहास हुसैनः सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती प्रेमा चौधरी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-85,श्री सुरेन्द्र कुमार

श्री सुरेन्द्र कुमारः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल खंड औराई के बागमती बांध के उत्तरी भाग में कल्याणपुर में हॉल्ट स्टेशन का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय,केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

श्री चन्द्रिका रायः सभापति महोदय,मुजफरपुर सीतामढ़ी रेल खंड में औराई प्रखंड के बागमती बांध के उत्तरी भाग में कल्याणपुर में हॉल्ट स्टेशन का निर्माण होने से क्षेत्रीय लोगों को सुविधा होगी। अतः उक्त स्थल पर हॉल्ट स्टेशन निर्माण हेतु राज्य सरकार भारत सरकार के रेल मंत्रालय को सिफारिश करेगी।

सभापति(श्री मो0 इलिहास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प स्वीकृत हुआ।

क्रमांक-84,श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रमः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अनुमंडल स्तर पर आई0टी0आई0 खोलने के निर्णय में संशोधन करते हुए बांका,जमुई,लखीसराय आदि एक अनुमंडलीय जिलों,जिसका क्षेत्रफल बड़ा और जिला पिछड़ा हुआ हो, में अनुमंडल मुख्यालय के साथ-साथ एक अतिरिक्त स्थान पर भी आई0टी0आई0 की स्थापना कराये।'

श्री विजय प्रकाशः महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय के तहत बिहार राज्य के वैसे अनुमंडल में जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, उन सभी अनुमंडलों में एक-एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रत्येक अनच्छादित जिलों में एक-एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। बांका जमुई लखीसराय शेखपुरा अरवल जिलों में पूर्व से एक-एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जहां संबंधित जिलों के सभी अनुमंडलों एवं प्रखंडों के योग्य युवक-युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त उग्रवाद प्रभावित योजना के तहत जमुई जिला में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापना की गयी है। सभी अनच्छादित जिलों को अच्छादित करने के उपरांत बड़े अनुमंडलों के संबंध में विचार किया जायेगा। अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि संकल्प को वापस ले लिया जाय।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रमः माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हुए मैं वापस लेती हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

टर्न-39/मधुप/04.4.2016

क्रमांक-86 : श्री अशोक कुमार (132)

श्री अशोक कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मथुरापुर घाट से सारी, नागरबस्ती, नत्थूद्वार, बुजुर्गद्वार, सिवैसिंहपुर, रजवारा इत्यादि ग्रामों के बगल से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी के जर्जर बॉए तटबंध को जनहित में सुदृढ़ करावें ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत मथुरापुर घाट से सारी, नागगरबस्ती, नत्थूद्वार, सिवैसिंहपुर, रजवारा इत्यादि ग्राम बूढ़ी गंडक बॉया तटबंध के 96 कि0मी0 से 138 कि0मी0 के बीच कंट्री साइड में अवस्थित है ।

तटबंध के 107 कि0मी0 से 118.50 कि0मी0 के बीच स्लोप का क्षरण हुआ है । इस भाग में तटबंध के शीर्ष पर पक्की सड़क निर्मित है । स्लोप के मरम्मति कार्य का प्राक्कलन समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक 1258 दिनांक 01 अप्रील, 2016 द्वारा मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को निदेशित किया गया है । शेष लम्बाई में प्रश्नगत तटबंध सुदृढ़ एवं सुरक्षित है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य अशोक बाबू, वापस लीजिये ।

श्री अशोक कुमार : वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-87 : श्री सुरेश कुमार शर्मा

(अनुपस्थित)

क्रमांक-88 : श्री राज कुमार साह

(अनुपस्थित)

क्रमांक-90 : श्री राघव शरण पाण्डेय

श्री राघव शरण पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन के लिए कानून बनाकर ग्राम शिक्षा समिति का पुनर्गठन करे जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के माँ-पिता की निर्णायक भूमिका हो तथा ऐसी समिति को प्रबंधन के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो।''

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्रभारी शिक्षा मंत्री ।

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह : महोदय, प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों को पंचायतों के प्रति जिम्मेदार बनाने एवं सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है । इस क्रम में बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के दिनांक- 01.4.2010 के प्रभावी हो जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 21 एवं 22 के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति के गठन हेतु बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन नियमावली, 2013 अधिसूचित किया गया । विद्यालय के प्रबंधन की जिम्मेदारी विद्यालय शिक्षा समिति को दी गई है । विद्यालय शिक्षा समिति में कुल

17 सदस्य होते हैं जिनमें 9 सदस्य छात्र-छात्राओं की माताएँ होती हैं । इस प्रकार विद्यालय के प्रबंधन में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की माताओं की निर्णायक भूमिका है। इस प्रकार विद्यालय शिक्षा समिति के गठन के पश्चात् ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता नहीं होने के कारण ग्राम शिक्षा समिति के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : श्रीमान् पाण्डेय जी, कृपया वापस लीजिये ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, कुछ कहने का मौका दिया जाय । दो मिनट बोलने का समय दिया जाय ।

मुझे मालूम है कि ग्राम शिक्षा समितियों का गठन पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान में हुआ है और हमारे बिहार राज्य में भी हुआ है । दिक्कत यह है कि ग्राम शिक्षा समितियों को आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार नहीं दिये गये हैं । एक प्रयोग नागालैंड में किया गया था और जिसकी इतनी प्रशंसा हुई है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह, सबों ने इसकी प्रशंसा की है । उससे ड्रॉप आऊट रेट जीरो हो गया है । मैंने एक पुस्तक लिखी है, शिक्षा मंत्री जी को भेजना चाहूँगा...

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है, भेज दीजियेगा । संकल्प वापस लीजिये ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : मैं संकल्प वापस लेता हूँ लेकिन शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इसको देखें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प वापस हुआ ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया शांति बनाये रखें ।

क्रमांक-91 : श्री शमीम अहमद

श्री शमीम अहमद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड के जटवा पुल से सिसवनियाँ गाँव तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला का निर्माण करावे ।''

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य ।

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ जटवा पुल से सिसवनियाँ गाँव तक की लम्बाई 670 मीटर है । सिसवनियाँ ग्राम को पी0एम0जी0एस0वाइ0 के पैकेज संख्या-बी0आर011आर0 283 से सम्पर्कता प्राप्त है । इस पथ में कोई अनजुड़ा बसावट नहीं है । प्रश्नगत पथ एवं नाला के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य शमीम अहमद साहब, वापस लीजिये ।

श्री शमीम अहमद : बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-92 : श्री दिनेश चन्द्र यादव

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत पूर्वी कोशी तटबंध के 123.5 पर स्थित निर्माण के लिए स्वीकृत स्लुईश गेट सं0-02 का निर्माण करावे ।''

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह : महोदय, प्रश्नगत स्लुईश गेट का निर्माण कार्य पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढीकरण, इसपर बिटुमेनस सड़क निर्माण एवं संरचनाओं का पुनर्स्थापन, पुनर्निमाण कार्य के अन्तर्गत पूर्व से प्रावधानित है । कार्य की लागत में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप योजना को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता पड़ी । पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् प्रश्नगत कार्य को कराने की कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री दिनेश चन्द्र यादव जी, आपके पक्ष में जवाब है । संकल्प वापस लिया जाय ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सभापति महोदय, मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-93 : श्री भाई वीरेन्द्र

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के मनेर प्रखंडान्तर्गत पंचायत कित्ता चौहत्तर के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य,

मंगरपाल एवं स्वर मरवा गंगा नदी के कटाव से नदी के गर्भ में समाते चली जा रही है, उक्त पंचायतों के कटाव से बचाव हेतु नदी के किनारे बोल्डर पीचिंग करावे ।''

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, पटना जिला के मनेर प्रखंडान्तर्गत स्वर मरवा पंचायत एवं कित्ता चौहत्तर मध्य पंचायत सोन नदी के दॉंये किनारे तथा कित्ता चौहत्तर पश्चिमी, पूर्वी एवं मंगरपाल पंचायत सोन गंगा संगम स्थल के निम्न प्रवाह में गंगा नदी के दॉंयें किनारे अवस्थित है । सोन नदी से कटाव की प्रवृति नहीं रहने के कारण स्वर मरवा एवं कित्ता चौहत्तर मध्य पंचायत पूर्णतः सुरक्षित है । परन्तु सोन गंगा के संगम बिन्दु निम्न धार में वर्त्तमान कुछ वर्षों से गंगा के दॉंये किनारे में कटाव की प्रवृति उत्पन्न हुई है ।

....क्रमशः..

टर्न–40/आजाद/04.04.2016

...क्रमशः..

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : फलस्वरूप कित्ता चौहत्तर पूर्वी एवं मंगरपाल पंचायत की कुछ कृषि भूमि का कटाव हुआ है । कटावग्रस्त भागों की सुरक्षा के लिए बाढ़ग्रस्त 2014, 2015 एवं 2016 में कित्ता चौहत्तर पूर्वी पंचायत के महावीर टोला ग्राम में कटाव विरोधी कार्य कराकर स्थल को कटाव से नियंत्रित किया गया है । आवश्यकता होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखने एवं सतत् निगरानी का निर्देश दिया गया है । बाढ़ अवधि के समाप्ति के पश्चात् कटाव के स्थायी समाधान हेतु जी0एफ0सी0सी0 से परामर्श प्राप्त कर स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–94 : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के गंडक मुख्य नहर के सम्पर्क पथ पर कोटवा एन0एच0 28 से नारायणपुर तक सम्पर्क पथ का पक्कीकरण करावे । ''

महोदय, यह सवाल तो पथ निर्माण विभाग को जाना चाहिए था या ग्रामीण कार्य विभाग को ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एन0एच0 28 तिरहुत मुख्य नहर को 481आर0डी0 पर कोटवा के पास पार करती है । नारायणपुर तिरहुत मुख्य नहर के 524आर0डी0 पर बॉये तटबंध की ओर अवस्थित है । कोटवा एवं नारायणपुर के बीच तिरहुत मुख्य नहर की लम्बाई 73 आर0डी0 है । यह सम्पर्क पथ नहीं बल्कि नहर का सेवा पथ है, जो आम आवागमन हेतु नहीं है और सेवा पथ की स्थिति ठीक है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, दो मिनट, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसी नहर पर, इसी नहर के दूसरे तटबंध पर आपका विभाग का नहीं लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़क बनाया है और यह जनहित के लिए है, आम लोगों के लिए है । मेरा अनुरोध है महोदय, सुन लिया जाय, अधिकार का हनन नहीं किया जाय महोदय, मेरा अनुरोध है कि 20 पंचायत उस नहर के किनारे है और लगभग ढ़ाई-तीन लाख की आबादी है । इनको बहुत बड़ा एसैट मिल रहा है, आपको न तो वहां पर मिट्टी भरवाना पड़ेगा और न अन्य काम करना पड़ेगा । इसलिए मैं आग्रह करता हूं, इसको माननीय मंत्री जी नहीं बनवा पायेंगे, इसको जल संसाधन विभाग नहीं बनायेगी, इसको पथ निर्माण विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग इसको बनायेगी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सम्यक रूप से इसका अध्ययन करा लिया जाय ।

श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, आपके सकारात्मक आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूॅं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-95 : श्री फराज फातमी</u>

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : संकल्प फराज फातमी जी का है लेकिन ऑथोराईज किया उन्होंने अख्तरूल इस्लाम शाहीन को, लगता है कि वे भी नहीं हैं ।

<u>क्रमांक-97 : श्री रत्नेश सादा</u>

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के सरौनी मधेपुरा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत मध्य विद्यालय, सरौता के सामने एक एकड़ जमीन पर उच्च विद्यालय की स्थापना करावे।"

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, विभागीय संकल्प सं0-1021 दिनांक 05.07.2013 द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है । जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्रश्नगत पंचायत में निर्दिष्ट मापदंडयुक्त विद्यालय के उत्क्रमण पर विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-98 : श्री सूबेदार दास

श्री सूबेदार दास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के मखदुमपुर प्रखंड अन्तर्गत मकरपुर पंचायत के बीरा अकौना रोड में मठ भगवानपुर लिंक रोड में पी0सी0सी0 एवं पुलिया का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई डेढ़ कि0मी0 है, जो कच्ची है । यह पथ राज्य कोरनेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक-47 पर अंकित है । इस पथ में मठ भगवानपुर मतदाता सूची के अनुसार आबादी 371 एवं अनजुड़ा बसावट है । राज्य में अनजुड़े बसावटों का सर्वेक्षण चल रहा है । तदनुपरान्त इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई संभव होगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : श्री दास जी, अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्री सूबेदार दास : सभापति महोदय, ठीक है, मंत्री महोदय जी के आश्वासन पर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-102 : श्री जनार्दन मांझी

श्री जनार्दन मांझी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत अमरपुर के श्याम सुन्दर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में उपलब्ध जमीन पर स्टेडियम का निर्माण करावे । ''

श्री शिवचन्द्र राम : सभापति महोदय, मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत बांका जिलान्तर्गत अमरपुर के श्याम सुन्दर माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर में स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी,बांका से प्रस्ताव की मांग की गई है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : संकल्प वापस लीजिए, पोजेटिव उत्तर है आपके पक्ष में ।

श्री जनार्दन मांझी : महोदय, मैं प्रस्ताव तो वापस ले ही रहा हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-100 : श्री प्रभुनाथ प्रसाद

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के अगिआँव प्रखंड के अन्तर्गत डिलिया गाँव के पश्चिम डिहरी आरा-नहर पर पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल राज्य कोर नेटवर्क के छूटे हुए पुल-पुलियों की सूची में सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह डिहरी आरा नहर पर अवस्थित है जो जल संसाधन विभाग के क्षेत्रान्तर्गत है । साथ ही इसके अपस्ट्रीम में दो कि0मी0 पर तथा डाऊन स्ट्रीम में मात्र 0.50 कि0मी0 पर पुल अवस्थित है । उक्त पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन):सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-126 : श्री नितिन नवीन

श्री नितिन नवीन : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना शहर के अन्तर्गत वार्ड नं0-14, 16, 17 एवं 18 के पूरे इलाके की जल निकासी हेतु मीठापुर कृषि फार्म की जमीन पर सम्प हाऊस का निर्माण करावे । ''

श्री महेश्वर हजारी : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बेऊर से मीठापुर एवं करबिगहिया से मीठापुर तक नाला निर्माण हेतु 90 करोड़ 60 लाख रू0 मात्र का प्राक्कलन तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है । इस योजना में वार्ड 14,16,17 एवं 18 के क्षेत्रों से जल निकासी हेतु सम्प हाऊस के निर्माण का

भी प्रावधान है । जिसपर विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर दी गई है एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नितिन नवीन : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-103 : श्री गिरिधारी यादव

श्री गिरिधारी यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत चांदन प्रखंड में अवस्थित लघु जल संसाधन विभाग, बांका प्रमण्डल के जीर्ण-शीर्ण झाझा बांध का जीर्णोद्धार करावे । ''

श्री आलोक कुमार मेहता : सभापति महोदय, प्रश्नगत बांध के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने के कारण इनके जीर्णोद्धार कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता पाये जाने पर कार्यान्वयन की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस ले लें ।

श्री गिरिधारी यादव : वापस ले लेते हैं ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन):सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-41/अंजनी/दि0 4.4.16

क्रमांक-104-श्री मो0 तौसीफ आलम

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के बोवाबारी पंचायत के लोहागारा हाट के दुर्गा स्थान के निकट लोहागरा नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एप्रोच में दोनों तरफ पथ कच्ची है एवं राज्य कोर नेट वर्क में सम्मिलित नहीं है । प्रश्नाधीन पुल स्थल में डाउन स्ट्रीम में एक किलोमीटर पर एनएच0-327ई0 पर पुल निर्मित है । अभिस्तावित स्थल पर पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): जनाब तौसीफ आलम साहेब, आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, वापस तो लेना ही है, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि इसको कराया जाय और मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मो0 तौसीफ आलम जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-105-श्री रामानंद प्रसाद सिंह

(अनुपस्थित)

क्रमांक 106-श्री अजीत शर्मा

(अनुपस्थित)

क्रमांक-107, श्री मुजाहिद आलम

श्री मुजाहिद आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत विशनपुर बाजार में ओ0पी0 की स्थापना करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, वर्त्तमान में किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत विशनपुर बाजार में पुलिस कैम्प कार्यरत है, जिसके द्वारा सघन गश्ती कर अपराध एवं विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखा जाता है । उक्त क्षेत्र में वर्तमान में एक अ0नि0 एवं बी0एम0पी0 के दो हवलदार और आठ सिपाही प्रतिनियुक्त हैं । वर्त्तमान में किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत विशनपुर बाजार में ओ0पी0 स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): जनाब मुजाहिद आलम, आप अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुजाहिद आलम : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद विशनपुर में ओ0पी0 निर्माण की ...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): मुजाहिद साहेब प्लीज, सदन के बाहर माननीय मंत्री जी से बात कर लीजियेगा, बहुत बड़ा काम नहीं है । आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मुजाहिद आलम : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मुजाहिद आलम जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-108-श्री जिवेश कुमार

श्री जिवेश कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के जाले प्रखंड मुख्यालय जाले बाजार की सड़क भारी अतिक्रमण का शिकार है, जिससे आये दिन दुर्घटनाएँ होती हैं एवं लोगों का जीवन दिन भर अस्त-व्यस्त रहता है, जाले की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करावे ।''

श्री (डॉ0) मदन मोहन झा : महोदय, एकमात्र सड़क है, जिससे सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही होती है, कभी-कभी वाहनों की अत्याधिक आवाजाही होने से सड़कों की चौड़ाई कम रहने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । विशेष प्रशासनिक पहल कर यातायात समस्या का निदान किया जाता है । जहां तक जाम के कारण दुर्घटना का सवाल है, इस तरह की कोई घटना फिलहाल नहीं हुई है । समाहर्ता, दरभंगा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित सड़क पर अतिक्रमण नहीं है बल्कि रास्ता ही संर्कीण है, अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): जिवेश बाबू, कृपया वापस ले लें ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, इसमें आधा रास्ता सकरा है तो उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन के बाहर कार्यालय में जाइयेगा, दोनों मिलकर करा लीजिए ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-109-श्री अशोक कुमार चौधरी

श्री अशोक कुमार चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कांटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में स्थानीय मजदूरों की नियुक्ति को सुनिश्चित करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, कांटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड एक संयुक्त उपकरण है । के0बी0यू0एन0एल0 द्वारा नवीकरण और आधुनिकीकरण कर संयंत्र का जीर्णोद्धार किया गया है । स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरणों की स्थापना की गयी है, जिसे इकाईयों का संचालन लगभग स्वचालित हो गया है । अत्याधुनिक एवं

स्वचालित यंत्र से लैस होने के कारण इसका परिचालन अतिकौशलयुक्त अभियंताओं द्वारा किया जाता है । इस संयंत्र द्वारा बिजली उत्पादन में संबधित सेवाओं हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य का निष्पादन किया जाता है । उनके द्वारा आवश्यकतानुसार मजदूरों की सेवायें ली जाती है, जिसमें सामान्यतः अधिकांश मजदूर स्थानीय होते हैं । स्थानीय मजदूरों की संख्या मुजफ्फरपुर जिले के प्रक्षेत्र में न्यूनतम 82 प्रतिशत् पूरे बिहार प्रक्षेत्र में यह लगभग 88 प्रतिशत् है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे कृपया अपने संकल्प को वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री अशोक चौधरी जी, कृपया आप अपना संकल्प ले लीजिए ।

श्री अशोक कुमार चौधरी : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-110-श्री सुबोध राय

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करे।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुबोध राय : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सुबोध राय जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-111-श्री हरिनारायण सिंह

श्री हरिनारायण सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमंडल, हरनौत के हरनौत प्रखंड अंतर्गत नरसण्डा-तेलमर पी0डब्लू0डी0 पथ के मुड़कटवा पुल के पास से भाया भेड़ीया होते नगरनौसा-चेरो पी0डब्लू0डी0 पथ तक लम्बाई 3 कि0मी0 अति-क्षतिग्रस्त ग्रामीण कार्य पथ को विशेष मरम्मति करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई तीन किलोमीटर है, नई अनुरक्षण नीति के तहत यह पथ श्रेणी-1 में शामिल नहीं है । अतः प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री हरिनारायण सिंह : सभापति महोदय, इस सड़क का जब से निर्माण हुआ, लगभग दस वर्ष पहले अभीतक इसकी मरम्मति नहीं की गयी है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पथ है.....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय मंत्री, इसको गंभीरता से ले लीजिए और माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लेते हैं । श्री हरिनारायण बाबू, सीनियर साथी हैं । इसको देखवा लें ।

श्री हरिनारायण सिंह : इसको करा दीजिए ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): करा देंगे । कृपया अपने संकल्प को वापस ले लीजिए ।

श्री हरिनारायण सिंह : महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री हरिनारायण सिंह जी का संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-42/शंभु/04.04.16

क्रमांक-112/श्रीमती कविता सिंह

श्रीमती कविता सिंह : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह स्व0 जगमातो देवी, पूर्व विधायक के नाम से उनके विधान सभा क्षेत्र दरौंदा में 30 (तीस) बेड वाला अस्पताल का निर्माण करावे।''

श्री आलोक कुमार मेहता : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विधान सभा क्षेत्र दरौंदा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बेड वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने की योजना को स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निर्मित भवन स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत कराया जा चुका है, जहां से चिकित्सा सुविधा दी जाती है। यदि सरकार की कोई जमीन नहीं होती तो जमीन के दानदाताओं की इच्छानुसार अस्पताल का नामाकरण होता।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या, कविता सिंह जी, अपना संकल्प वापस लेती हैं ?

श्रीमती कविता सिंह : सभापति महोदय, 2013 में 2 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा किया था उनकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर कि जगमातो देवी जी के नाम पर 30 बेड का अस्पताल बनेगा।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : सरकार ग्रहण करती है, वापस लीजिए कृपया। समय का ध्यान रखिये।

श्रीमती कविता सिंह : लेकिन वहां एक ईंट भी नहीं, भवन का निर्माण किया हुआ है, जॉंच वगैरह हो गया है।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : मैडम, वापस लीजिए। बात लिंगर होगा.....

श्रीमती कविता सिंह : लेकिन आश्वासन तो दे दें मंत्री जी।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : बात बढ़ाने से बढ़ता है, लकड़ी नहीं कि चिकना होगा । आप वापस लीजिए। सरकार सीरियस है।

श्रीमती कविता सिंह : मैं वापस लेती हूॅं।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-113/श्री नौशाद आलम

श्री नौशाद आलम : मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखण्डान्तर्गत एन0एच0 327 ई मैगल चौक से पाठामारी हाट तक जानेवाली सड़क की मरम्मति करावे।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ का वास्तविक नाम एल0आर0पी0 चौक से पाठामारी है। उक्त पथ का निर्माण लगभग 9 वर्ष पूर्व एम0एन0पी0 योजनान्तर्गत कराया गया था। उक्त पथ श्रेणी-1 में सम्मिलित है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार इसका मरम्मति कार्य कराया जा सकेगा। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : जनाब नौशाद आलम जी, अपना संकल्प वापस लीजिए।

श्री नौशाद आलम : जी वापस लेता हूं।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-118/श्री सी0एन0 गुप्ता

श्री सी0एन0गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह छपरा जिले के मांझी प्रखंड अन्तर्गत उच्च विद्यालय (प्लस टू), बरेजा का नामाकरण 1930 के नमक सत्याग्रही एवं महान स्वतंत्रता सेनानी स्व0 पं0 गिरीश तिवारी जी के नाम से करावे।''

श्री अशोक चौधरी : सभापति महोदय, विद्यालय में विशिष्ट अथवा व्यक्ति विशेष का नाम किसी विद्यालय के साथ जोड़ने हेतु विधिवत् रूप से विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की अनुशंसा होने पर नियमान्तर्गत राज्य सरकार की संपुष्टि के उपरांत ही नामकरण पर विचार किया जाता है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन विद्यालय के नाम के साथ स्व0 पं0 गिरीश तिवारी के नाम जोड़ने के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति से विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण इनके नामकरण पर विचार करने में कठिनाई है।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कृपया वापस लीजिए।

श्री सी0एन0गुप्ता : महोदय, विद्यालय की समिति के..........

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : सी0एन0 गुप्ता जी, यह सब प्यार से काम होते हैं, बहस नहीं। इसको वापस लेते हैं ?

श्री सी0एन0गुप्ता : जी वापस लेते हैं ।

सभापति (मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-116/श्री अब्दुल सुबहान</u>

श्री अब्दुल सुबहान : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिलान्तर्गत बायसी एवं डगरूआ प्रखंड स्थित महानन्दा, कनदई प्रमाण एवं पनार नदियों से हो रहे कटाव की रोकथाम की व्यवस्था करे।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, पूर्णियां जिलान्तर्गत बायसी प्रखंड में कनदई नदी के कटाव से बचाने हेतु ग्राम चकला एवं मोहम्मदपुर के समीप बाढ़ वर्ष 2016 एजेंडा सं0-133/164 के तहत कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है। महानन्दा नदी के कटाव से बचाने हेतु ग्राम बनगावां के समीप एजेंडा सं0-133/165, ग्राम राहीटोला एवं मरबा के समीप एजेंडा सं0-133/178 तथा ग्राम चाहट के समीप एजेंडा सं0-135/56 के तहत कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है। उपरोक्त सभी कटाव निरोधक कार्य दिनांक 15 मई, 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। वर्तमान में पूर्णियां जिलान्तर्गत डगरूआ प्रखंड में प्रश्नागत नदियों से कटाव परिलक्षित नहीं हुआ है। बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री अब्दुल सुबहान : महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेंगे ही, एक लाइन में बोल देते हैं। महानन्दा कनदई परवां नदी से 29 गांव कट रहा है, ये पांच जगह जो काम हो रहा है नाममात्र का काम हो रहा है। मेरा आग्रह होगा कि बाढ़ आने से पहले.........

अध्यक्ष : ठीक है, आग्रह के साथ वापस ले लीजिए।

श्री अब्दुल सुबहान : जी वापस लेते हैं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-119/श्री यदुवंश कुमार यादव</u>

श्री यदुवंश कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला के किसनपुर प्रखंड अन्तर्गत मौजा आसनपुर कुपहा थाना नं0-93 में एस0एस0वी0 कैम्प के लिए अधिगृहित रैयती भूखण्ड के मुआवजे का भुगतान शीघ्र पुराने सर्वे खतियान, केबाला, जमाबन्दी रसीदें एवं अन्य कागजी सबूत के आधार पर करावें।''

श्री(डा0) मदन मोहन झा : महोदय, समाहर्त्ता सुपौल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा आसनपुर, कुपहा थाना नं0-93 में एस0एस0बी0 प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण के लिए अधिगृहित भूमि में से 18.23 एकड़ रैय्यती भूमि के मुआवजा का भुगतान रैय्यतों को किया जा चुका है। 110.23 एकड़ भूमि पुराने सर्वे खतियान में रैय्यतों के नाम से दर्ज थी। उक्त भूमि हाल सर्वे खतियान में बिहार सरकार की भूमि के रूप में दर्ज है जिसके कारण समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा पुराने सर्वे खतियान के आधार पर रैय्यतों के पक्ष में सृजित जमाबन्दी को रद्द कर दिया गया एवं 110.23 एकड़ भूमि को सरकारी भूमि मानकर हस्तांतरण का प्रस्ताव विहित माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया। विभागीय पत्रांक 815, दिनांक 24.06.13 द्वारा हस्तांतरण प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध रैय्यतों द्वारा भूमि न्यायाधीकरण में याचिका दायर की गयी थी जिसे न्यायाधीकरण द्वारा समाहर्त्ता न्यायालय में पारित आदेश को सम्पुष्ट कर दिया गया एवं प्रश्नगत भूमि को बिहार सरकार का भूमि माना गया। इस भूमि के स्वामित्व के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-13198/2015 बेचू पासवान बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री यदुवंश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, 1 तारीख को भी हमने संकल्प दिया था जिसमें हमारी मांग थी कि ये रैय्यती भूखंड है नदी की धारा के चलते ये बिहार सरकार के खाते में चला गया।

अध्यक्ष : यही संकल्प 1 तारीख को था ?

श्री यदुवंश कुमार यादव : जी।

अध्यक्ष : तब तो इसको आना ही नहीं चाहिए था।

श्री यदुवंश कुमार यादव : उस जमीन को बिहार सरकार अपनी मानकर के रैय्यतों का हक छीनकर के वहां के दलित, महादलित गरीब परिवार को हटाकर वह बिना मुआवजा दिये उस जमीन को अधिगृहित कर लिया गया है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि कागजातों की समीक्षा कर रहे हैं।

श्री यदुवंश कुमार यादव : बिना मुआवजा दिये उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। रैय्यती भूखंड है पुराने सर्वे के मुताबिक और वर्तमान में नदी की धारा के चलते बिहार सरकार का- मेरा कहना है कि पुराने सर्वे का खतियान है, केवाला है, पुरानी जमाबन्दी है, सभी को रद्दी की टोकड़ी में डाल दिया गया है बिना सूचना के उसके आधार पर और रूपया भी उपलब्ध है जिला में.........

अध्यक्ष : ठीक है, आप सारी सूचना माननीय मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री यदुवंश कुमार यादव : मुआवजे की राशि भी उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी नहीं दिया जा रहा है। महोदय, मेरा निवेदन है कि उसको कागजी आधार पर, पुराने सबूतों के आधार पर इसका भुगतान करवा दें दलित, महादलित को किया जाय। यही मेरा निवेदन है और माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में अपना संकल्प वापस लेता हूं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

टर्न-43/अशोक/04.04.2016

क्रमांक-120- श्री संजय सरावगी

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा शहर के बीचोबीच अल्हुआ गद्दी में थोक फल एवं सब्जी मंडी को शहर में लगने वाले जाम के मद्देनजर एवं व्यापारियों तथा आम जनता को समस्याओं को देखते हुए शिवधारा स्थित बाजार समिति के प्रांगन में स्थनांतरित कराये ।"

श्री रामविचार राय : महोदय, बिहार कृषि उपज बाजार(निरसन) अधिनियम, 2006 प्रभावी होने के फलस्वरूप बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाई गई बिहार कृषि उपज बाजार नियमावली, 1975 तत्काल प्रभाव से निरसित हो गई है ।

कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या-3875(सचिवा0) दिनांक 13.09.2006 के अनुसार सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के लिए विशेष पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

कृषि विभाग के पत्र संख्या-469/APC, दिनांक 13.09.2006 के अनुसार अधिनियम के उद्येश्यों के प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अस्थायी रूप से ऐसा निर्णय लिया गया है कि बाजार समितियों के बाजार प्रांगण को सरकारी निःशुल्क बाजार प्रांगण को "सरकारी निःशुल्क बाजार " घोषित है।

अनुमंडल पदाधिकारी-सह-विशेष पदाधिकारी, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा शहर के जाम से बचाव के लिए अल्हुआ गद्‌दी के थोक फल एवं सब्जी मंडी को बाजार प्रागंण में स्थानान्तरित करने के लिए बाजार प्रांगण में स्थल की कमी एवं निरसन अधिनियम, 2006 में बाजार विनियमन का प्रावधान नहीं है ।

दरभंगा बाजार समिति (विघटित) का प्रागंण 17.53 (सतरह दशमलव तिरपन) एकड़ में अवस्थित है जिसमें मात्र 0.23(शून्य दशमलव तेईस) एकड़ खाली भूमि है जिस कारणवश बाजार प्रागंण में अल्हुआ गद्‌दी के थोक फल एवं सब्जी मंडी को स्थानान्तरित करने में कठिनाई है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, उसमें पूरा खाली है, 17 एकड़ और जिलाधिकारी..

श्री रामविचार राय : खाली है 23 डिसमिल, पांच कट्ठा जमीन ही है खाली ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, ये फल और सब्जी मंडी वाले जिलाधिकारी से मिले हुये हैं और जिला पदाधिकारी ने भी सरकार को लिखा है, अनुमण्डल पदाधिकारी से बात करके, इसलिए माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट मंगा लीजिए । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-121- श्री चन्द्रसेन प्रसाद</u>

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्व-मध्य रेलवे अंतर्गत पटना-गया रेल खण्ड के जहानाबाद स्टेशन से भाया एकंगरसराय-परबलपुर होते बख्तियारपुर-राजगीर रेल खण्ड के बिहार शरीफ स्टेशन तक रेलवे लाईन निर्माण की अनुशंसा केन्द्र सरकार से करे ।"

श्री चन्द्रिका राय : महोदय, पूर्व-मध्य रेलवे अंतर्गत पटना-गया रेल खण्ड के जहानाबाद स्टेशन से भाया एकंगरसराय-परबलपुर होते बख्तियारपुर-राजगीर रेल खण्ड के बिहार शरीफ

स्टेशन तक रेलवे लाईन निर्माण हो जाने से क्षेत्रीय आम जनता को आवागमन की सुविधा होगी । अतः राज्य सरकार पूर्व-मध्य रेलवे अंतर्गत पटना-गया रेल खण्ड के जहानाबाद स्टेशन से भाया एकंगरसराय-परबलपुर होते बख्तियारपुर-राजगीर रेल खण्ड के बिहार शरीफ स्टेशन तक रेलवे लाईन निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुशंसा करेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपन संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : धन्यवाद, मंत्री महोदय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-122- श्री राज किशोर सिंह</u>

श्री राज किशोर सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखण्ड के मोहम्मदपुर पोझा पंचायत के बथनटोली हाट से सोन्ध्रो-पोझा पथ स्थित महाराज भगत के घर तक सड़क निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई डेढ़ कि.मी. है, यह पथ राज्य कोर नेटवर्क में सम्मलित नहीं है, अतः इसके निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह : मै अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-128- श्री मेवालाल चौधरी</u>

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड के महानय बियर की मरम्मति एवं सफाई जल संसाधन विभाग से करावे ।"

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड में महानय बियर सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कर इसके पुनर्स्थापन कार्य हेतु योजना प्राक्कलन तैयार कराने की कार्रवाई की जा रही है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मेवालाल चौधरी : धन्यवाद, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-123-श्री अशोक कुमार सिंह (203)</u>

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के नुवॉव प्रखंड अंतर्गत तियरा पम्प कैनाल जो बीस सालों से बंद है, को चालू करावे । "

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिला के नुवॉव प्रखंड अंतर्गत तैयरातिरइया गांव के निकट कर्मनाशा नदी के दाहिने किनारे में तैयरातिरइया पम्प हाउस अवस्थित है, योजना अन्तर्गत मुख्य नहर का एक वितरणी का निर्माण वर्ष 1976-77 में आंशिक रूप से हुआ था एवं तीन अदद वितरणी का निर्माण भू-अर्जन एवं अन्य कारणाों से पूर्ण नहीं होने के कारण योजना पूर्ण नहीं हो सकी । पम्प हाउस एवं नदी में निर्मित इनटेक वेल की स्थिति काफी जर्जर है, मुख्य अभियंता, डेहरी को स्थल निरीक्षण कर विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश विभागीय पत्रांक-503 दिनांक 01.04.2016 द्वारा दिया गया है । विस्तृत योजना प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा तकनीकी सम्भावता की समीक्षा के पश्चात् कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूॅ और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-125- श्री रामसेवक सिंह

श्री रामसेवक सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के हथुआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड उचका गॉव के जमसड़ आर.ई. ओ. पथ से दक्षिण भुवला मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पथ का पक्कीकरण करावे।"

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ जमसड़ से दक्षिण भुलवा तक की लम्बाई 2.8 कि.मी. है, जमसड़ से उचका गांव, थावे पी.एम.जी.एस.वाई. निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । दक्षिणी भुलवा को डोरापुर से भुलवा एम.एम.जी.एस.वाई. से निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामसेवक सिंह : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूॅ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-129- श्री अचमित ऋषिदेव

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत पिछड़े और अनुसूचित जाति बाहूल्य रानीगंज इलाके में तकनीकी शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना करावे । "

श्री जय कुमार सिंह : महोदय, सरकार राज्य में उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है । अपने इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने सुशासन कार्यक्रम 2015-20 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों की स्थापना करने का निश्यच किया है ।

विभागीय पत्रांक-2303 दिनांक 15.11.2007, 118, दिनांक 06.05.2013, 2044, दिनांक 31.07.2013 एवं अर्धसरकारी पत्रांक-2043 दिनांक 31.07.2013 द्वारा BIADA से राजकीय पोलिटेकनिक, संसान, अररिया की स्थापना हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंडानुसार 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होते ही पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना संबंधी अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी । अतः अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-44-04-04-2016-ज्योति

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि मौजा रानी गंज थाना नं0 78 खाता 279 , खेसरा नं0 868 रकबा 2 एकड़ 80 डिसमील जमीन और खेसरा नं0 877 रकबा 2 एकड़ 31 डिसमील कुल रकबा 5.1 डिसमील जमीन....

अध्यक्ष : अचमित जी, माननीय मंत्री ने कहा है कि पॉच एकड़ भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया है और अगर सूचना है तो मंत्री जी को दे दीजिये, अभी तो प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : पिछले साल जो 17 एकड़ जमीन दी गयी है उसी के बगल में 5 एकड़ भूमि उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : उपलब्ध है तो दीजिये माननीय मंत्री जी को सूचना और अभी प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : जी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक 130- श्री राजू तिवारी

श्री राजू तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिले के अरेराज प्रखंड में इजरा गांव के समीप गंडक नदी तट पर तथा पहाड़पुर प्रखंड के नोनया गांव के समीप नोनया तालाब के तट पर विद्युत शव दाह गृह का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार : नगर विकास को स्थानान्तरित है ।

अध्यक्ष : सरकार इसको देख लेगी ।

श्री राजू तिवारी : वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक:22 श्री राम विलास पासवान

(अनुपस्थित)

क्रमॉक - ख.2 / 45- श्री संजय सरावगी (दि0 01.04.16 से स्थगित)

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा पटना एवं भागलपुर राजकीय नेत्रहीन विद्यालय एवं दरभंगा राजकीय मूकबघिर विद्यालय को + 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करे । "

अध्यक्ष महोदय, यह मानवीय संवेदना का विषय है । एक भी पूरे राज्य में प्लस टू उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मूक बघिर या नेत्र हीन के लिए नहीं है । और ब्रेल लिपि से जो है जो नेत्रहीन बच्चे हैं वे ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं । और कहीं भी राज्य में नहीं है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मानवीय संवेदना का विषय है और यह अति आवश्यक है इसको प्लस टू में उत्क्रमित किया जाय ।

श्रीमती मंजू वर्मा : राज्य में तीन नेत्रहीन विद्यालय है एवं पॉच मूक बघिर विद्यालय संचालित है । पहला राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय , कदमकुऑ पटना , दूसरा कामेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, दरभंगा, तीसरा राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय ,भीखनपुर ,भागलपुर चौथा श्री कमेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय मूक बघिर मध्य विद्यालय दरभंगा और पॉच राजकीय मूक बघिर बालक मध्य विद्यालय महेन्द्रू पटना , छट्ठा राजकीय मूक बघिर बालिका मध्य विद्यालय ,गाय घाट पटना, सातवॉ राजकीय मूक बघिर मध्य विद्यालय ,बड़ी खंजरपुर ,भागलपुर , आठवॉ राजकीय मूक बघिर मध्य विद्यालय, मुंगेर इनमें राज्यकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय,कदमकुऑ, पटना एवं कामेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय ,दरभंगा, उच्च विद्यालय स्तर के हैं शेष विद्यालय मध्य विद्यालय स्तर के

हैं। राजकीय नेत्रहीन विद्यालय,कदमकुआँ,पटना, कोमेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय नेत्रहीन डच्च विद्यालय,दरभंगा तथा श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय मध्य विद्यालय ,दरभंगा को प्लस टू उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : साफ साफ बता दिये ।

श्री संजय सरावगी :ठीक है, महोदय, लेकिन मानवीय संवेदना का विषय है जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा है । और नेत्रहीन बच्चों के लिए इन्टर स्तरीय कोई पढ़ाई की व्यवस्था राज्य में नहीं है । इसपर जरुर विभाग को सोचना चाहिए , रिपोर्ट मंगाकर जब भी हमलोग जाते हैं जो नेत्रहीन बच्चों को देखते हैं , यह बहुत ही मानवीय संवेदना का विषय है इसलिए मंत्री जी आगे विचार करें । मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण । आज के लिए सूचीबद्ध सभी गैर सरकारी संकल्प निष्पादित हुए।

आज दिनाँक 4 अप्रील, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 29 है अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई ।)

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

षोडश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक 25 फरवरी, 2016 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 04 अप्रील, 2016 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-23 बैठकें हुई।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 25 फरवरी, 2016 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सह-समवेत बैठक में सदस्यों को सम्बोधित किया गया । महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को प्रभारी मंत्री द्वारा सदन पटल पर रखा गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखा गया । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित विधेयक का विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । सत्र के दौरान कुल-13 (तेरह) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनांक 26 फरवरी, 2016 को बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-31, हरलाखी के उप-निर्वाचन, 2016 में निर्वाचित सदस्य, श्री सुधांशु शेखर ने शपथ ग्रहण किया । माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 26 फरवरी, 2016 को माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 27 फरवरी, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक पर दिनांक 01 मार्च, 2016 से जारी सामान्य विमर्श का उत्तर दिनांक 02 मार्च, 2016 को माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा दिया गया ।

दिनांक 03 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा बिहार लोक अभिलेख नियमावली, 2015 की प्रति, प्रभारी मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा बिहार निम्न शक्ति शराब-आयात, निर्यात एवं बिक्री नियमावली, 2015 की प्रति, प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का विशेष प्रतिवेदन, 2015 एवं उसपर सरकार का व्याख्यात्मक संलेख की एक-एक प्रति एवं प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 का 57वाँ से 59वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

(2)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई । शेष माँगें सदन में गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुई तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 08 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 09.09.2009 से प्रवृत्त किए जाने के कारणों से संबंधित विवरण की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 10 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-738, दिनांक 05.08.2008 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित स्थानीय निकाय से संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार का 31 मार्च, 2013 एवं 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 15 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 की प्रति एवं प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रुझान संबंधी परिणाम बजट प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 17 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014/ बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जांच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014/ बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (अधिसूचना संख्या-59, दिनांक 01.04.2015)/ बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (अधिसूचना संख्या-2516, दिनांक 05.05.2015)/ बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

(3)

दिनांक 18 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन (1) राजस्व प्रक्षेत्र (2) सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र तथा (3) राज्य का वित्त की एक-एक प्रति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन की एक-एक प्रति, वित्तीय वर्ष 2016-17 के परिणाम बजट प्रतिवेदन की प्रति, वित्तीय वर्ष 2016-17 के जेण्डर बजट की प्रति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रतिवेदन की प्रति तथा प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 28 मार्च, 2016 को वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में सम्मिलित गृह विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई । शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई ।

दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा बिहार राज्य वित्तीय निगम का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर बिहार राज्य वित्तीय निगम का उत्तर प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 30 मार्च, 2016 को बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016 पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से सरकार का पक्ष रखा गया तदुपरान्त सदन में विधेयक सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । सदस्यों ने जिस उत्साह से इसे पारित किया सदन के अन्दर वह ऐतिहासिक क्षण था । इतना ही नहीं विधेयक की स्वीकृति के उपरांत अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सहित सदन के सभी माननीय सदस्यगण ने अपनी-अपनी सीट से खड़े होकर यह संकल्प लिया कि " हम न शराब पीयेंगे और सदन के बाहर के लोगों को भी शराब न पीने के लिए प्रेरित करेंगे" । इसके उपरान्त बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016 तथा बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक, 2016 माननीय प्रभारी मंत्री के उत्तर के बाद सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 31 मार्च, 2016 को बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-178, मोकामा से निर्वाचित सदस्य श्री अनंत कुमार सिंह ने शपथ-ग्रहण किया । प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-93(3) एवं 99 के तहत् विभिन्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20 के तहत् अधिसूचना संख्या- एस. ओ.-26, 27, दिनांक 02.02.2016/ एस. ओ.-74,

(4)

दिनांक 15.05.2015 तथा एस.ओ.-219 एवं 220 दिनांक 27.11.2012 की एक-एक प्रति, बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-18 (2) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-28, 29, 30 एवं 31 दिनांक 02.02.2016 तथा एस.ओ.-217, दिनांक 21.11.2012 की एक-एक प्रति, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9 (4) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 दिनांक 20.01.2016/ एस.ओ.-169, दिनांक 21.07.2015/एस.ओ.-76, दिनांक 15.05.2015/ एस.ओ.-64, दिनांक 28.04.2015 तथा एस.ओ.-62, दिनांक 28.04.2015 की एक-एक प्रति एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के तहत् बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 31 मार्च, 2016 को राजकीय विधेयक यथा- बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक, 2016 एवं बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 01 अप्रील, 2016 को नियम-43 के तहत राज्य में पेयजल संकट की स्थिति पर विशेष वाद-विवाद हुआ । इसके अलावे प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति, प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बिहार न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) नियमावली, 2016/ ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा-35(4) के तहत बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) संशोधन नियमावली, 2016/ बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त्ते) अधिनियम, 1966 की धारा-44(4) के तहत् बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2016/ बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा-40(5) के तहत् बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 2016/ मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 की धारा-40(3) के तहत् बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी (संशोधन) नियमावली, 2016/ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्त विनियमन) अधिनियम, 1966 की धारा-62(4) के तहत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्त विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016/ मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा-26(7) के तहत् बिहार मजदूरी भुगतान (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115 (2) के तहत् बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

(5)

दिनांक 02 अप्रील, 2016 भी बिहार विधान मंडल के लिए ऐतिहासिक दिन रहा । राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर कैंसर जागरूकता से संबंधित संगोष्ठी में बिहार विधान मंडल के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही । इस दिन माननीय सदस्यों ने उत्साहवर्द्धक ढंग से राज्य के रूग्ण एवं जरूरतमंदों के लिए बढ़-चढ़कर रक्तदान किया एवं इस तरह से सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रशंसनीय संवेदनशीलता दिखाई । यह देश के संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व पहल के रूप में हमेशा याद किया जायेगा । बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य पदाधिकारी एवं चिकित्सकों ने जिस तत्परता से इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । रक्तदाता सदस्यों के लिए Donor Card, Donor Certificate तथा Blood Group के बारे में संबंधित प्रमाण-पत्र आ गए हैं । साथ ही पाँच प्रमुख बीमारियों (HIV, HBs-AG, HCV, MP, VDRL) का भी जाँच प्रतिवेदन आ गया है । हमारे सभी रक्तदाता सदस्य इन बीमारियों से मुक्त हैं, जिस हेतु मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ । रक्तदाता सदस्य अपना प्रमाण-पत्र सभा सचिवालय से प्राप्त कर सकते हैं।

सदन में आज राज्य की विभिन्न योजनाओं में केन्द्रांश की कमी एवं राज्यांश में बढ़ोत्तरी किये जाने के कारण राज्य में उत्पन्न स्थिति पर विमर्श हुआ । सरकार के उत्तर में इन विषयों पर एक समिति बनाने का आसन से आग्रह किया गया । पूर्व में भी सदन नेता के द्वारा, केन्द्र के द्वारा दिये जाने वाले विशेष पैकेज एवं इसके क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु एक विशेष समिति बनाने का आग्रह किया गया था । इस सम्बन्ध में विशेष समिति के गठन करने की कार्रवाई शीघ्र की जायेगी ।

दिनांक 04 अप्रील, 2016 को गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् फारबिसगंज गोली कांड न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति, प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत बनायी गयी बिहार जिला आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2010 की प्रति, प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "स्थानीय निकाय" की एक प्रति तथा "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "स्थानीय निकाय" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो, का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा-12(3) के तहत् बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

(6)

सत्र के दौरान कुल-4341 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । कुल-3520 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 07 अल्पसूचित प्रश्न, 2815 तारांकित प्रश्न तथा 698 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 451 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 937 प्रश्नोत्तर सदन पटल पर रखे गये । उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-20, अपृष्ठ प्रश्न 79 एवं 2033 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र में कुल-680 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 550 स्वीकृत हुए एवं 130 अस्वीकृत हुए । कुल-216 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 144 स्वीकृत एवं 72 अस्वीकृत हुईं ।

इस सत्र में कुल-430 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 37 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 360 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 33 अमान्य हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र के दौरान कुल-265 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र में प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉडिंग भी की गयी । इस कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब आप सबों को वसंत की शुभकामनाओं के साथ सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

❋❋❋❋❋

परिशिष्ट

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
केन्द्र प्रायोजित योजना से संबंधित आलेख

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के वित्त पोषण पैटर्न में किए गए बदलाव का प्रभाव

➢ भारत सरकार का व्यय बजट (Expenditure Budget) 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को 4 श्रेणी में रखा गया था।

- श्रेणी ए के अंतर्गत आने वाली योजनाओं पर शत–प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। इस श्रेणी में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, एम0एस0डी0पी0, सेंट्रल रोड फन्ड के अंतर्गत पथ एवं पुलिया का निर्माण, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बी0ए0डी0पी0 इत्यादि योजनाएँ सम्मिलित थी।
- श्रेणी बी के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के विरूद्ध परिवर्तित पैटर्न पर केन्द्रांश/राज्यांश की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान था। इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्य योजनाएँ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, न्यायपालिका के सुविधाओं के लिए आधारभूत संरचाओं का निर्माण, सभी के लिए आवास (इंदिरा आवास सहित) इत्यादि योजनाएँ सम्मिलित है।
- श्रेणी सी एवं श्रेणी डी के अंतर्गत आने वाली योजनाओं को बंद कर दिये जाने का प्रावधान किया गया था। इस श्रेणी के योजनाओं में उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आई0ए0पी0), बी0आर0जी0एफ0 (जिला घटक), राज्यों के लिए स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0), जेनुरूम (JNNURM), राजीव आवास योजना, सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता इत्यादि।

➢ परन्तु वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) भारत सरकार के पत्रांक D.O. No. 32/PSO/FS/2015 दिनांक 28.10.2015 एवं D.O. No. 66(01)/PF-II/2015 दिनांक 13.11.2015 द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए वर्ष 2015–16 से केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। इसके अनुसार योजनाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

- प्रथम श्रेणी में वैसी योजनओं को रखा गया है जिसके वित्त पोषण पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जबकि व्यय बजट वर्ष 2015–16 में इस श्रेणी की योजनाओं में भारत सरकार से शत प्रतिशत राशि देने की घोषणा की गई थी। इस श्रेणी में सम्मिलित मनरेगा में पूर्व की तरह 90:10 के अनुपात में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि निर्धारित की गयी है, जबकि व्यय बजट के अनुसार इसमें शत–प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से मिलनी चाहिए थी।
- द्वितीय श्रेणी में पूर्व के वित्त पोषण पैटर्न को परिवर्तित करते हुए केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि 60:40 के अनुपात में रखा गया है। इस श्रेणी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित कृषि से संबंधित सभी योजनाएँ/स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना,

नेशनल हेल्थ मिशन, इंदिरा आवास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इत्यादि को रखा गया है। पूर्व में इन योजनाओं पर 100:00 से लेकर 65:35 तक की हिस्सेदारी निर्धारित थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मीड डे मील, नेशनल हेल्थ मिशन, इंदिरा आवास इत्यादि को भी 60:40 के पैटर्न वाली योजनाओं की श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्दिरा गाँधी मातृत सहयोग योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर पूर्व में शत प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में मिलती थी।

- उपर्युक्त दो श्रेणीयों में जो योजनाएँ सम्मिलित नहीं हैं, उन्हें तृतीय श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में केन्द्रांश एवं राज्यांश का 50:50 रखा गया है।
- वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजना के पुनरीक्षित बजट ₹20102.59 करोड़ था। इसके विरूद्ध पुराने पैटर्न के अनुसार राज्यांश के रूप मे ₹6306.59 करोड़ का अनुमान था। संशोधित पैटर्न के अनुसार राज्यांश के रूप में ₹10815.22 करोड़ राज्य को देना पर रहा है। इस प्रकार नये पैटर्न के कारण वर्ष 2015–16 में ₹4508.63 करोड़ का अतिरिक्त भार बिहार राज्य पर पड़ा है।

➢ वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत केन्द्रांश के लिए ₹22467.37 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पुराने पैटर्न के अनुसार राज्यांश की राशि ₹7005.57 करोड़ तथा नये पैटर्न के अनुसार ₹11927.74 करोड़ होती है। इसतरह वर्ष 2016–17 में भी कुल ₹4917.87 करोड़ का अतिरिक्त भार बिहार राज्य के अपने संसाधन पर पड़ेगा।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा का प्रभाव

➢ 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार जैसे पिछड़े राज्य की चिंता काफी बढ़ गयी है। 13वें वित्त आयोग द्वारा बिहार राज्य का हिस्सा 10.92 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। परंतु 14वें वित्त आयोग द्वारा 9.66 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 14वें वित्त आयोग द्वारा क्षेत्रफल तथा प्राकृतिक वनों की अधिकता को अधिमानता दी गयी है जबकि बिहार जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व एवं स्थलरूद्ध (Land Locked) राज्य की विशिष्ट समस्याओं की अनदेखी की गयी है। बिहार द्वारा हरित आवरण को बढ़ाये जाने के प्रयास को प्रोत्साहित किये जाने के बजाय उसे हतोत्साहित किया जा रहा है।

➢ 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर सभी राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गयी है, परंतु आयोग द्वारा राज्यों के बीच क्षैतिज वितरण (Horizontal Distribution) के लिए जो मानक (Parameter) तय किये गये है उसके चलते विभिन्न राज्यों पर प्रभाव में बहुत ज्यादा भिन्नता है। उदाहरण के लिए बिहार को वर्ष 2015–16 में 13वें वित्त आयोग के फार्मुले के आधार पर राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी 32 प्रतिशत रहने पर भी पूर्व के वर्ष के वृद्धि दर 15 प्रतिशत के आधार पर ₹48118 करोड़ की प्राप्ति का आकलन था। नये फार्मुले पर बिहार को मात्र ₹50748 करोड़ की प्राप्ति केन्द्रीय दरों पर हिस्से के रूप में है। इस प्रकार बिहार के लिए मात्र 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी करीब 30 प्रतिशत है।

- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की स्वीकृति के बाद भारत सरकार के योजना बजट में भारी कटौती हुई है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय योजना बजट की राशि ₹5.75 लाख करोड़ की थी जो वर्ष 2015–16 में घटकर ₹4.65 लाख करोड़ की हो गयी है। केवल राज्यों से संबंधित आवंटन पर गौर किया जाये तो स्थिति निम्नवत् है–

  केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹3.38 लाख करोड़ की सहायता मिली थी जो वित्तीय वर्ष 2015–16 में घटकर ₹2.04 लाख करोड़ हो गयी है। यह कमी ₹1.34 लाख करोड़ (39.64 प्रतिशत) की है। बिहार के मामले को अगर देखा जाय तो राज्य योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि वर्ष 2015–16 में पुराने पैटर्न पर ₹27494 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित थी। यह अनुमान वर्ष 2014–15 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रावधानित राशि में 10 प्रतिशत जोड़कर किया गया था। केन्द्रीय बजट वर्ष 2015–16 में राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना में प्राप्त होने वाले राशि काफी कम हुई है। पुनरीक्षित बजट के अनुसार यह राशि ₹20102.59 करोड़ है। इस प्रकार वर्ष 2015–16 में ₹7391.41 (₹27494–₹20102.59) करोड़ की कमी रह जाती है।

निष्कर्ष :–

- इस प्रकार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कारण वर्ष 2015–16 में ₹7391.41 करोड़ रू0 तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के वित्त पोषण के पैटर्न में किये गये बदलाव के कारण 4508.63 करोड़ रू0 कुल 11900.04 करोड़ रू0 की कमी केन्द्रीय सहायता में हुई है तथा इतना अतिरिक्त संसाधन का भार राज्य के संसाधन पर पड़ रहा है।
- बी0आर0जी0एफ0 (जिला घटक), उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायकता, जेनुरूम (JNNURN) इत्यादि कार्यक्रमों के बन्द किये जाने से बिहार राज्य को लगभग 1500 करोड़ रू0 से अधिक की राशि मिलनी बन्द हो गई है।

स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0)

- बिहार के विभाजन के फलस्वरूप राज्य को होने वाली वित्तीय कठिनाईयों के संदर्भ में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया था कि उपाध्यक्ष, योजना आयोग के नियंत्रण में एक विशेष कोषांग गठित होगा। जो बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष अनुशंसाएँ करेगा।
- इस प्रावधान के आलोक में 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में राष्ट्रीय सम विकास योजयना/बी0आर0जी0एफ0 अन्तर्गत उर्जा, पथ, सिंचाई, पर्यावरण एवं वन इत्यादि प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत ₹10520 करोड़ की योजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कुल ₹8500 करोड़ केन्द्र सरकार से विमुक्त किये गये। इनमें से अधिकांश योजयनायें पूर्ण हो चुकी है। निर्माणाधीन अन्य योजनायें भी अंतिम चरण में हैं। इन योजनाओं को पूरा करने हेतु अभी भी ₹494.34 करोड़ की आवश्यकता है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भारत सरकार द्वारा इस विशेष सहायता को आगे जारी रहते हुए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) अन्तर्गत ₹12000 की निधि स्वीकृत की गयी है। इनमें से ₹1500 करोड़ की राशि पूर्व की लंबित योजना को पूर्ण करने के लिए कर्णांकित की गयी तथा शेष ₹10500 करोड़

की राशि नयी परियोजनायें लेने हेतु प्रस्तावित की गयी। इसके विरूद्ध उर्जा प्रक्षेत्र की 8 परियोजनाओं को प्रस्ताव ₹10775 करोड़ रू0 तथा पथ प्रक्षेत्र के लिए योजना का प्रस्ताव ₹1289.25 करोड़ की लागत पर तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) को भेजा गया। योजना आयोग द्वारा समीक्षोपरांत उर्जा प्रक्षेत्र के 8 परियोजनायें ₹8308.67 करोड़ की लागत पर एवं पथ प्रक्षेत्र की 01 योजना ₹1289.25 करोड़ की लागत पर कुल ₹9597.92 करोड़ की योजनायें स्वीकृत की गयी है।

- अभी भी नीति आयोग के समक्ष नयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु ₹902.08 करोड़ की निधि अवशेष है। इसके विरूद्ध उर्जा प्रक्षेत्र की स्वीकृत परियोजनाओं में Cost overrun का ₹856 करोड़ का प्रस्ताव तथा पथ प्रक्षेत्र की एक परियोजना यथा बेली रोड़ में ललित भवन से विद्युत भवन तक अंडरपास पथ निर्माण का प्रस्ताव नीतिआयोग को भेजा गया था। जो स्वीकृति हेतु लंबित है।
- वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) को बंद कर दिया गया। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री के पत्र संख्या– 4610122/मु0मं0स0/दिनांक 26.02.2015 द्वारा माननीय प्रधान मंत्री तथा पत्रांक 461019/मु0मं0स0/दिनांक 08.05.2015 द्वारा माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार से किये गये अनुरोध तथा मुख्य सचिव, बिहार द्वारा मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, नीति आयोग से मिलकर बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में किये गये प्रावधान की अनिवार्यता से अवगत कराने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के लिए घोषित पैकेज में इस कार्यक्रम अंतर्गत शेष ₹8282.00 करोड़ को भी शामिल किया गया।
- नीति आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 तक नयी परियोजना के विरूद्ध ₹2863.62 करोड़ रू0 तथा पूर्व की लंबित योजनाओं के लिए कुल ₹884.66 करोड़, कुल ₹3717.28 करोड़ विमुक्त की गयी। वर्ष 2015–16 में इसके विरूद्ध ₹4706.65 करोड़ का व्यय प्रतिवेदन तथा ₹4266.85 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नीति आयोग को भेजते हुए वर्ष 2015–16 में ₹5365.44 करोड़ विमुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया।
- नीति आयोग द्वारा वर्ष 2015–16 में मात्र ₹1887.53 करोड़ की विमुक्ति की अनुशंसा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से की गयी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹1887.53 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी है। इस तरह वित्तीय वर्ष 2015–16 तक भारत सरकार से कुल विमुक्त राशि ₹5604.81 करोड़ है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 2016–17 में समाप्त हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री के पत्रांक 4610029 दिनांक 01.02.2016 द्वारा नीति आयोग में स्वीकृति हेतु लंबित योजना की स्वीकृति हेतु तथा शेष राशि की विमुक्ति हेतु माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है। पूर्व में भी इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र तथा माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को दो पत्र लिखे गये हैं।

निष्कर्ष :–

चूंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रहा है। अतः वर्ष 2016–17 में ₹12000.00 करोड़ में से अवशेष ₹6395.19 करोड़ तथा नीति आयोग के पास स्वीकृति हेतु लंबित दो योजनाओं की स्वीकृति आवश्यक है ताकि स्पेशल प्लान के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत ₹12000 करोड़ रू0 का संपूर्ण उपयोग 12वीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार द्वारा किया जा सके।

केन्द्र सरकार में लंबित अन्य मुद्दे –

1. पथ निर्माण विभाग :

1.1 राष्ट्रीय उच्च पथों के रख–रखाव पर राज्य योजना मद से खर्च किए गए 935.43 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति – वर्ष–2006–07 से 2010–11 के बीच 969.77 करोड़ रू० की योजनाओं की स्वीकृति राज्य योजना मद से प्रदान की गई और 935.43 करोड़ रूपये व्यय किये गये। प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई थी कि भारत सरकार से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी। मुख्य सचिव, बिहार सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक 136 दिनांक 06.12.2006 द्वारा सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को इस आशय की सूचना दे दी इस आशय की सूचना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को दी गई थी। समय–समय पर प्रतिपूर्त्ति हेतु दावा भी किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री के अर्द्धसरकारी पत्रांक 4610264/सी०एम०एस० दिनांक 30.08.2009 द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथों पर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्त्ति का अनुरोध माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार से किया गया था। माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उनके पत्रांक 157 दिनांक 16.12.2010, पत्रांक 29 दिनांक 02.05.2011, अर्द्धसरकारी पत्रांक कैम्प–1 दिनांक 29.07.2014 एवं अर्द्धसरकारी पत्रांक 1103 दिनांक 08.12.2014 के माध्यम से सभी बिन्दुओं को भारत सरकार को स्पष्ट करते हुए प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया गया है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री के अर्द्धसरकारी पत्रांक 4610020/सी०एम०एस० दिनांक 09.01.2015 द्वारा भी अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्त्ति का अनुरोध किया गया है। उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के अर्द्धसरकारी पत्रांक 1334 दिनांक 14.12.2015 द्वारा भी अन्य बिन्दुओं के साथ उक्त राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुरोध किया गया है। फिर भी भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्त्ति नहीं की जा रही है। उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। यह एक विचारणीय बिन्दु है कि यदि भारत सरकार के पास निधि होती और प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होती तो राज्य सरकार को अपनी राशि खर्च करने की क्यों आवश्यकता पड़ती।

भारत सरकार से प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं हो पायी है।

2. शिक्षा विभाग :

2.1 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1028.16 करोड़ रूपये केन्द्रांश की विमुक्ति के संबंध में– वर्ष 2015–16 के लिए SSA-RTE (including KGBV) के तहत 7387.15 करोड़ रूपये का उद्व्यय स्वीकृत है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य के 60:40 Sharing Pattern के आधार पर केन्द्रांश की राशि 4432.29 करोड़ एवं राज्यांश की राशि 2954.86 करोड़ रूपये है। केन्द्रांश की राशि 4432.29 करोड़ के विरूद्ध राज्य सरकार को मात्र 2515.57 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ है, जिसके कारण राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को अपने शिक्षकों को वेतन देने में कठिनाई है। राज्य सरकार के द्वारा टेक्स्टबुक/स्कूल यूनिफार्म/स्कूल डेवलपमेंट ग्रान्ट/मेनटनेंस ग्रान्ट/के०जी०बी०भी० कार्यक्रम पर 713.36 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं एवं अभी भी न्यूनतम 300 करोड़ रूपये की आवश्यकता है। इस प्रकार 4192.62 करोड़ उपलब्ध संसाधन के विरूद्ध शिक्षकों का वेतन को छोड़कर लंबित दायित्व 1013.36 करोड़ रूपया है। इस प्रकार 1713.60 करोड़ (4892.86–3179.26) रूपये शिक्षकों के वेतन हेतु सर्व शिक्षा अभियान मद में कमी हो गयी है, जिसका 60 प्रतिशत संसाधन गैप 1028.16 करोड़ आता है, जो केन्द्र सरकार से प्राप्त होना है।

इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर से सचिव, एस0ई0एन0एल0, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अर्द्धसरकारी पत्रांक 478 दिनांक 29.01.2016 के द्वारा शेष राशि विमुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। परन्तु वर्ष 2015–16 में यह राशि केन्द्र सरकार से विमुक्त नहीं की गयी है।

3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :

3.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत भारत सरकार द्वारा तय किये गये अन्तर्राज्यीय संचलन, उठाई–धराई एवं पी0डी0एस0 डीलरों का मार्जिन के आलोक में माह मार्च–2014 से मार्च–2015 तक के विपत्रों की कुल राशि 25764.94 लाख रूपये की केन्द्रांश की विमुक्ति के संबंध में खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015 के तहत भारत सरकार के द्वारा तय किये गये अंतर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई एवं उचित दर दुकानों के डीलर का मार्जिन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने की तिथि से भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर के 50 प्रतिशत की राशि केन्द्रांश के रूप में विमुक्ति हेतु माह मार्च, 14 एवं माह अप्रैल, 14 से मार्च, 15 अंतर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई तथा डीलर मार्जिन का कुल 25,764.94 लाख रूपये (पच्चीस हजार सात सौ चौसठ लाख चौरानवे हजार रुपये) का विपत्र प्राप्त हुआ है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 के अन्तर्गत खाद्यान्न का अंतर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई हेतु निर्धारित दर 65 रू0 प्रति क्वींटल का 50 प्रतिशत अर्थात 32.50 रूपया प्रति क्वींटल एवं डीलर मार्जिन का वर्तमान में निर्धारित दर 40 रू0 प्रति क्वींटल का 50 प्रतिशत अर्थात 20 रू0 प्रति क्वींटल का भुगतान केन्द्रांश के रूप में खाद्य मंत्रालय से प्राप्त होना है। जिसकी विमुक्ति हेतु उपभोक्ता मामलें खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से पत्रांक 1523 दिनांक 02.03.2016 के द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

3.2 भारत सरकार एवं राज्य सरकार के साथ दिनांक 05.12.2013 को किये गये एकरारनामा कंडिका–10 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अग्रिम अनुदान (Advance Subsidy) का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाना है। नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना से प्राप्त चौथी तिमाही माह जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक का अग्रिम विपत्र (Advance Subsidy) समर्पित किया गया है, जिसमें अग्रिम अनुदान की राशि 1,98,83,47,000.00/– (एक सौ अन्ठानवे करोड़ तेरासी लाख सैतालिस हजार) रू0 की राशि अंकित है। उक्त राशि की विमुक्ति हेतु पत्रांक 1191 दिनांक 18.02.2016 के द्वारा उपभोक्ता मामलें खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के साथ दिनांक 05.12.2013 को किये गये एकरारनामा कंडिका–10 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अनुदान (Subsidy) का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाना है। नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना से प्राप्त प्रथम एवं दूसरी तिमाही माह अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक का अद्यतन Progressive विपत्र के आलोक में सी0एम0आर0 की प्राप्ति एवं वितरण के आधार पर अनुदान (Subsidy) के भुगतान हेतु कुल 1,34,786.06/– लाख (तेरह सौ सैंतालिस करोड़ छियासी लाख छः हजार) रूपये की राशि अंकित है। उक्त राशि की विमुक्ति हेतु पत्रांक 1172 दिनांक 17.02.2016 के द्वारा उपभोक्ता मामलें खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के साथ दिनांक 05.12.2013 को किये गये एकरारनामा कंडिका–10 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अनुदान (Subsidy) का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाना है। नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना से प्राप्त तीसरी तिमाही माह अक्टूबर,

2015 से दिसम्बर, 2015 तक का अद्यतन Progressive विपत्र के आलोक में सी0एम0आर0 की प्राप्ति एवं वितरण के आधार पर अनुदान (Subsidy) के भुगतान हेतु कुल 5,08,75,29,891.59 /– (पॉच सौ आठ करोड़ पचहतर लाख उनतीस हजार आठ सौ एकान्वे रूपये, उनसठ पैसे) रू0 की राशि अंकित है। उक्त राशि की विमुक्ति हेतु पत्रांक 1178 दिनांक 17.02.2016 के द्वारा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

4. ग्रामीण विकास विभाग :

4.1 इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत द्वितीय किस्त की कटौती के लिए राशि को बहाल करने के संबंध में – ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के 28 जिलों के लिए इंदिरा आवास योजना अंतर्गत केन्द्रांश द्वितीय किस्त की स्वीकार्य दायित्व के रूप में निधि की विमुक्ति की गयी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कम राज्यांश की विमुक्ति के आधार पर कुल 11564.76 लाख रूपये केन्द्रांश की राशि की कटौती की गयी है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 262014 दिनांक 16.02.2016 के द्वारा संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इंदिरा आवास योजना अंतर्गत कटौती की गयी राशि को बहाल करने के संबंध में समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया गया है। राशि की विमुक्ति अपेक्षित है।

4.2 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अंतर्गत राशि की विमुक्ति – सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 14298.84 लाख रूपया का बजट की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके अंतर्गत 91 प्रतिशत बजट में प्रावधानित राशि की प्राप्ति हुई एवं 1285.71 लाख रूपये की राशि अभी तक अप्राप्त है, जबकि 13013.23 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्रांक 243918 दिनांक 25.08.2015 के द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का डिजिटलीकरण का कार्य पूर्ण कराने के कारण 2324.29 लाख रूपये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। राशि की विमुक्ति अपेक्षित है।

5. जल संसाधन विभाग – जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ए0आई0बी0पी0 तथा बाढ़ प्रबंधन योजना हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वर्ष 2013 में नई मार्गदर्शिका निर्गत हुई है, जिसमें राज्य की सिंचाई प्रक्षेत्र के हितों को पूरी तरह अनदेखी की गयी है। संशोधित मार्गदर्शिका में ए0आई0बी0पी0 तथा बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत नई योजनाओं के सम्मिलित किये जाने एवं अनुमान्य केन्द्रीय सहायता की विमुक्ति की प्रक्रिया सरलीकृत किये जाने के स्थान पर इसे और भी जटिल बना दिया गया है। नई मार्गदर्शिका के प्रावधानों से बिहार राज्य के सिंचाई तथा बाढ़ प्रबंधन योजना को न सिर्फ वृहत केन्द्रीय सहायता से वंचित होना पड़ेगा बल्कि राज्य सरकार के द्वारा आरम्भ की गयी विकासोन्मुखी एवं महत्वकांक्षी योजनायें उचित वित्तीय सहयोग के अभाव में लागू नही की जा सकेगी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान अर्द्धसरकारी पत्रांक 4610144 दिनांक 25.06.2014 के द्वारा आकृष्ट किया गया है एवं अनुरोध किया गया है कि :–

5.1 वर्तमान मार्गदर्शिका के अनुसार ए0आई0बी0पी0 के तहत नयी परियोजनाओं को सम्मिलित किए जाने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की शर्त्त लागू की गई है, जिसका अर्थ है कि परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रथमतः राज्य सरकार को अपनी निधि से व्यय करने की बाध्यता होगी। इस प्रकार की शर्त्त का समावेश किया जाना निश्चित रुप से बिहार जैसे राज्य के साथ उचित नहीं है। इस संबंध में सुझाव है कि बिहार जैसे अल्प विकसित सिंचाई क्षमता वाले

प्रदेशों हेतु मात्र 10 प्रतिशत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की अधिसीमा ही ए0आई0बी0पी0 के तहत नई योजनाओं को सम्मिलित करने का आधार बनाया जाय।

5.2 राज्य की बाढ़ प्रवण/सूखा प्रवण क्षेत्रों में अवस्थिति परियोजनाओं हेतु पूर्व में अनुमान्य 90 प्रतिशत: केन्द्रीय सहायता को बिना किसी उचित कारण के घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही बाढ़ प्रबंधन योजनाओं में नई योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य हेतु 90 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके चलते राज्य की बाढ़ प्रवण/सूखा प्रवण क्षेत्रों में अवस्थित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य को अपने स्वंय के संसाधनों से अधिक निधि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। विदित हो कि राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रुप में चिन्हित है एवं राज्य में बाढ़ एवं भू-क्षरण का कारण सीमा पार नेपाल एवं तिब्बत से निकलने वाली नदियाँ हैं। इस संबंध में सुझाव है कि बाढ़/सूखा प्रवण क्षेत्रों की परियोजनाओं हेतु पूर्व के दिशा निदेश के तहत अनुमान्य 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता को जारी रखा जाय। साथ ही क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य में भी 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता रखी जाय।

5.3 AIBP के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है, जबकि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार के स्तर से 171.17 करोड़ रुपये वर्ष 2012-13 के लिए एवं 36.96 करोड़ रुपये वर्ष 2013-14 एवं 51.6512 करोड़ रूपये वर्ष 2014-15 के लिए अनुशंसित भी किया गया है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा, केन्द्र प्रायोजित योजना में केन्द्रांश/राज्यांश के अनुपात में हुए परिवर्तन तथा अन्य मुद्दों से बिहार को वर्ष 2015-16 में हुई हानि की संक्षिप्त विवरणी

(राशि करोड़ में)

क्रम	विषय/योजना	संबंधित विभाग	हानि की राशि
1	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कारण	वित्त	7391.41
2	वित्त पोषण के पैर्टन मे बदलाव के कारण	सभी संबंधित विभाग	4508.63
3	बी0आर0जी0एफ0 (जिला घटक)/उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/जेनुरूम	पंचायती राज/योजना एवं विकास/नगर विकास एवं आवास	1500.00
4	स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में भेजे गये प्रस्ताव में से अवशेष राशि	पथ निर्माण/ऊर्जा	3477.91
5	राष्ट्रीय उच्च पथों का रख-रखाव	पथ निर्माण	935.43
6	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा	1028.16
7	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1100.02
8	इंदिरा आवास योजना	ग्रामीण विकास	115.65
9	सामाजिक आर्थिक जाति गणना	ग्रामीण विकास	23.24
10	AIBP के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	जल संसाधन	259.78
	कुल		**20340.23**

Requirement of State share against C.S.S. as per new pattern communicated by Ministry of Finance, GoI (2015-16)
(Earlear 100% Central Share)

(Rs in crore)

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State) Before 2015-16		Funding Pattern (Center:State) During 2015-16 (as per communicated by Ministry of		Budget provision for Central Share 2015-16	Revised Budget provision for Central Share 2015-16	State Share 2015-16 As per old pattern (BE) before 2015-16	State Share 2015-16 As per old pattern (RE) before 2015-16	State Share 2015-16 As per new pattern (BE)	State Share 2015-16 As per new pattern (RE)	State Share 2015-16 Difference (State share) (BE) (13-11)	State Share 2015-16 Difference (State share) (RE) (14-12)	Remarks
				Central	State	Central	State									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	National Food Security Mission	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	100	0	60	40	52.40	82.91	0.00	0.00	34.93	55.27	34.93	55.27	
2	National E-Governance Plan Agriculture	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	100	0	60	40	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	1.43	
3	Rashtriya Krishi Vikash Yojana (RKVY)	Agriculture/ Agri and Cooperation	Agriculture, Animal & Fisheries, Co-operative	100	0	60	40	280.74	238.09	0.00	0.00	187.16	158.73	187.16	158.73	
4	National Mission on Ayush including Mission on Medicinal Plants	Health & Family Welfare	Health	100	0	60	40	19.45	19.45	0.00	0.00	12.97	12.97	12.97	12.97	
5	Social Security for Unorganised Workers including Rashtriya Swasthaya Bima Yojana	Health & Family Welfare	Health	100	0	60	40	248.57	248.57	0.00	0.00	165.71	165.71	165.71	165.71	
6	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)	Rural Development	Rural Works	100	0	60	40	2235.01	2780.99	0.00	0.00	1490.01	1853.99	1490.01	1853.99	
7	National Mission for Empowerment of Women including Indira Gandhi Matritaa Sahyog Yojana (IGMSY)	Women & Child Development	Social Welfare	100	0	60	40	33.78	69.69	0.00	0.00	22.52	46.46	22.52	46.46	
8	Urban Rejuvenation Mission-500 Habitation	Housing & Urban Poverty Alleviation	Urban Development & Housing	100	0	60	40	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	4.33	
	Total							2870.33	3448.34	0.00	0.00	1913.70	2298.89	1913.70	2298.89	

Requirement of State share against C.S.S. as per new pattern communicated by Ministry of Finance, GoI (2015-16)

(Rs in crore)

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State)				Budget provision for Central Share 2015-16	Revised Budget provision for Central Share 2015-16	State Share 2015-16						Remarks
				Before 2015-16		During 2015-16 (as per communicated by Ministry of Finance)				As per old pattern (BE) before 2015-16	As per old pattern (RE) before 2015-16	As per new pattern (BE)	As per new pattern (RE)	Difference (State share) (BE) (13-11)	Difference (State share) (RE) (14-12)	
				Central	State	Central	State									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	National Food Security Mission	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	100	0	60	40	52.40	82.91	0.00	0.00	34.93	55.27	34.93	55.27	
2	National Horticulture Mission	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	85	15	60	40	36.46	36.46	6.43	6.43	24.31	24.31	17.87	17.87	
3	National Mission on Sustainable Agriculture	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	75	25	60	40	16.82	25.86	5.61	8.62	11.21	17.24	5.61	8.62	
4	National Mission on Agriculture Extension and Technology	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	90	10	60	40	26.10	64.17	2.90	7.13	17.40	42.78	14.50	35.65	
5	National Oilseed and Oil Palm Mission	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	75	25	60	40	2.09	2.09	0.70	0.70	1.39	1.39	0.70	0.70	
6	National Project on Management of Soil Health and Fertility	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	75	25	60	40	0.00	5.18	0.00	1.73	0.00	3.45	0.00	1.73	
7	National E-Governance Plan Agriculture	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	100	0	60	40	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	1.43	
8	Pardhan Mantri Krishi Sichayi Yojna (PMKSY)	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture			60	40	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00	13.55	0.00	13.55	
9	Rashtriya Krishi Vikash Yojana (RKVY)	Agriculture/ Agri and Cooperation	Agriculture, Animal & Fishries, Co-oprative	100	0	60	40	280.74	238.09	0.00	0.00	187.16	158.73	187.16	158.73	
10	Integrated Watershed Management Programme (IWMP)	Agriculture/ Agri and Cooperation	Agriculture			60	40	43.22	43.22	0.00	0.00	28.81	28.81	28.81	28.81	
11	Pramparagat Krishi Vikas Yojane	Agriculture/ Agri and Cooperation	Agriculture	50	50	60	40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	Sub total							**457.83**	**520.45**	**15.64**	**24.61**	**305.22**	**346.97**	**289.58**	**322.36**	
12	National Livestock Management Programme (NLMP)	Animal Husbandry, Dairying & Fishries	Animal & Fishries Resource	50	50	60	40	5.59	5.59	5.59	5.59	3.73	3.73	-1.86	-1.86	
13	National Livestock Health and Disease Control Programme (NLH & DCP)	Animal Husbandry, Dairying & Fishries	Animal & Fishries Resource	75	25	60	40	3.63	3.63	1.21	1.21	2.42	2.42	1.21	1.21	
	Sub total							**9.22**	**9.22**	**6.80**	**6.80**	**6.15**	**6.15**	**-0.65**	**-0.65**	
14	Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)	Youth Affairs & Sports	Art, Culture & Youth	75	25	100	0	1.82	1.82	0.61	0.61	0.00	0.00	-0.61	-0.61	Central Sector
15	National Service Scheme (NSS)	Youth Affairs & Sports	Art, Culture & Youth	60	40	100	0	1.54	1.54	1.03	1.03	0.00	0.00	-1.03	-1.03	Central Sector
	Sub total							**3.36**	**3.36**	**1.63**	**1.63**	**0.00**	**0.00**	**-1.63**	**-1.63**	

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State)				Budget provision for Central Share 2015-16	Revised Budget provision for Central Share 2015-16	State Share 2015-16						Remarks
				Before 2015-16		During 2015-16 (as per communicated by Ministry of				As per old pattern (BE) before 2015-16	As per old pattern (RE) before 2015-16	As per new pattern (BE)	As per new pattern (RE)	Difference (State share) (BE) (13-11)	Difference (State share) (RE) (14-12)	
				Central	State	Central	State									
16	Scheme for Development of Other Backward Classes and denotified, nomadic and semi-nomadic Tribes.	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare			75	25	20.00	303.28	0.00	0.00	6.67	101.09	6.67	101.09	
17	Scheme for development of Economically backward Classes (EBCs)	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare			100	0	2.29	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Pre Matric Scholarship for OBC CASP	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare	50	50	50	50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	Post Matric Scholarship for OBC CASP	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare	100	0	100	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sub total							**22.29**	**305.28**	**0.00**	**0.00**	**6.67**	**101.09**	**6.67**	**101.09**	
20	Scheme for Providing education to Madrasas, Minorities and Disabled	Deptt. of School Education & Literacy	Education	100	0	100	0	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Support for Educational Development including Teachers Training & Adult Education	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	75	25	60	40	44.42	106.20	14.81	35.40	29.61	70.80	14.81	35.40	
22	Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)	Higherly Education	Education	75	25	60	40	69.10	69.10	23.03	23.03	46.07	46.07	23.03	23.03	
23	National Programme Nutritional Support to Primary Education (MDM)	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	75	25	60	40	159.18	1713.82	53.06	571.27	106.12	1142.55	53.06	571.27	
24	Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	65	35	60	40	4769.18	4752.19	2568.02	2558.87	3179.45	3168.13	611.43	609.26	
25	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	75	25	60	40	54.37	64.37	18.12	21.46	36.25	42.91	18.12	21.46	
	Sub total							**5276.81**	**6886.24**	**2677.04**	**3210.03**	**3397.50**	**4470.45**	**720.46**	**1260.42**	
26	Conservation of Natural Resources and Ecosystems	Environment & Forest	Environment & Forest	50	50	60	40	0.33	0.33	0.33	0.33	0.22	0.22	-0.11	-0.11	
27	Integrated Development of Wild Life Habitats (RESTRUCTURED)	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	50	50	60	40	0.37	0.37	0.37	0.37	0.25	0.25	-0.12	-0.12	
28	Project Tiger	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	50	50	60	40	2.35	2.35	2.35	2.35	1.57	1.57	-0.78	-0.78	
29	National Afforestation Programme (National Mission for a Green India)	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	75	25	60	40	1.36	1.36	0.45	0.45	0.91	0.91	0.45	0.45	

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State) Before 2015-16		During 2015-16 (as per communicated by Ministry of		Budget provision for Central Share 2015-16	Revised Budget provision for Central Share 2015-16	State Share 2015-16						Remarks
				Central	State	Central	State			As per old pattern (BE) before 2015-16	As per old pattern (RE) before 2015-16	As per new pattern (BE)	As per new pattern (RE)	Difference (State share) (BE) (13-11)	Difference (State share) (RE) (14-12)	
30	Intensification of Forest Management	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	50	50	60	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sub total							**4.41**	**4.41**	**3.50**	**3.50**	**2.94**	**2.94**	**-0.56**	**-0.56**	
31	National AIDS & STD Control Programme	Health & Family Welfare	Health	100	0	100	0	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Central Sector
32	National Health Mission (NHM)	Health & Family Welfare	Health	75	25	60	40	1186.58	1186.58	395.53	395.53	791.05	791.05	395.53	395.53	
33	National Mission on Ayush including Mission on Medicinal Plants	Health & Family Welfare	Health	100	0	60	40	19.45	19.45	0.00	0.00	12.97	12.97	12.97	12.97	
34	Social Security for Unorganised Workers including Rashtriya Swasthaya Bima Yojana	Health & Family Welfare	Health	100	0	60	40	248.57	248.57	0.00	0.00	165.71	165.71	165.71	165.71	
	Sub total							**1480.07**	**1480.07**	**395.53**	**395.53**	**969.73**	**969.73**	**574.21**	**574.21**	
35	Skill Development Mission	Labour and Employment/ Labour	Labour Resource	75	25	100	0	2.40	2.40	0.80	0.80	0.00	0.00	-0.80	-0.80	Central Sector
	Sub total							**2.40**	**2.40**	**0.80**	**0.80**	**0.00**	**0.00**	**-0.80**	**-0.80**	
36	Development of Infrastructure Facilities for Judiciary including Gram Nyayalayas	Law and Justice	Law	75	25	60	40	10.71	10.71	3.57	3.57	7.14	7.14	3.57	3.57	
	Sub total							**10.71**	**10.71**	**3.57**	**3.57**	**7.14**	**7.14**	**3.57**	**3.57**	
37	Multi Sectoral Development Programme for Minorities	Minorities Affairs	Minorities Welfare	70	30	70	30	99.38	99.38	42.59	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00	
	Sub total							**99.38**	**99.38**	**42.59**	**42.59**	**42.59**	**42.59**	**0.00**	**0.00**	
38	Border Areas Development Programme (BADP) (ACA)	Home Affairs	Planning and Development	100	0	100	0	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sub total							**60.84**	**60.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
39	Nirmal Bharat Abhiya (NBA)	Drinking Water & Sanitation	Publice Health Engineering	75	25	60	40	314.08	314.08	104.69	104.69	209.39	209.39	104.69	104.69	
40	Normal Rural Drinking Water Programme (NRDWP)	Drinking Water & Sanitation/ Rural Development	Publice Health Engineering	50	50	60	40	114.95	114.95	114.95	114.95	76.63	76.63	-38.32	-38.32	
	Sub total							**429.03**	**429.03**	**219.64**	**219.64**	**286.02**	**286.02**	**66.38**	**66.38**	
41	National Land Record Management Programme (NLRMP)	Land Resources	Revenue and Land Reform	100	0	100	0	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Central Sector
	Sub total							**5.07**	**5.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
42	Roads and Bridges	Road Transport & Highways	Road Construction	100	0	100	0	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sub total							**89.22**	**89.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State) Before 2015-16 Central	Before 2015-16 State	During 2015-16 (as per communicated by Ministry of) Central	During 2015-16 State	Budget provision for Central Share 2015-16	Revised Budget provision for Central Share 2015-16	State Share 2015-16: As per old pattern (BE) before 2015-16	As per old pattern (RE) before 2015-16	As per new pattern (BE)	As per new pattern (RE)	Difference (State share) (BE) (13-11)	Difference (State share) (RE) (14-12)	Remarks
43	Indira Awas Yojana (IAY)	Rural Development	Rural Development	75	25	60	40	1053.59	1799.04	351.20	599.68	702.39	1199.36	351.20	599.68	
44	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)	Rural Development	Rural Development	90	10	90	10	1330.27	1330.27	147.81	147.81	147.81	147.81	0.00	0.00	
45	National Rural Livelihood Mission (NRLM)	Rural Development	Rural Development	75	25	60	40	33.12	651.51	11.04	217.17	22.08	434.34	11.04	217.17	
	Sub total							**2416.98**	**3780.82**	**510.04**	**964.66**	**872.28**	**1781.51**	**362.24**	**816.85**	
46	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)	Rural Development	Rural Works	100	0	60	40	2235.01	2235.01	0.00	0.00	1490.01	1490.01	1490.01	1490.01	
	Sub total							**2235.01**	**2235.01**	**0.00**	**0.00**	**1490.01**	**1490.01**	**1490.01**	**1490.01**	
47	Tribal Sub Plan (TSP)	Tribal Affairs	SC & ST Welfare	100	0	100	0	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	Grant under Provision to Article 275(1)	Tribal Affairs	SC & ST Welfare	100	0	100	0	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Scheme for Development of Scheduled Castes	Social Justice and Empowerment	SC & ST Welfare	50	50	50	50	150.00	172.29	150.00	172.29	150.00	172.29	0.00	0.00	
50	Pradha Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)	Social Justice and Empowerment	SC & ST Welfare	100	0	100	0	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	Umbrella scheme for Education of ST students	Tribal Affairs	SC & ST Welfare	100	0	100	0	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	Post matric scholarship for SC students	Welfare	SC & ST Welfare	100	0	100	0	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	Machinary for implementation of Civil Rights Act	Welfare	SC & ST Welfare	50	50	50	50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	
	Sub total							**213.01**	**272.24**	**150.00**	**176.79**	**150.00**	**176.79**	**0.00**	**0.00**	
54	National Social Assistant Programme (NSAP), including (Annapurna)	Rural Development	Social Welfare	100	0	100	0	1263.51	1263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	Integrated Child Development Service (ICDS)	Women & child Development	Social Welfare	50	50	60	40	598.37	1097.13	598.37	1097.13	398.91	731.42	-199.46	-365.71	
56	National Programme for Persons with Disabilities	Disability Affairs	Social Welfare	100	0	100	0	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	National Mission for Empowerment of Women including Indira Gandhi Matritav Sahyog Yojana (IGMSY)	Women & child Development	Social Welfare	100	0	60	40	34.38	69.69	0.00	0.00	22.92	46.46	22.92	46.46	
58	Integrated Child Protection Scheme (ICPS)	Women & child Development	Social Welfare	75	25	60	40	11.24	11.24	3.75	3.75	7.49	7.49	3.75	3.75	
59	SABLA	Women & child Development	Social Welfare	50	50	60	40	0.00	24.70	0.00	24.70	0.00	16.47	0.00	-8.23	
	Sub total							**1912.50**	**2471.27**	**602.12**	**1125.58**	**429.33**	**801.84**	**-172.79**	**-323.74**	

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State)				Budget provision for Central Share 2015-16	Revised Budget provision for Central Share 2015-16	State Share 2015-16						Remarks
				Before 2015-16		During 2015-16 (as per communicated by Ministry of				As per old pattern (BE) before 2015-16	As per old pattern (RE) before 2015-16	As per new pattern (BE)	As per new pattern (RE)	Difference (State share) (BE) (13-11)	Difference (State share) (RE) (14-12)	
				Central	State	Central	State									
60	Rajiv Awash Yojana (MOHPUA) (including BSUP & IHSDP) States & UTs Plan	Urban Affairs	Urban Development & Housing	80	20	60	40	12.31	328.87	3.08	82.22	8.21	219.25	5.13	137.03	
61	National Urban Livelihood Mission (NULM)	Housing & Urban Poverty Alleviation	Urban Development & Housing	75	25	60	40	26.16	26.16	8.72	8.72	17.44	17.44	8.72	8.72	
62	Urban Rejuvenation Mission-500 Habitation	Housing & Urban Poverty Alleviation	Urban Development & Housing	100	0	60	40	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	4.33	
63	Mission for 100 Smart Cities	Housing & Urban Poverty Alleviation	Urban Development & Housing			60	40		6.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	
	Sub total							**38.47**	**367.53**	**11.80**	**90.94**	**25.65**	**245.02**	**13.85**	**154.08**	
64	Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) and other Water resources Programmes	Water Resources	Water Resources, Minor Water Res.	75	25	60	40	46.36	119.76	15.45	39.92	30.91	79.84	15.45	39.92	
65	National River Conservation Programme	Water Resources	Water Resources, Minor Water Res.			60	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	Pardhan Mantri Krishi Sichayi Yojna WR	Water Resources	Water Resources			60	40	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	7.13	
	Sub total							**46.36**	**130.46**	**15.45**	**39.92**	**30.91**	**86.97**	**15.45**	**47.05**	
67	BRGF			100	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	ACA for LWE District									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69	ACA for EAPs	Finance Ministry	Urban, Health, Social Welfare, Phed, Road Con, Water Re.					274.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Grand total							**15086.14**	**19163.01**	**4656.16**	**6306.59**	**8022.13**	**10815.22**	**3365.97**	**4508.63**	

Requirement of State share against C.S.S. as per new pattern communicated by Ministry of Finance, GoI

(2016-17)
(Rs. in Crore)

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State)				Budget provision for Central Share 2016-17	State Share 2016-17			Remarks
				Before 2015-16		During 2015-16 (as per communicated by Ministry of			As per old pattern (BE) before 2015-16	As per new pattern (BE)	Difference (State share) (BE) (11-10)	
				Central	State	Central	State					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	National Food Security Mission	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	100	0	60	40	90.00	0.00	60.00	60.00	
2	National Horticulture Mission	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	85	15	60	40	30.00	5.29	20.00	14.71	
3	National Mission on Subtainable Agriculture	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	75	25	60	40	30.00	10.00	20.00	10.00	
4	National Mission on Agriculture Extention and Technology	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	90	10	60	40	62.13	6.90	41.42	34.52	
5	National Oilseed and Oil Palm Mission	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	75	25	60	40	2.60	0.87	1.73	0.87	
6	National Project on Management of Soil Health and Fertility	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	75	25	60	40	4.84	1.61	3.23	1.61	
7	National E-Governance Plan-Agriculture	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture	100	0	60	40	2.14	0.00	1.43	1.43	
8	Pardhan Mantri Krishi Sichayi Yojna (PMKSY)	Agriculture/ Agri and Coop	Agriculture			60	40	60.00	0.00	40.00	40.00	
9	Rashtriya Krishi Vikash Yojana (RKVY)	Agriculture/ Agri and Cooperation	Agriculture, Animal & Fishries, Co-opretive	100	0	60	40	223.74	0.00	149.16	149.16	
10	Integrated Watershed Management Programme (IWMP)	Agriculture/ Agri and Cooperation	Agriculture			60	40	100.00	0.00	66.67	66.67	
11	Pramparagat Krishi Vikas Yojana	Agriculture/ Agri and Cooperation	Agriculture	50	50	60	40	6.44		4.29		
	Sub total							**611.89**	**24.68**	**407.93**	**378.96**	
12	National Livestock Management Programme (NLMP)	Animal Husbandry, Dairying & Fishries	Animal & Fishries Resource	50	50	60	40	6.15	6.15	4.10	-2.05	

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State)				Budget provision for Central Share 2016-17	State Share 2016-17			Remarks
				Before 2015-16		During 2015-16 (as per communicated by Ministry of			As per old pattern (BE) before 2015-16	As per new pattern (BE)	Difference (State share) (BE) (11-10)	
				Central	State	Central	State					
13	National Livestock Health and Disease Control Programme (NLH & DCP)	Animal Husbandry, Dairying & Fishries	Animal & Fishries Resource	75	25	60	40	11.92	3.97	7.95	3.97	
	Sub total							**18.07**	**10.12**	**12.05**	**1.92**	
14	Scheme for Development of Other Backward Classes and denotified, nomadic and semi-nomadicTribes.	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare			75	25	2.50	0.00	0.83	0.83	
15	Scheme for development of Economically backward Classes (EBCs)	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare			100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	Pre Matric Scholarship for OBC CASP	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare	50	50	50	50	12.06	12.06	12.06	0.00	
17	Post Matric Scholarship for OBC CASP	Social Justice and Empowerment	BC and MBC Welfare	100	0	100	0	72.05	0.00	0.00	0.00	
	Sub total							**86.61**	**12.06**	**12.89**	**0.83**	
18	Scheme for Providing education to Madrasas, Minorities and Disabled	Deptt. of School Education & Leteracy	Education	100	0	100	0	20.00	0.00	0.00	0.00	
19	Support for Educational Development including Teachers Training & Adult Education	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	75	25	60	40	100.00	33.33	66.67	33.33	
20	Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)	Higherly Education	Education	75	25	60	40	80.00	26.67	53.33	26.67	
21	National Programme Nutrutional Support to Primary Education (MDM)	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	75	25	60	40	1722.78	574.26	1148.52	574.26	
22	Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	65	35	60	40	3800.00	2046.15	2533.33	487.18	
23	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)	HRD-Elementary Edn & Literacy	Education	75	25	60	40	100.00	33.33	66.67	33.33	
	Sub total							**5822.78**	**2713.75**	**3868.52**	**1154.77**	
24	Conservation of Natural Resources and Ecosystems	Environment & Forest	Environment & Forest	50	50	60	40	0.74	0.74	0.49	-0.25	

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State) Before 2015-16		During 2015-16 (as per communicated by Ministry of		Budget provision for Central Share 2016-17	State Share 2016-17 As per old pattern (BE) before 2015-16	As per new pattern (BE)	Difference (State share) (BE) (11-10)	Remarks
				Central	State	Central	State					
25	Integrated Development of Wild Life Habitats (RESTRUCTURED)	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	50	50	60	40	1.36	1.36	0.91	-0.45	
26	Project Tiger	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	50	50	60	40	2.66	2.66	1.77	-0.89	
27	National Afforestation Programme (National Mission for a Green India)	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	75	25	60	40	2.23	0.74	1.49	0.74	
28	Intensification of Forest Management	Environment Forest and Wild Life	Environment & Forest	50	50	60	40	0.81	0.81	0.54	-0.27	
	Sub total							**7.80**	**6.31**	**5.20**	**-1.11**	
29	National Health Mission (NHM)	Health & Family Welfare	Health	75	25	60	40	2719.05	906.35	1812.70	906.35	
30	National Mission on Ayush including Mission on Medicinal Plants	Health & Family Welfare	Health	100	0	60	40	19.45	0.00	12.97	12.97	
31	Social Security for Unorganized Workers including Rashtriya Swasthaya Bima Yojana	Health & Family Welfare	Health	100	0	60	40	285.85	0.00	190.57	190.57	
32	Human Resource in Health & Medical Education	Health & Family Welfare	Health	100	0	60	40	5.00	0.00	3.33	3.33	
	Sub total							**3029.35**	**906.35**	**2016.23**	**1109.88**	
33	Skill Development Mission	Labour and Employment/ Labour	Labour Resource	75	25	100	0	31.66	10.55	0.00	-10.55	Central Sector
	Sub total							**31.66**	**10.55**	**0.00**	**-10.55**	
34	Development of Infrastructure Facilities for Judiciary including Gram Nyayalayas	Law and Justice	Law	75	25	60	40	100.00	33.33	66.67	33.33	
	Sub total							**100.00**	**33.33**	**66.67**	**33.33**	
35	Multi Sectoral Development Programme for Minorities	Minorities Affairs	Minorities Welfare	70	30	70	30	145.44	62.33	62.33	0.00	
	Sub total							**145.44**	**62.33**	**62.33**	**0.00**	

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State)				Budget provision for Central Share 2016-17	State Share 2016-17			Remarks
				Before 2015-16		During 2015-16 (as per communicated by Ministry of			As per old pattern (BE) before 2015-16	As per new pattern (BE)	Difference (State share) (BE) (11-10)	
				Central	State	Central	State					
36	Border Areas Development Programme (BADP) (ACA)	Home Affairs	Planning and Development	100	0	100	0	69.75	0.00	0.00	0.00	
	Sub total							**69.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
37	Nirmal Bharat Abhiya (NBA)	Drinking Water & Sanitaion	Publice Health Engineering	75	25	60	40	345.00	115.00	230.00	115.00	
38	Normal Rural Drinking Water Programme (NRDWP)	Drinking Water & Sanitaion/ Rural Development	Publice Health Engineering	50	50	60	40	350.00	350.00	233.33	-116.67	
	Sub total							**695.00**	**465.00**	**463.33**	**-1.67**	
39	National Land Record Management Programme (NLRMP)	Land Resources	Revenue and Land Reform	100	0	100	0	54.95	0.00	0.00	0.00	Central Sector
	Sub total							**54.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
40	Roads and Bridges	Road Transport & Highways	Road Construction	100	0	100	0	170.00	0.00	0.00	0.00	
	Sub total							**170.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
41	Indira Awas Yojana (IAY)	Rural Development	Rural Development	75	25	60	40	1135.23	378.41	756.82	378.41	
42	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)	Rural Development	Rural Development	90	10	90	10	2657.42	295.27	295.27	0.00	
	Sub total							**3792.65**	**673.68**	**1052.09**	**378.41**	
43	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)	Rural Development	Rural Works	100	0	60	40	3000.00	0.00	2000.00	2000.00	
	Sub total							**3000.00**	**0.00**	**2000.00**	**2000.00**	
44	Tribal Sub Plan (TSP)	Tribal Affairs	SC & ST Welfare	100	0	100	0	18.00	0.00	0.00	0.00	
45	Grant under Provision to Article 275(1)	Tribal Affairs	SC & ST Welfare	100	0	100	0	20.00	0.00	0.00	0.00	
46	Scheme for Development of Scheduled Castes	Social Justice and Empowerment	SC & ST Welfare	50	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	Pradha Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)	Social Justice and Empowerment	SC & ST Welfare	100	0	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	Umbrella scheme for Education of ST students.	Tribal Affairs	SC & ST Welfare	100	0	100	0	16.50	0.00	0.00	0.00	

Sl. No.	Items	GOI Ministry/Deptt.	GOB Deptt.	Funding Pattern (Center:State)				Budget provision for Central Share 2016-17	State Share 2016-17			Remarks
				Before 2015-16		During 2015-16 (as per communicated by Ministry of			As per old pattern (BE) before 2015-16	As per new pattern (BE)	Difference (State share) (BE) (11-10)	
				Central	State	Central	State					
49	Post matric scholarship for SC students	Welfare	SC & ST Welfare	100	0	100	0	65.00	0.00	0.00	0.00	
50	Machinery for implementation of Civil Rights Act	Welfare	SC & ST Welfare	50	50	50	50	10.00	10.00	10.00	0.00	
	Sub total							**129.50**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	
51	National Social Assistant Programme (NSAP), Including (Annapurna)	Rural Development	Social Welfare	100	0	100	0	1487.50	0.00	0.00	0.00	
52	Integrated Child Development Service (ICDS)	Women & child Development	Social Welfare	50	50	60	40	1810.81	1810.81	1207.21	-603.60	
53	National Programme for Persons with Disabilities	Disability Affairs	Social Welfare	100	0	100	0	5.00	0.00	0.00	0.00	
54	National Mission for Empowerment of Women including Indira Gandhi Mattritav Sahyog Yojana (IGMSY)	Women & child Development	Social Welfare	100	0	60	40	70.16	0.00	46.77	46.77	
55	Integrated Child Protection Scheme (ICPS)	Women & child Development	Social Welfare	75	25	60	40	15.00	5.00	10.00	5.00	
56	SABLA	Women & child Development	Social Welfare	50	50	60	40	133.01	133.01	88.67	-44.34	
57	Women Help Line	Women & child Development	Social Welfare	50	50	60	40	2.00	2.00	1.33	-0.67	
	Sub total							**3523.48**	**1948.82**	**1352.65**	**-596.17**	
58	Rajiv Awash Yojana (MOHPUA) (Including BSUP & IHSDP) States & UTs Plan	Urban Affairs	Urban Development & Housing	80	20	60	40	57.25	14.31	38.17	23.85	
59	National Urban Livelihood Mission (NULM)	Housing & Urban Poverty Alleviation	Urban Development & Housing	75	25	60	40	45.00	15.00	30.00	15.00	
60	Urban Rejunevation Mission-500 Habitation	Housing & Urban Poverty Alleviation	Urban Development & Housing	100	0	60	40	132.84	0.00	88.56	88.56	